हिन्दी भाषा : विकास के आयाम

लेखिका

डॉ (श्रीमती) आभा त्रिवेदी

एम ए (स्वर्ण पदक) पी एच डी

प्रकाशक

बुक लैण्ड पब्लिशर्स

लालजी साड का रास्ता, जयपुर-3

● प्रकाशक
राजेश अग्रवाल
बुक लैण्ड पब्लिशर्स

● प्रथम संस्करण 1990

● मूल्य 20/– मात्र

● मुद्रक
राजेन्द्र प्रिन्टर्स
एन बी एस कालेज के सामने,
शॉपिंग सेन्टर, तिलक नगर
जयपुर–4

अपने पूज्य श्वसुर
स्वर्गीय पण्डित रामनारायण त्रिवेदी एडवोकेट
की
पावन स्मृति मे

दो शब्द

बहुत समय से स्नातक कक्षाओं के लिए एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है जिसमें "हिन्दी" के विकास क्रम को समझाते हुए उसकी उपभाषाओं बोलियों आदि का इस प्रकार वर्णन किया गया हो, जिससे उसका राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट हो सके तथा राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में उसके विकास क्रम एवं व्यवहार की स्थिति भी समझी जा सके। प्रस्तुत पुस्तक इसी अभाव की पूर्ति के लिए लिखी गई है। इसमें उन सब विषयों का समावेश किया गया है जिनसे हिन्दी तथा उसकी बोलियों के सम्बन्ध को समझ कर उसके व्यावहारिक स्वरूप की पहचान करने में छात्रों को सहायता मिलेगी। फलतः वे सरकारी गैर सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी-परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे तथा विभिन्न पदों पर नियुक्त होने पर हिन्दी में सरकारी कामकाज भी सफलता पूर्वक चला सकेंगे।

आशा है, भाषा-विज्ञान और भाषा ज्ञान के अभ्यासी छात्रों के लिए यह पुस्तक पर्याप्त लाभदायक सिद्ध होगी।

आभा त्रिवेदी

विषय-सूची

क्र	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	हिन्दी : व्युत्पत्ति और विकास	1–10
2	हिन्दी की बोलियाँ और शैलियाँ	11–31
3	मानक हिन्दी : वर्तनी की समस्या एवं शब्द प्रयोग	32–73
4	राष्ट्र भाषा और राज भाषा हिन्दी	74–114
5	व्यावहारिक हिन्दी	115–124

प्रथम अध्याय

हिन्दी व्युत्पत्ति और विकास

भारतीय भाषाओ मे हिन्दी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिक भाषा से आरम्भ होकर भारतीय भाषा धारा का जो विकास हुआ, उसी का नवीन स्वरूप हिन्दी है। इस अध्याय मे "हिन्दी" शब्द की व्युत्पत्ति, उसके विविध अर्थ और परिभाषाएँ अपभ्रंश, अवहट्ठ, शौरसेनी, अर्धमागधी, पुरानी हिन्दी आदि पर विचार किया जाएगा।

"हिन्दी" शब्द की व्युत्पत्ति और विविध अर्थ

"हिन्दी' शब्द "सिन्धी" शब्द का बिगडा हुआ रूप है। अरब और ईरान के आक्रमणकारियो से जब भारत का सम्बन्ध हुआ और सबसे पहले सिन्धु प्रान्त मे अरबी फारसी बोलने वाले कुछ लोग आकर बसे, तब उन्होने "सिन्ध" को 'हिन्द' तथा यहाँ की भाषा को 'हिन्दी" नाम दिया। धीरे-धीरे समस्त भारत के लिए हिन्द या हिन्दुस्तान तथा यहाँ के निवासियो के लिए "हिन्दु" शब्द का प्रयोग चल पडा। जिस प्रकार कुछ देशो की भाषा और निवासियो के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जसे-चीन की भाषा "चीनी" और निवासी भी "चीनी" कहलाते हैं उसी प्रकार हिन्द या हिन्दुस्तान की भाषा को "हिन्दी" तथा निवासियो को भी "हिन्दी" कहा गया।

उदाहरणाथ, प्रसिद्ध शायर इकबाल ने कहा है—
"हिन्दी हैं हम, वतन है
हिन्दोस्ता हमारा।"

यहाँ "हिन्दी" शब्द का प्रयोग भारतवासियों के लिए किया गया है। "हिन्दी" भाषा के लिए "हिन्दी" शब्द के अलावा फारसी भाषा भाषियों ने "हिन्दुई" और "हिन्दवी" शब्दों का प्रयोग भी किया है।

भाषाविज्ञान के नियम के अनुसार फारसी मे "स" का "ह" और "ध" का "द" हो जाता है। इसी नियम के अनुसार "सिंधु" से 'हिन्दु' हुआ है। आरम्भ में "सिन्धु' प्रदेश को 'हिन्दु" प्रदेश कहा गया और कालान्तर मे सम्पूर्ण देश को ही हिन्दु, हिन्द और हिन्दुस्तान कहने लगे। अतः उसी से बने "हिन्दी' शब्द को विदेशियो से भाषा का अर्थ मिला है। खुसरो ने भी "हिन्दी' शब्द को भारतवासी के अर्थ मे प्रयुक्त किया था। उन्होने लिखा है—

'बादशाह ने हिन्दुओ को तो हाथी से कुचलवा डाला, किन्तु मुसलमान जो 'हिन्दी" थे, सुरक्षित रहे।'

इसी आधार पर "हिन्दी" शब्द का उन्होंने भाषा के लिए भी प्रयोग किया है। सन् 1424 ई० मे शरफुद्दीन ने तैमूरलंग और उसके परिवार के विषय मे जफरनामा लिखा है, जिसमे उल्लेख है कि राव 'हिन्दी' शब्द है। इससे भी सिद्ध है कि भारत की भाषा के लिए 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग हुआ है।

वस्तुतः सस्कृत भाषा से प्राकृत, पाली और अपभ्रंश होती हुई जब भारतीय भाषा धारा ने आठवी शती मे प्रवेश किया तो बहुत समय तक उसे केवल "भाषा' कहा जाता रहा। केशवदास हिन्दी के एक ऐसे कवि हुए है जिनके परिवार में संस्कृत ही बोली जाती थी, किन्तु उन्होने हिन्दी मे कविता की थी और वे भी उस समय हिन्दी को 'भाषा' नाम से ही पुकारते हैं। कहते है—

"भाषा' बोलि न जानहीं
जिसके कुल के दास।

और कबीर भी उनसे पूर्व 'हिन्दी' के लिए 'भाषा" शब्द का ही प्रयोग कर रहे थे—

सस्कृत खारी कूप जल
भाषा बहता नीर।

जायसी और तुलसीदास भी "हिन्दी" शब्द का प्रयोग न करके "भाषा' शब्द का ही प्रयोग कर रहे थे। यथा वे कहते हैं—" भाषा निबन्धमति मंजुल मातनोति" और जायसी "लिखि भाषा चौपाई कहै' कहकर हिन्दी के लिए

'भाषा'' शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुत "हिंदी" शब्द का भारतीय भाषा के लिए सब प्रथम प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने ही किया था और वे उसे "हिंदुई" तथा "हिंदवी भी कहते थे।

हिंदी का विकास क्रम

"हिंदी" नाम किसने दिया और कब दिया, यह प्रसग अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। जो बात अधिक महत्त्वपूर्ण है वह यह है कि 'हिंदी' उस भारतीय भाषा का नाम है, जिसका विकास वैदिक काल से चली आती हुई भारतीय भाषा के विकास क्रम मे हुआ है। प्रारम्भ मे जिसे वैदिक भाषा और फिर सस्कृत भाषा कहा गया, उसी का लोक प्रचलित प्रवाह प्राकृत और फिर अपभ्रंश बना। अपभ्रंश के ही नये रूप को बाद म अवहट्ठ और फिर पुरानी हिंदी" कहा गया तथा कालांतर मे नया रूप धारण कर वही "भाषा' या हिंदी कहलाई।

किसी भी भाषा का विकास-क्रम उसके लिखित अर्थात् साहित्य मे प्रयुक्त रूप से ही समझा जा सकता है, क्योंकि लोक-प्रचलित रूप समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। अत हिंदी के विकास क्रम को समझने के लिए अपभ्रंश विशेषत शौरसेनी अपभ्रंश अर्धमागधी, अवहट्ठ और "पुरानी हिंदी' को समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदी के मूल रूप का सूत्रपात शौरसेनी अपभ्रंश से ही हो गया था।

अपभ्रंश

लगभग 500 ई० से 1000 ई० तक अपभ्रंश भाषा लोक जीवन और साहित्य म व्यवहृत होती रही। इस अवधि मे प्राकृतो के अनुसार इसके भी अनेक भेद हो गए थे। सस्कृत भाषा मे रूद्रट न "काव्यालकार" ग्रन्थ की रचना की है जिसकी टीका नमिसाधु ने लिखी है। उन्होन अपभ्रंश के तीन भेद माने हैं–उपनागर आभीर और ग्राम्य। एक अन्य विद्वान मार्कण्डेय ने पहले तो अपभ्रंश के तीन भेद स्वीकार किए हैं–नागर उपनागर और व्राचड किन्तु बाद मे उसकी 27 बोलियाँ बताई है, जो इस प्रकार हैं—

नागर उपनागर व्राचड लाट, वैदर्भ बर्बर, आवन्त्य, मागध, पाचाल्य, टाक्क, मालव, कैकय गौड ओढ, वैवपाश्चात्य, पाण्ड्य कौन्तल सैंहल, कलिंग, प्राच्य, कार्णाटि, काच्य, द्राविड गौर्जर, आभीर मध्यदेशीय और वैताल।

वस्तुत ये बोलियाँ बोलचाल म ही प्रयुक्त होती थी, इनम साहित्य रचना नहीं होती थी। इन बोलियो का क्षेत्रीय उच्चारण आदि से सम्बन्धित अंतर था, किन्तु मूल विशेषताएँ समान थी। धीरे धीरे इन बोलियो का एक साहित्यिक रूप उभरा, जिसे ही वास्तविक "अपभ्रंश' भाषा माना जाता है। आचार्य हेमचंद्र ने

इन्ही बोलियो की मूलभूत एकता को आधार बनाकर "हेमशब्दानुशासन" नामक व्याकरण मे "अपभ्रंश" का स्वरूप निर्धारित किया है।

पाश्चात्य विद्वान डॉ याकोबी ने 'अपभ्रंश' भाषा के चार भेद माने हैं—पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, उत्तरी। वस्तुत ये नए भेद विशेष महत्त्व नही रखते। *क्षेत्रीय बोली-गत अंतर होते हुए भी साहित्य में जिस परिनिष्ठित अपभ्रंश का* प्रयोग हो रहा था, वही सही "अपभ्रंश" है। किन्तु आधुनिक भारतीय भाषाओ और विशेषत हिन्दी के विकास-क्रम को ध्यान म रखा जाए तो परिनिष्ठित अपभ्रंश की बजाय क्षेत्रीय अपभ्रंश बोलियो का अधिक महत्त्व है। अत विद्वानो ने उस समय लोकप्रचलित अपभ्रंशो म से उन सात को छांट कर अलग किया है, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओ का जन्म हुआ। ये हैं—

शौरसेनी, पैशाची, व्राचड, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, और मागधी।

अपभ्रंश के उक्त प्रमुख रूपो के आधार पर उसकी प्रमुख विशेषताओ का *यहाँ उल्लेख आवश्यक है*—

1 अपभ्रंश मे अ, आ इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, तथा औ नामक 10 स्वर-ध्वनियाँ प्रयुक्त मिलती हैं।

2 इस भाषा म उकारान्त शब्द अधिक मिलते हैं। यथा कारणु मगु सुतु।

3 इस भाषा मे संस्कृत शब्दो में अन्त्यस्वर ह्रस्व हो गए हैं। यथा-हरीतकी का हरीडई, गर्भिणी का गाब्भिणि।

4 इस भाषा मे आदि अक्षर पर प्राय स्वराघात रहता है। फलत संस्कृत शब्दो के आदि अक्षर मे स्वर का लोप नही मिलता। यथा—माणिक्य का माणिक्क पोटक का पोढअ।

5 संस्कृत के जिन व्यंजनों म द्वित्व था, वे समीकरण के कारण एक व्यंजन वाले हो गए हैं तथा पूववर्ती स्वर दीर्घ हो गया है। यथा—तस्य का तासु कस्य का कासु।

6 इसमे संस्कृत का "म' अक्षर 'व' हो गया है। यथा—श्यामलक का सावलय कमल का कवल।

7 इसम सस्कृत क्ष" ध्वनि 'च्छ" हो गई है । यथा—पक्षी का पच्छी । इसी प्रकार "व" ध्वनि "ब" हो गई तथा मध्य वर्ण से व्यजन गायब हो गया है । यथा—वचन का बग्रण । 'न तो ण हो ही गया है । 'य" ध्वनि "ज' बन गई है ।

8 सस्कृत की 'ड" "द" 'न" तथा 'र" ध्वनियो के स्थान पर "ल" हो गया है । यथा—प्रदीप का पलि‍त । सस्कृत "श" तथा "ष" ध्वनियाँ गायब हो गई हैं और उनके स्थान पर 'स" ध्वनि आ गई है ।

9 अपभ्र श भाषा मे सस्कृत के नाम तथा धातु रुप भी कम हो गए हैं, जिससे बहुत सरलता आ गई है । नपु सक लिंग नही रहा तथा 24 कारको के स्थान पर 8 कारक हो रह गए हैं । द्विवचन भी नही रहा ।

10 सस्कृत की योगात्मक विशेषता छोडकर अपभ्र श वियोगात्मक हो गई है । फलत विभक्तियाँ अलग लगने लगी है ।

11 स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग की पहचान भी सरल हो गई है । प्राय स्त्रीलिंग के लिए शब्द के अ‍ंत म इ ' तथा पुल्लिग शब्द के अन्त मे "आ' लगने लगा है ।

12 तत्सम शब्द बहुत कम रह गए है तथा तद्भव शब्दो का प्रयोग अधिक होने लगा है । देशज एव विदेशी शब्दो के प्रयोग की प्रवृत्ति बढी है ।

उपयु क्त कतिपय विशेषताओ के आधार पर ही आरभ मे सस्कृत के विद्वानो ने 'अपभ्र श शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ है भ्रष्ट (भाषाएँ या बोलियाँ) । यह भ्रष्टता क्या है? सस्कृत के अनुशासन का त्याग, जिसका सभी अपभ्र श बोलियो मे बाहुल्य मिलता है । विश्वकोश मे अपभ्र श उन भाषाओ का नाम माना गया है जो प्राकृत के पश्चात् लगभग छठी शताब्दी से बारहवी शती तक उत्तरी भारत मे साहित्य तथा बोलचाल मे प्रयुक्त होती थी । सस्कृत ग्रन्थो मे भी अपभ्रष्ट तथा अपभ्र श शब्दो का प्रयोग समान अर्थ मे हुआ है । यह भी उल्लेख मिलता है कि प्रारम्भ मे "अपभ्र श" शब्द का प्रयोग केवल "आभीर" जाति की बोलचाल की भाषा के लिए किया जाता था । धीरे-धीरे यह शब्द शिष्ट भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा । लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भारत इस भाषा का क्षेत्र था । उत्तरी भारत की आधुनिक भाषाओ का विकास अपभ्र श के ही क्षेत्रीय रूपों से हुआ माना जाता है ।

शौरसेनी अपभ्रंश—

अपभ्रंश भाषा के विकास से पूर्व प्राकृत के क्षेत्रानुसार पांच प्रमुख भेद हो चुके थे। इनके नाम हैं—

1– शौरसेनी प्राकृत

2– मागधी प्राकृत

3– अर्ध मागधी प्राकृत

4– महाराष्ट्री प्राकृत

5– पैशाची प्राकृत

इन भेदों के अनुसार ही अपभ्रंश का विकास मानने वाले विद्वानों ने अपभ्रंश के भी उक्त पांच भेद किए हैं। यद्यपि इन भेदों का पहले बताए हुए भेदों में समाहार है, तथापि यहाँ इनमें से शौरसेनी अपभ्रंश पर विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इसी से आधुनिक भारत की राष्ट्रभाषा "हिन्दी" का विकास हुआ है।

शौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र शूरसेन या मथुरा माना जाता है। इसी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश का विकास ईसा की छठी शताब्दी के लगभग हुआ। मथुरा इस भाषा का केन्द्र था किन्तु गुजरात तक इसका प्रसार हो चला था जहाँ नागर अपभ्रंश स्थानीय बोली थी। प्राकृत और पाली का प्रचार प्रसार हो जाने पर भी मध्य देश में संस्कृत भाषा जमी हुई थी। अतः उसका शौरसेनी अपभ्रंश पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। संस्कृत नाटकों में शौरसेनी प्राकृत में स्त्री पात्रों के सम्वादों की बहुलता के कारण आगे चलकर शौरसेनी अपभ्रंश भी साहित्य में विशेष समादर पाती गई। विद्वानों की मान्यता है कि गुजराती और पश्चिमी हिन्दी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। हिन्दी का मध्यकाल तक का अधिकांश साहित्य इसी अपभ्रंश से विकसित हिन्दी में मिलता है। इस भाषा से हिन्दी की ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू बुन्देलखण्डी कन्नौजी और निमाड़ी बोलियों का विकास हुआ। इनमें से ब्रजभाषा रीतिकाल तक हिन्दी का प्रधान रूप बन कर साहित्य की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम रही। सूरदास, मीरा, बिहारी, देव मतिराम आदि श्रेष्ठ हिन्दी कवियों की रचनाएँ इसी बोली में मिलती हैं।

अर्धमागधी अपभ्रंश —

इस भाषा का पूर्व रूप या विकास-स्रोत अर्धमागधी प्राकृत में मिलता है। शूरसेन प्रदेश के पूर्वी भाग एवं मगध के पश्चिम में अर्धमागधी प्राकृत प्रचलित

थी। आधुनिक लेखक बनारस क्षेत्र के आसपास यह बोली समझी जाती थी। इसीलिए इसे पुरानी कौशली भी कहा जाता है। महावीर स्वामी एवं महात्मा गौतम बुद्ध की यह मातृ भाषा थी। इसी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी अर्थात् अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों की जननी अर्धमागधी अपभ्रंश ही मानी जाती है। डॉ धीरेन्द्र वर्मा ने भोजपुरी को भी अर्धमागधी अपभ्रंश की ही एक बोली माना है। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित सबसे अधिक समृद्ध बोली है, जिसमें तुलसीदास और मलिक मुहम्मद जायसी जैसे महान् कवियों ने काव्य रचना की है।

अवहट्ठ—

"अवहट्ठ' अपभ्रंश का ही पुराना नाम है किन्तु कालान्तर में यह एक पृथक भाषा रूप बन गया, जिसे हिन्दी का ही प्रारम्भिक रूप माना जाता है। इस नाम का सर्व प्रथम प्रयोग अब्दुररहमान कवि ने अपनी— सदेश-रासक" काव्य में किया है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार लक्ष्मीधर ने भी अवहट्ठ को एक अपभ्रंश भाषा ही माना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 'वर्ण रत्नाकार" ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्थ में जो भाषा प्रयुक्त मिलती है उसे अपभ्रंश का "अपहट्ठ" नामक रूप माना जाता है। वस्तुतः यह सक्रान्ति काल की वह भाषा है, जिसके पीछे अपभ्रंश जा रही थी और आगे पुरानी हिन्दी आ रही थी। हिन्दी के महाकवि मैथिल-कोकिल विद्यापति की "कीर्तिलता' नामक कृति इसी भाषा में मिलती है। इन ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि अवहट्ठ एक स्वतंत्र भाषा थी, जिसका विकास अपभ्रंश से अवश्य हुआ था किन्तु उसकी प्रकृति अपभ्रंश से बहुत कुछ भिन्न हो चुकी थी।

पुरानी हिन्दी—

अपभ्रंश के विकास-काल में बोलचाल की भाषा एक नया मोड़ ले रही थी। सिद्धों और नाथों के सम्प्रदाय-सम्बन्धी विचारों के प्रचार के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी, जो देश के अधिकांश भाग में समझी जा सके। यद्यपि अपभ्रंश ने साहित्य-रचना का माध्यम बनकर एक ऐसा रूप भी ग्रहण कर लिया था, जिसमें क्षेत्रीय बोलियों का भेद भाव भूल कर साहित्य रचना हो सकती थी, किन्तु वह साहित्यिक रूप पूर्व से पश्चिम तक तथा सुदूर उत्तर से दक्षिण तक सामान्य जन की पहुँच के बाहर होता जा रहा था। दक्षिण भारत में संस्कृत अब भी समझी जा सकती थी उत्तर में भी अनेक क्षेत्रों में संस्कृत की तत्सम शब्दावली सामान्य व्यवहार में समझने योग्य थी, किन्तु अपभ्रंश के तद्भव एवं देशज

रूपों का प्रयोग सर्वसामान्य के लिए सर्वत्र बोध-गम्य नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में डॉ राम गोपाल शर्मा "दिनेश" के मतानुसार एक ऐसी भाषा की आवश्यकता सिद्धों और नाथपंथी साधुओं ने अनुभव की, जो संस्कृत की तत्सम शब्दावली से अधिक दूर न जाए। अत अपभ्रंश को विकास का एक नया मोड मिला और उसके फलस्वरूप शौरसेनी अपभ्रंश ने जो नया रूप धारण किया, उसी को 'पुरानी हिंदी' कहते हैं। इस भाषा का प्रारम्भिक प्रयोग सिद्धों की वाणियों में मिलता है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिन्दी कह कर उसी को "पुरानी हिन्दी' बताया है। यथा वे कहते हैं —

'अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तान्त्रिक और योगमार्गी बौद्धों की साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय (संवत 1050 के लगभग) में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है।"

वस्तुत यह एक विवाद का विषय है कि अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी कहा जाए या उससे विकसित उत्तरवर्ती स्वरूप का पुरानी हिन्दी कहा जाए। इस विषय पर बहुत समय पूर्व ही पर्याप्त विवाद हो चुका है। शुक्ल जी ने एक स्पष्टीकरण और दिया है। वे कहते हैं कि —

'असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास (प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध) हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोल चाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है।'

इससे आगे शुक्ल जी ने विद्यापति का उदाहरण देकर पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का अन्तर भी स्पष्ट किया है —

देसिल बअना सब जन मिट्ठा।

तें तैसन जम्पओ अवहट्ठा।

अर्थात् देशी भाषा (बोलचाल की भाषा) सब को मीठी लगती है। इसमें वैसी ही अपभ्रंश (देशी भाषा मिला हुआ रूप) मैं कहता हूँ।'

शुक्ल जी के इस स्पष्टीकरण से यह सिद्ध है कि वे जिस अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, वह अवहट्ठ है, जो पुरानी हिन्दी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी है।

शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आगे चलकर पृष्ठ 19 पर फिर लिखा है कि "सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश अर्थात् "पुरानी हिन्दी" की काव्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी काव्य भाषा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, राजपूताने, और ब्रजमण्डल से लेकर बिहार तक लिखन पढ़न की शिष्ट भाषा थी।'

इस प्रकार शुक्ल जी ने पुरानी हिन्दी को देशभाषा—मिश्रित अपभ्रंश बतलाया है। अन्त में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पुरानी हिन्दी में धीरे-धीरे संस्कृत तत्सम शब्द रखने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। वे कहते हैं—

"ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों संस्कृत तत्सम शब्द रखने में संकोच भी घटता गया।"

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अपभ्रंश से अवहट्ठ और फिर पुरानी हिन्दी का जब विकास हुआ तो उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रखने के स्थान पर तत्सम रूप रखने की प्रवृत्ति ही बढ़ी। डा नगेन्द्र द्वारा सम्पादित "हिन्दी साहित्य का इतिहास" ग्रन्थ में आदिकाल का इतिहास प्रस्तुत करते हुए प्रसिद्ध विद्वान डॉ रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' ने इसी तथ्य को सप्रमाण सिद्ध किया है कि अपभ्रंश और अवहट्ठ के पश्चात् पुरानी हिन्दी का जो विकास हुआ, उसमें संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप त्याग कर तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित हुई। इसी प्रवृत्ति ने हिन्दी के भावी स्वरूप का निर्धारित किया, जिसके प्रमाण हमें ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली में रचित समस्त हिन्दी साहित्य में मिलते हैं।

हिन्दी का विकास और क्षेत्र—

वैदिक संस्कृत से संस्कृत फिर प्राकृत, पाली अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिन्दी तक भारतीय भाषा धारा का जो विकास हुआ, उसमें वैदिक काल से चली आने वाली और भारतीय जीवन पद्धति तथा संस्कृति को अभिव्यक्ति देने वाली शब्दावली भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण विभिन्न रूप धारण करती रही। रूपान्तर के साथ-साथ कहीं कम कहीं अधिक अर्थ-परिवर्तन भी हुए, पर विकास-क्रम न रुका। जन-संख्या में वृद्धि से

साथ-साथ स्थानीय प्रयोगो व शब्दो तथा बाहर से आने वाली जातियो की भाषाओं के प्रभावो से शब्द भण्डार एव अर्थों मे भी वृद्धि हुई। इस प्रक र पुरानी हिन्दी उत्तर भारत के अधिकाश क्षेत्र म फलती फलती एव नए रूप मे उस समय तक आ चुकी थी, जब यहाँ इस्लाम शासन स्थापित हुआ। इस समय तक इसकी कई बोलियाँ और राजस्थानी तथा बिहारी उपभाषाएँ समृद्ध होने लगी थी। राजस्थान म डिंगल ब्रजक्षेत्र म ब्रजभाषा, अवध मे अवधी तथा बिहार म मैथिली बोलियाँ साहित्य रचना के लिए हिन्दी का समृद्ध रूप धारण कर चुकी थी। दिल्ली तथा मेरठ के आसपास की खड़ी बोली भी यदा कदा अपना प्रभाव दिखा जाती थी। मध्यकाल तक इन सब बोलियो मे लिखे जाने वाले साहित्य की विशेष शैलियाँ बन चुकी थी जिनका प्रयोग साहित्य रचना के लिए अपने-अपने क्षेत्र मे हो रहा था।

उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा के रूप मे पूर्वोक्त कई शैलिया मे विकसित हिन्दी दक्षिण भारत मे ब्रजभाषा के रूप में लोक प्रिय हो रही थी। गुजरात महाराष्ट्र से तमिल प्रदेश तक उस काल की ब्रजभाषा-रचनाएँ मिलती है। नई खोजो ने यह सिद्ध कर दिया है कि मध्यकाल मे इस्लाम शासन होते हुए भी सम्पूर्ण भारत मे साहित्य रचना एव सास्कृतिक आदान प्रदान क लिए ब्रजभाषा हिन्दी ही राष्ट्रभाषा का काम कर रही थी। डा अम्बाशकर नागर ने गुजरात मे अनेक ऐसे ग्रन्थ खोजे हैं जो उपयुक्त तथ्य को प्रमाणित करते हैं।

इस प्रकार दक्षिण तक अपना राष्ट्रीय स्वरूप बनाने वाली हिन्दी का मुख्य क्षेत्र उत्तर मे वतमान हिमाचल प्रदेश से मध्यप्रदेश के रायगढ नगर तक तथा पूव मे बिहार से पश्चिम मे सम्पूर्ण राजस्थान तक था और आधुनिक काल म इसी क्षेत्र म उसका राष्ट्रीय स्वरूप समृद्ध एव सम्पन्न हुआ है। पहाड़ी बोलियाँ भी इसी के अन्तगत विकसित हुई हैं तथा बिहारी बोलियो—मगही मैथिली और भोजपुरी—का समस्त साहित्य भी हिन्दी का ही साहित्य है। राजस्थान मे हिन्दी साहित्य के आदिकाल मे डिंगल शली म हिन्दी विकसित हुई, मध्यकाल म वहाँ की बोलियो ने ब्रजभाषा को अपने अपने क्षेत्र सौंप दिए थे और उनसे मिलकर एक नयी हिन्दी शैली 'पिंगल' विकसित हो रही थी। मारवाड़ी मेवाड़ी ढूँढाड़ी, हाड़ौती मेवाती आदि राजस्थानी बोलियो का विकास आज भी हिन्दी की शाखा प्रशाखाओं के रूप म ही हो रहा है। आज खड़ी बोली हिन्दी को साहित्य मे प्रमुखता अवश्य प्राप्त है किन्तु अन्य पूर्वोक्त सभी बोलिया की समृद्धि भी खड़ी बोली की तुलना मे कम महत्त्व नहीं रखती। ब्रज भाषा का साहित्य तो आज भी खड़ी बोली के साहित्य से अधिक गरिमाशाली माना जाता है यद्यपि आजकल उसमे साहित्य रचना नाम मात्र को ही होती है।

द्वितीय अध्याय

हिन्दी की बोलियाँ और शैलियाँ

हिन्दी भाषा को उसकी उपभाषाओं के अतिरिक्त दो अन्य भेदों में भी विभाजित किया गया है। ये भेद हैं—(1) पूर्वी हिन्दी
(2) पश्चिमी हिन्दी

1—पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ—पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत निम्नांकित तीन बोलियाँ आती हैं—

(क) अवधी
(ख) बघेली
(ग) छत्तीसगढ़ी

यहाँ इन बोलियों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

(क) अवधी—यह अवध क्षेत्र की बोली है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर एवं बाराबंकी जिलों में यह भाषा बोली जाती है। इलाहाबाद, कानपुर, फतहपुर, जौनपुर तथा मिर्जापुर जिलों के कुछ भाग भी इस बोली के क्षेत्र में पड़ते हैं। बिहार में रहने वाले मुसलमानों की भी यही बोली है। इस बोली में पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने "रामचरितमानस" लिख कर इस बोली को भाषा के पद तक पहुँचा दिया था। जायसी का "पद्मावत", गौरीनाथ शर्मा का "शिवपुराण" तथा द्वारिका प्रसाद मिश्र के "कृष्णायन" इस भाषा के प्रसिद्ध तथा उच्च कोटि के महाकाव्य हैं। इस बोली की कतिपय विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1– कर्त्ता कारक एक वचन की व्यजनात्मक सज्ञाओ म अवधी मे "उ" का योग हो जाता है । यथा—

घर=घरु
तन=तनु
वन=वनु
मन=मनु

2– अवधी मे सवनामो के अन्त का "आ" ह्रस्व रूप धारण कर लेता है तथा प्रथम वण मे ओ' का योग हो जाता है यथा—

मेरा=मोर
तेरा=तोर

3– अवधी मे सज्ञाओ के ह्रस्व, दीघ तथा दीघतर–तीन रूप मिलते हैं यथा—

ह्रस्व=घोड
दीघ=घोडवा
दीघतर=घोडौना

4– अवधी के कारको मे निम्नाकित रूप बनते हैं—

कर्ता—वे, वने या वन लगता है ।
(घोडवे) (घोडवने), (घोडवन्)
करण—"अन्' का प्रयोग होता है
कम सम्प्रदान—का, का, आदि चिह्न लगते हैं ।
करण, अपादान—सेनी, सेन, से, लगते हैं ।
सम्बन्ध—कर, के, केर का प्रयोग होता है ।
अधिकरण—इसके चिह्न मे म, पर है ।

5– अवधी सवनाम इस प्रकार चलत हैं—

मैं=मो, मोर
तू=तौ, तो, तोर, तुमरे तोहार
हम=हमरे, हम, हमार
वह=वैं, ओहि, ओकर, आनकर, उनकर

6– अवधी मे सहायक क्रियाओं के रूप भी भिन्न प्रकार के मिलत हैं । यथा—

था
थी } रहेउ, रहेस, रहे
थे

हे=स—है

हू=हों

है=ग्रही, न्—है

7—अवधी मे क्रिया का वर्तमान कृदन्त रूप प्राय लघु अंत होता है यथा—

जाता=जात

रहता=रहत

सहता=सहत

मरता=मरत

8—अवधी मे बहुवचन का कारक-चिन्ह ग्रहण करने वाला रूप नही मिलता है। यथा—

(1) घोवन को

(2) छोडन को

(3) छोरन को

9—अवधी मे "इकार" की प्रधानता रहती है। प्राय भविष्य-काल की क्रिया का तिङ्‌न्त रूप ही बनता है। यथा—

रहिहइ, जइहइ, मरिहइ।

10—अवधी के पदो मे "ऐ" का "अई" तथा औ" का "अउ" हो जाता है। यथा—

ऐसा=अइसा

कौवा=कउवा

11—अवधी मे लिंग-सम्बन्धी एक विशेषता भी पाई जाती है। हिन्दी मे क्रिया का लिंग अन्तिम संज्ञा के अनुसार बदलता है, किन्तु अवधी मे प्रथम संज्ञा के अनुसार बदलता है। यथा—

"भरम वचन सीता जब बोला।"

अवधी एक बहुत बडे क्षेत्र की भाषा है। इसके तीन रूप पाए जाते हैं—

(1) पूर्वी अवधी

(2) पश्चिमी अवधी
(3) बैसवाड़ी अवधी

ये तीनों रूप परस्पर बहुत सूक्ष्म विशेषताओं के आधार पर भिन्न हैं।

(ख) बघेली—यह बोली बघेलखण्ड क्षेत्र मे बोली जाती है। यह क्षेत्र अवध के दक्षिण मे पड़ता है। रीवा इसका केन्द्र है। मध्य क्षेत्र के जबलपुर, दमोह, मांडला, बालाघाट आदि जिले इस क्षेत्र में सम्मिलित है। फतहपुर, बांदा हमीरपुर मिर्जापुर तथा छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्र भी इस बोली की सीमा मे पड़ते हैं। अवधी, भोजपुरी, बुन्देली, तथा मराठी इस बोली की सीमाओं पर बोली जाती हैं। इन सब बोलियों के शब्दों का बघेली मे मिश्रण हो गया है। अवधी का बघेली पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसलिए कुछ विद्वान् तो उसे अवधी का ही एक रूप मानते हैं। डॉ. श्यामसुन्दरदास ने लिखा है—

"अवधी के अन्तर्गत तीन मुख्य बोलियां हैं—अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी और बघेली में कोई अन्तर नहीं है। बघेलखण्ड मे बोले जाने के कारण वहाँ अवधी का नाम बघेली पड़ गया।"[1]

बघेली बोली मे साहित्य का अभाव है। उसके क्षेत्र में अवधी ही साहित्यिक भाषा रही। लोक-साहित्य अवश्य उसकी रूप रक्षा में सहायक हुआ है। इस बोली की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1– खड़ी बोली हिन्दी के शब्द बघेली मे पहुँचकर पर्याप्त रूप में बदल जाते हैं। संज्ञाओं मे प्रायः दो व्यंजनों के मध्य 'आ' का "वा" तथा दीर्घ स्वरान्त शब्द कर्ता कारक में ह्रस्वान्त हो जाते हैं। यथा—

घोड़ा=घ्वाड़

2– बघेली के सर्वनाम इस प्रकार होते हैं—

मैं=मय्
तू=तय
हम=तुम्ह
वह=वहि

1– अवधी और उसका साहित्य, डॉ. त्रिलोकीनारायण दीक्षित, पृष्ठ 11 से उद्धृत।

वे = ओ
कौन = कउन्

3– बघेली मे सहायक क्रियाओ के रूप मे भी कुछ अतर मिलता है। यथा—

हूँ = आ,
है = आ
ऊ गा = ऊ
था = रहेन्

4– क्रियाओ मे भविष्यकाल सूचक "गा' प्राय हट जाता है तथा एउ से काम लिया जाता है। यथा—

देखू गा = देखब्येउ

5– क्रिया मे भूतकाल म "आ' के स्थान पर 'एह" आ जाता है। यथा—

दखा = देखेह
पढा = पढेह

(ग) छत्तीसगढी—समस्त रायपुर, बिलासपुर तथा सम्भलपुर का पश्चिमी भाग इस बोली के मूल केन्द्र हैं। काकेर, नदगाव, खैरागढ, चुइखदान, कवर्धा एव चादा जिले के उत्तर पूव मे तथा बालाघाट के पूव मे इसी बोली का क्षेत्र है। रायगढ, सारगगढ, सरगुजा, उदयपुर (म प्र) तथा जशपुर के कुछ क्षेत्र भी इसी मे सम्मिलित है। इस बोली मे भी साहित्य नही मिलता। जगली जातियो की बोलियो का भी इस पर पर्याप्त प्रभाव पडा है। इस बोली की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1– सज्ञाओ मे बहुवचन बनाने के लिए "मन' अश जोडा जाता है यथा—

मनुष्यो = मनुखमन
पुत्रो = पुतोमन

2– सज्ञाओ को अकारान्त कर देने की प्रवृत्ति भी मिलती है। यथा—

बैल = बइला
छल = छइला

3– बहुवचन बनाने के लिए "अन" जोड देते हैं। यथा—
बैल=बइलन

4– कारकों में निम्नांकित चिह्नों का प्रयोग किया जाता है—
कर्म-सम्प्रदान=बर, ला, बा
करण-अपादान=से, ले
अधिकरण=मा

5– "अन" प्रत्यय भी करण कारक को व्यक्त करते हैं। यथा—
मूल से=मूलन

6– आकारान्त विशेषण के रूप स्त्रीलिंग में ईकारान्त हो जाते हैं। यथा—
छोटका=छोटकी

7– निश्चय के अर्थ में संज्ञा के साथ "हर" जोड दिया जाता है। यथा—
गर=हर

छत्तीसगढ़ी का रूप भी समस्त क्षेत्र में एक-सा नहीं है। विभिन्न जातियों की बोलियों के रूप में इसका विकास हुआ है तथा आर्य और अनार्य दोनों प्रकार की पड़ोसी भाषाओं ने इसे प्रभावित किया है।

2 पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ—पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत निम्नांकित पाँच बोलियाँ सम्मिलित हैं—

(क) खड़ी बोली
(ख) बांगरू
(ग) ब्रजभाषा
(घ) कन्नौजी
(ङ) बुन्देली

यहाँ इन बोलियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है —

(क) खड़ी बोली—दिल्ली (शहर), रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून के क्षेत्रों में यह बोली जाती है। पंजाब के अम्बाला जिले को भी इसके क्षेत्र में माना जाता है। खड़ी बोली का पंजाबी भाषा तथा हिन्दी की राजधानी तक सब उपभाषाओं में जहाँ यह क्षेत्र पंजाबी भाषा तथा हिन्दी की राजधानी

हुआ है। अत इन तीनों के विभिन्न प्रभाव इस बोली पर पड़े हैं। बागरू नाम की बोली भी इसके क्षेत्र के बीच-बीच मे करनाल और दिल्ली के देहात मे बाली जाती है। उससे भी इसकी प्रवृत्तियाँ प्रभावित हुई हैं। सक्षेप मे इसकी निजी विशेषताएँ इस प्रकार है—

1– खडी बोली मे क्रिया के रूप हिन्दी की अन्य बोलियो के समान तद्भव होकर ओकारान्त या औकारान्त नही होते। विशेषण तथा सज्ञाएँ भी ओकारान्त या औकारान्त नही होती। प्राय एकवचन मे क्रिया (भूत काल मे), सज्ञा एव विशेषण आदि आकारान्त रहते हैं। यथा—

घोडो' या घोडौ के स्थान पर घोडा
भलो या भलौ के " भला
मारयो या मारौ के " मारा
दौड यो या दौडौ के ' दौडा
गयौ या गयो के " गया

2– साहित्यिक हिन्दी मे जहाँ "ऐ' और "औ" ध्वनियो का प्रयोग होता है, वहाँ खडी बोली मे "ए' और "ओ" हो जाते हैं। यथा—

खैर = खेर
पैर = पेर
है = हे
और = ओर
कौल = कोल

3–खडीबोली (ग्रामीण) मे मूर्धन्य व्यजनो के प्रयोग की अधिकता पाई जाती है। व्यजनो के द्वित्व की प्रवृत्ति भी मिलती है, पर उच्चारण मे ही यह प्रवृत्ति देखी जाती है, लिखने मे उच्चारण के अनुसार ध्वनियों का अकन नहीं करते। यथा—

पाता = पात्ता
बेटा = बेट्टा
रोटी = रोट्टी
छोटा = छोट्टा

4– "ओ', "औ" के लिये 'ऊ" कर देने की प्रवृत्ति भी मिलती है—

मर्दों का = मरदू का
राम का = राम कू

5– सर्वनामों में भी साहित्यिक हिन्दी से खड़ी बोली कुछ भिन्न है । यथा—

तूने=तेने
यह=या
किससे=किसकै
मैं=मैं
तुमने=तम ने
हमारा=म्हारा

(ख) बांगरू—करनाल, रोहतक तथा दिल्ली (जिला) में यह बोली प्रयोग की जाती है । दक्षिणी पूर्वी पटियाला नाभा, झींद तथा पूर्वी हिसार के क्षेत्र भी इसी बोली की सीमा में सम्मिलित हैं । इसी बोली को हरियाणा प्रदेश में हरियाणी या देसडी कहते हैं तथा रोहतक के ग्रामवासी जाटू नाम से अभिहित करते हैं । यह लगभग 23 लाख लोगों की भाषा है । खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी से यह बोली बहुत प्रभावित है ।

विशेषताएँ–(i) इस बोली में खड़ी बोली के समान ही संज्ञा के रूप मिलते हैं, परन्तु बहुवचन में कुछ रूप बदल जाते हैं । यथा—

घोड़=घोड़ा
दिन=दिना
नाम=नामा
खेत=खेता

(ii) खड़ी बोली के समान उच्चारण की एकरूपता का संयम इसमें अधिक नहीं है । प्राय प्रथम ह्रस्व स्वर को ओकारान्त या एकारान्त कर देने की प्रवृत्ति पाई जाती है । यथा—

बहुत=बोहत
रहा=रैहा

(iii) द्वित्व की प्रवृत्ति भी मिलती है और उसके साथ प्रथम अक्षर को दीर्घ से ह्रस्व बना देने की इसकी अपनी मौलिक विशेषता है । यथा—

तितर=तित्तर
थूका=थुक्का

(iv) कारक चिह्नों के प्रयोग में अनिश्चितता पाई जाती है तथा प्राय "को" के स्थान पर "ने" का प्रयोग किया जाता है । यथा–घर को=घर ने ।

(v) क्रिया पदो मे "आ" स्वर के स्थान पर "इय" जोड़ने की प्रवृत्ति भी मिलती है। यथा—

हारा=हार्‌या
दुलारा=दुलार्‌या

(vi) सर्वनामो मे भी प्रयोगवैचित्र्य मिलता है। यथा—

तू=थू, तू, तौ
तुम=थम, तम्ह
तूने=तने, तग्नैं
मेरा=म्हारा
तेरा=थारा
यह=यू योह
वह=ओह

(ग) ब्रजभाषा—खड़ी बोली के समान ब्रजभाषा के भी दो रूप मिलते हैं। साहित्यिक रूप का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र मे है, किन्तु ग्रामीण ब्रजभाषा उसकी अपेक्षा सीमित क्षेत्र मे बोली जाती है। देहातो मे इसको ब्रजभाषा कहा जाता है। डॉ उदयनारायण तिवारी ने इसको "अन्तर्वेदी" कहा है।[1] मथुरा जिला इस बोली का केन्द्र है। कहा जाता है कि उसके चारो ओर 84 कोस के घेरे मे ब्रज मण्डल पड़ता है, उसी घेरे की यह भाषा है। आगरा, एटा, मैनपुरी, फरुखाबाद, भरतपुर का दक्षिणी पूर्वी अधिकांश भाग, धोलपुर, करौली ग्वालियर का पश्चिमी भाग, गुड़गाव का पश्चिमी भाग गुड़गाव का पूर्वी भाग, बुलदशहर, बदायू अलीगढ़, बरेली तथा नैनीताल की तराई—ये क्षेत्र ब्रजभाषा की सीमा मे आते हैं। इस बोली के बोलने वालो की सख्या 80 लाख से अधिक है।

इस बोली के क्षेत्रा के अनुसार कई रूप हो गए हैं, पर उन रूपो मे अधिक अन्तर नही है। डा ग्रियर्सन के मतानुसार यह बोली निम्नांकित 8 रूपो मे विभाजित हो गई है—

1– मथुरा–अलीगढ–पश्चिमी आगरा की ब्रजभाषा
2– बुलदशहर की ब्रजभाषा
3– आदर्श ब्रजभाषा
4– कनौजी प्रभावित ब्रजभाषा

1– देखिए, हिन्दी भाषा का उद्‌गम और विकास, पृष्ठ 318

5– भदौरी या भदावरी ब्रजभाषा
6– जयपुरी प्रभावित ब्रजभाषा
7– मेवाती-प्रभावित ब्रजभाषा
8– पहाड़ी प्रभावित ब्रजभाषा

यही कारण है कि इस बोली मे क्रिया के ग्रामीण प्रयोग ही नही, सज्ञा सवनाम विशेषण उपसग, प्रत्यय आदि भी एकरूपता रक्षित नही रख सके। क्रिया के रूप की भिन्नता का एक उदाहरण लीजिए—

प्रथम रूप = गयौ
द्वितीय रूप = गयो
तृतीय रूप = गय्रौ
चतुथ रूप = गय्रो
पचम रूप = गौ
षष्ठ रूप = ग्यौ
सप्तम रूप = गयो
अष्टम रूप = अनिश्चित रहता है।

कतिपय विशेषताएँ–(i) इस बोली म क्रियान्त मे दीघ स्वरो के लिए प्राय ह्रस्व स्वरो का प्रयोग होता है। यथा

जाओ = जाउ
खाओ = खाउ
गाओ = गाउ

क्रिया के अन्त मे ओकारान्त को उकारान्त करन मे वचन का कोई क्रम नही चलता। उपयु क्त उदाहरणो मे प्रथम दो क्रियाएँ बहुवचन मे हैं, जबकि तीसरी क्रिया का प्रयोग एकवचन मे ही होता है। यथा—

(1) तुम लोग जाउ। (बहुवचन)
(2) तुम लोग खाऊ। („)
(3) राम ! तू गाउ। („)

यदि "तुम लोग" के साथ गाने की क्रिया लगानी हो तो "गाओ" लगाना होगा।

(ii) सज्ञाओ मे कही साहित्यिक हिन्दी का रूप ही रहता है और कहीं "ओ" या "औ" भी लगाते हैं। यथा–

(1) घोडा ले आओ।

(2) घोडा ल्याम्रो ।

(3) घोडो लाम्रो ।

(iii) कर्म कारक के लिए 'को" के स्थान पर "कौ" चिन्ह का प्रयोग करते हैं तथा संज्ञा के रूप को प्राय अपरिवर्तित रखते हैं । यथा–

घोडा कौं (घोडे को)
लडका कौं (लडके का)

(iv) क्रियाम्रो मे "ता है" के लिए "त है" या "तु है" का प्रयोग करते हैं । यथा–

(1) राम मारत है । (राम मारता है ।)
(2) श्याम जात है । (श्याम जाता है ।)

(v) भविष्य काल के लिए क्रियाम्रो मे "ओगो" "उगो" "एगो" 'ग्रोगे" आदि का प्रयोग करते हैं । यथा—

(1) राम को मारूँगा=राम कौं मारौगो ।
(2) मैं जाऊँगा=मैं जाउँगो ।
(3) तुम आम्रोगे=तुम आउगे ।

कहीं-कहीं "ग" के स्थान पर "इ है" के रूप भी चलते है । यथा—

(1) वह जाएगा=बु जइ है ।
(2) वह खाएगा=बु खइ है ।

(vi) प्राय कारक चिन्हो मे अनुस्वार का प्रयोग मिलता है तथा चिन्ह का रूप भी विकृत हो जाता है । यथा—

कर्त्ता=(ने) नें, नै
कर्म=(को) कु, कू, कौं, कै, कै,
सम्प्रदान=को, के लिए
करण=(से) सों, सू, सें ते
अपादान=से
सम्बन्ध–का=कौ
अधिकरण–में, पर=मे, मैं, पैं, लौं

(vii) सर्वनामो म भी पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है । यथा—

मैं, मुझे आदि—हौं मोको, मोहि, मोय
मेरा=मेरो या मेर्‌यो,
तू=तैं,

तुम्हे = तोय, तोको
तेरा = तेरो, तेरयो
उसे = वाहि, वाकों, वाय
तुमको = तोको तोय
इसको = या को, याहि

(घ) कन्नौजी—फर्रुखाबाद जिले के कन्नौज नगर के नाम पर कन्नौजी बोली प्रसिद्ध हुई है। प्राचीन काल में यह नगर का यकुब्ज के नाम से विख्यात था। इस जनपद की अपनी एक विशेष संस्कृति थी। अत यहाँ की बोली ने अपना एक क्षेत्र बना लिया था। अब उस क्षेत्र का विस्तार इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर तथा कानपुर एव हरदोई जिलों के कुछ भागो तक है। इस बोली के पश्चिम मे व्रजभाषा पूर्व मे अवधी तथा दक्षिण मे बुन्देली के क्षेत्र पड़ते हैं। अत इन तीनो बोलियो से यह बोली बहुत प्रभावित हुई है।

कन्नौजी बोली के विभिन्न रूप मिलते हैं। इसकी सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1– व्रजभाषा का 'ओ" प्रत्यय कन्नौजी मे "ओ' हो जाता है।

2– कन्नौजी मे हिन्दी व्यजनान्त पदो के अन्त में 'उ" प्रत्यय का प्रयोग होता है।

3– हिन्दी के आकारान्त पुल्लिंग विशेषण शब्दो को कन्नौजी म ओकारान्त कर दिया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए—

खोटा = खोटो
मोटा = मोटो
छोटा = छोटो

4– कन्नौजी मे दो स्वरो के बीच आने वाले 'ह' व्यजन का लोप हो जाता है। यथा—

कहिहों = कैह्यों
रहिहों = रैह यों
जहिहो = जैह यो

5– कन्नौजी म "वह' तथा "यह" सर्वनाम प्राय बह, बो, एव यह, जो के रूप मे प्रयुक्त होते हैं।

6– कन्नौजी मे कर्ता और क्रिया का प्रयोग भी एक विशेष रूप मे होता यथा—

घोडा गया = घोडा ने चलो गयो ।

7– क्रियाओ के लिंग भी कही-कही लुप्त कम के आधार पर चलते हैं । यथा—

खडी बोली = राम ने बात कही ।
कन्नौजी = राम ने कही ।
खडी बोली = मोहन ने बात पूछी ।
कन्नौजी = मोहन ने पूछी ।
खडी बोली = तुमने रोटा खाई ।
कन्नौजी = तुमने खाई ।

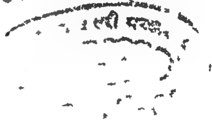
8– कन्नौजी मे क्रिया के व्यजन के स्थान पर भूतकाल मे "ओ' हो जाता है तथा प्रथम वर्ण दीर्घ से ह्रस्व कर दिया जाता है । यथा—

देना का दयो
जाना का गयो
होना का भयो
इस प्रकार कही-कही प्रथम वर्ण मे परिवतन भी हो जाता है ।

9– कन्नौजी मे करण कारक मे ' का" के स्थान पर ' का" का भी प्रयोग होता है । करण एव अपादान कारक मे ' सेती", ' सन्', "तें" "करि' आदि चिन्ह प्रयुक्त किये जाते है । अधिकरण कारक मे ' मा ' "मो" तथा "लौ" के प्रयोग की भी प्रथा है ।

10– कन्नौजी मे सवनामो मे भी कुछ परिवतन मिलता है । यथा—

"मैं ' से = मोहि, मेरो
"तू" से = तोहि, तेरो
"हम ' से = हमे, हमारो
"उन" से = उन्ह, उन्हो,
"वे" से = वँ, वे,
—आदि रूप बन जाते है ।



वास्तव मे कन्नौजी बोली ब्रजभाषा का ही एक रूप है । इसकी अधिकाश विशेषताएँ ब्रजभाषा की ही स्थानीयता प्रकट करती है । इसीलिए कई विद्वानो ने कन्नौजी को अलग बोली स्वीकार करने मे सकोच प्रकट किया है । डॉ उदय नारायण तिवारी उनमे प्रमुख हैं ।[1]

1– देखिए हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पृष्ठ 249

(ड) बुंदेली—बुंदेलखण्ड क्षेत्र की बोली को बुंदेली या बुंदेलखण्डी कहा जाता है। इसका क्षेत्र उत्तर मे आगरा, मैनपुरी एवं इटावा के दक्षिणी भागो तक फैला हुआ है। दक्षिण मे यह बोली सागर, दमोह, भोपाल का पूर्वी भाग, हाशगाबाद सिवनी आदि स्थानो तक बोली जाती है। झांसी, जालौन तथा हमीरपुर जिले भी बुंदेली के क्षेत्र मे पडते हैं। इस बोली की पूर्वी सीमा बघेली से, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा कन्नौजी एवं ब्रज-भाषा से, दक्षिणी सीमा मराठी से एवं पश्चिमी सीमा राजस्थानी बोलियो से मिली हुई हैं। अत इस बोली पर इन सबका सम्मिलित प्रभाव पाया जाता है। फिर भी इस बोली की अपनी कतिपय विशेषताएँ हैं, जिनका यहाँ उल्लेख किया जाता है—

1– बुंदेली का शब्द-कोष अनेक मौलिक शब्दो से सम्पन्न है। यथा, निम्नांकित शब्द उसकी अपनी सम्पत्ति हैं—

भानेज = भगिनी पुत्र
खगोरिया = गले का एक आभूषण
खदरा = चरागाह
जडड = टक्कर
झकूटा = छोटी झाडी
दोची = धक्के
बिलिया = कटोरी
भटारि = गुफा
लेजु = रस्सी
कोपरी = परात
लुगाई = पत्नी

2– "ए" एव "ओ" स्वर प्राय ह्रस्व "इ", "उ" मे परिवर्तित हो जाते हैं तथा ईकारान्त या आकारान्त मे "इया" लगा दिया जाता है। यथा—

बेटी = बिटिया
घोडी = घुडिया
लोटा = लुटिया

3– "ऐ" और "औ" को क्रमश "ए" तथा "ओ" कर दिया जाता है। यथा—

ऐसा = एसो
और = ओर

4– "ड़ के स्थान पर सवत्र "र" का प्रयोग किया जाता है। यथा—

खडा = खरो

दौड़ा = दौरो

पडा = परो

लडका = लरका

घोडा = घोरा

5– "आ' के पश्चात् आने वाला "ह ' लुप्त होकर आगे के "अ" को उ" बना देता है। यथा—

चाहत = चाउत

अवगाहत = अवगाउत

6– आकारान्त शब्द प्राय बुंदेली मे ओकारान्त हो जाते हैं। यथा—

घोडा = घोरो

छोरा = छोरो

घडा = घरो

7– "इन" प्रत्यय के लिए बु देली मे ' नी' हो जाता है। यथा—

धोबिन = धोबिनी

पनिहारिन = पनिहारिनी

8– बुंदेली कारको म चिन्ह भी कुछ बदल जाते हैं। यथा—

कर्त्ता = नें

कम सम्प्रदान = को, खों

अपादान = सें सो

अधिकरण = में

9– विशेषणो मे "रो" "रे", ' री" लगाने की भी प्रवृत्ति मिलती है। यथा—

सब = सबरो

सबरे

सबरी

10– सवनामो में ब्रज से अधिक अतर नहीं हैं। कुछ उदाहरण देखिए —

मैं से = मेरा, मोरा, मोय

तू से = तेरो, तोरो तोय

वह से = उसको, वाको

11– क्रिया पदो का रूप बु देली मे ब्रजभाषा की तरह ही बदल जाता है। सहायक क्रियाओ के लिए प्रयुक्त रूपो के उदाहरण देखिए—

था=हतो
थी=हती
थे=हते
हूँ=हूँ
है=हे
हैं=हैं
गो=गो

बुंदेली बोली की इन विशेषताओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उसका ब्रजभाषा से बहुत साम्य है। यही कारण है कि मध्यकाल में बुंदेलखण्ड में जो साहित्य लिखा गया, उसके लिए कवियों ने ब्रजभाषा को ही माध्यम बनाया था।

उपभाषाओं की बोलियां—

हिंदी की दो उपभाषाएँ हैं—(1) राजस्थानी (2) बिहारी। यहाँ इन दोनों की बोलियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है—

(1) राजस्थानी—

राजस्थानी उपभाषा का प्रारम्भिक रूप हिंदी की डिंगल शैली है जिसमें मध्यकाल तक पर्याप्त साहित्य लिखा गया। चारण साहित्य इसी शैली में मिलता है। क्षेत्रानुसार बोलचाल में इस उपभाषा के निम्नांकित रूप हो गए, जो देहाती क्षेत्र में अब भी मिलते हैं, यद्यपि नगरों में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है।

मारवाड़ी—

यह बोली जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर पाली, सिरोही के क्षेत्र में बोली जाती है।

मेवाड़ी—

मेवाड़ इस बोली का मुख्य क्षेत्र है जिसका केंद्र उदयपुर जिला है।

हाड़ौती—

इस बोली के केंद्र बूंदी तथा कोटा नामक जिले हैं।

ढूंढाड़ी—

इसका केंद्र जयपुर जिला माना जाता है।

मेवाती—

इसे अहीरवाटी भी कहते हैं। अलवर का पुराना राज्य-क्षेत्र इसका क्षेत्र है। इस बोली पर खड़ी बोली और ब्रजभाषा का प्रभाव बहुत पाया जाता है।

मालवी—

यह भी हिन्दी की उपभाषा राजस्थानी के अन्तर्गत ही आती है, यद्यपि इसका क्षेत्र राजस्थान के बाहर वर्तमान मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। इसमें मेवाड़ी का प्रभाव अधिक पाया जाता है।

भीली—

दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में बसे आदिवासियों में इस बोली का प्रचलन है। पुराने मेरवाड़ा से मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और रतलाम आदि तक इस बोली के बोलने वाले पाए जाते हैं। अन्य राजस्थानी बोलियों के कई प्रभाव इस बोली पर पड़े हैं और गुजराती भाषा ने भी इसे प्रभावित किया है।

राजस्थानी का भाषा-रूप में विकास—

मध्यकाल तक राजस्थानी बोलियों का साहित्य हिन्दी का ही साहित्य रहा है। आधुनिक काल में राजस्थानी ने एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में विकास किया है। मारवाड़ी बोली इस क्षेत्र में अग्रणी है। हाड़ौती, जयपुरी और मेवाड़ी मारवाड़ी को एक समृद्ध भाषा का रूप दे रही हैं और इस प्रकार राजस्थानी भाषा हिन्दी से पृथक्—एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो रही है। हिन्दी भाषा के लिए यह सौभाग्य का ही विषय है कि उसकी एक शाखा अपना स्वतन्त्र विकास कर रही है। इससे हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप के विकास में पर्याप्त योग मिलेगा।

बिहारी—

बिहार क्षेत्र में तीन बोलियाँ प्रचलित हैं—भोजपुरी, मगधी और मैथिली। इन बोलियों का क्षेत्र उत्तरप्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी जिलों से आरम्भ होकर बिहार की अन्तिम सीमा तक जाता है। दक्षिणी सीमा छोटा नागपुर तक तथा उत्तरी सीमा हिमालय की तराई तक मानी जाती है। इन बोलियों से ब्रजभाषा की बहुत बातों में समानता मिलती है। यथा, कुछ शब्द देखिये—

ब्रजभाषा	बिहारी	खड़ी बोली
गारी	गारी	गाली
बिटिया	बेटिया	बेटी
बुलावत्	बोलावत्	बुलाते
ग्रोर	अउर	और
मलो	मल्	भला
रह्यो	रहल्	रहा

एक अन्य बोली पहाड़ी बोली—

हिन्दी की ही एक बोली के रूप में वर्तमान हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के कुमायूं एवं गढ़वाल क्षेत्रों में बसे पहाड़ी लोगों की बोली 'पहाड़ी" कहलाती है। इसका शब्द-कोष बहुत सीमित है।

हिन्दी की विविध शैलियां—

हिन्दी भाषा एक बहत्तर क्षेत्र की साहित्यिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाषा है। इसकी अनेक बोलियां और दो प्रमुख उपभाषाएं हैं, जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। साहित्य रचना, लोक व्यवहार, एवं राजकाज में इसका प्रयोग होता है। अतः इसकी कतिपय विशेष शैलियां बन गई हैं जिन पर यहां विचार किया जाएगा।

हिन्दी शैली—

यह इस भाषा की अपनी शब्दावली और व्यावहारिक प्रयोगों की शैली है। इस शैली में खड़ी बोली का आधार है किन्तु लोक व्यवहार में बिहारी और राजस्थानी बोलियों की व्याकरणिक विशेषताएं भी प्रयुक्त होती हैं।

उर्दू शैली—

यद्यपि मध्यकाल में उर्दू हिन्दी के ही एक रूप में विकसित हुई थी। उस समय यह लश्करी हिन्दी मानी जाती थी, किन्तु धीरे-धीरे इसमें अरबी फारसी का प्रभाव बढ़ा तथा इसकी लिपि भी भिन्न हो गई। अतः उर्दू एक स्वतंत्र भाषा बन गई। किन्तु, अब भी उर्दू की कोई क्रिया अपनी नहीं है, सभी हिन्दी क्रियाएँ हैं। हिन्दी भाषा ने अभी भी उसको एक शैली के रूप में अपने साथ लगा रखा है। हिन्दी के लेखक अभी भी उर्दू शब्दावली ही नहीं, वाक्य रचना तक का अपनी कृतियों में दिल खोलकर प्रयोग करते हैं। हिन्दी के उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों और कहानियों में उर्दू को हिन्दी की एक शैली के रूप में प्रयुक्त किया है।

हिंदुस्तानी शैली—

भारत मे अंगरेजी भाषा का प्रसार बढने के कारण इस शैली का विकास हुआ। अंगरेजी की शब्दावली का हिंदी मे इतना प्रयोग बढा कि कुछ विद्वानो ने उसे हिंदुस्तानी भाषा ही कहना आरम्भ कर दिया था। इसमे अंगरेजी के साथ साथ भारत की अन्य भाषाओ की शब्दावली भी ली जा सकती थी। आज भी जब अंगरेजी शब्दावली मिश्रित हिंदी का कोई प्रयोग करता है, तो उसे 'हिंदुस्तानी" बोलने वाला कहा जाता है।

दकनी (दक्षिणी) हिंदी शैली—

दक्षिण भारत मे मध्यकाल मे ही वहा की भाषाओ से प्रभावित हिंदी 'दकनी हिन्दी' कहलाने लगी थी। बीजापुर, गोलकुण्डा अहमदनगर, बरार, बम्बई तथा मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग म इसका प्रचार रहा। कुछ लोग इसे हिंदुस्तानी का ही दूसरा रूप मानते हैं तथा कुछ विद्वान इसे खडी बोली का रूपान्तर बतलाते है। मराठी और गुजराती का भी इस पर प्रभाव पाया जाता है। हिन्दी की यह एक ऐसी महत्त्वपूर्ण शैली है जिसमे दक्षिण भारतीय लेखको और कवियो की पर्याप्त गद्य एव पद्य रचनाएँ मिलती हैं।

रेख्ता शैली—

"रेख्ता" शब्द फारसी के "रेख्तन्" से बना है। इस शब्द का अथ है— बनाना मिलाना, तोडना, रचना। सस्कृत की "रिच' धातु और "रेख्तन्' मे धातु गत साम्य लगता है। आरम्भ मे "रेख्ता" शब्द का प्रयोग छद और सगीत के क्षेत्र मे होता था। भारतीय तथा फारसी पद्धतियो के मेल से बने छद "रेख्ता" कहलाते थे। अमीर खुसरो ने सबसे पहले "रेख्ता" शैली का प्रयोग करके हिंदी मे कविताएँ लिखी। जैसे—

"जेहाल मस्की मकुन तगाफुल
दुराय नैना बनाए बतियाँ।'

फारसी हिंदी का मिलाजुला यह प्रयोग बोलचाल मे भी चलने लगा था तथा इस आरम्भ मे अपभ्रंश की तरह गिरी हुई या भ्रष्ट भाषा कहा जाता था। अंगरेजो के आगमन तक रेख्ता शैली" जीवित रही और बाद मे उसके स्थान पर "हिंदुस्तानी' का प्रचार हो गया।

मानक हिंदी और उसकी विशेषताएँ—

प्रत्येक भाषा का एक व्यावहारिक स्वरूप होता है और एक ऐसा परिनिष्ठित स्वरूप होता है, जिसे मानक स्वरूप कहते हैं। हिंदी के व्यावहारिक रूप

तो अनेक है किन्तु टकसाली स्वरूप एक ही है। यह रूप पूर्णतः व्याकरण से अनुमोदित होता है। इसका प्रयोग शिष्ट व्यवहार और साहित्य रचना मे किया जाता है। समाचार पत्रो तथा विभिन्न विषयो के हिंदी ग्रंथो मे मानक हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के माध्यम के रूप मे भी इसका ही व्यवहार होता है। राज्यो के आन्तरिक सम्बन्धो मे एक सम्पर्क भाषा के रूप मे मानक हिन्दी का ही प्रयोग किया जाता है। यह भाषा का वह स्वरूप है, जिसकी शब्दावली प्रायः बहुप्रयुक्त तथा तत्सम एवं व्याकरण सम्मत होती है। दार्शनिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विचारो की अभिव्यक्ति मे मानक हिन्दी ही समर्थ होती है।

शब्द समूह—

मानक हिंदी का शब्द समूह अधिकांशतः तत्सम है। तद्भव शब्दावली भी ऐसी है जो उसकी बहुप्रचलित तथा व्याकरण आदि के नियमो से पूर्णतः स्थिर हो चुकी है। देशज तथा अन्य भाषाओ के शब्द भी मानक हिन्दी मे ग्रहण किए जाते है, किन्तु उनका व्याकरणिक स्वरूप पूर्णतः तत्सम प्रयोगो के अनुकूल होता है। सामान्यतः वे शब्द ही बाहर से मानक हिन्दी मे प्रवेश पाते हैं जिनके पर्याय हिंदी मे या तो होते नही या उनकी पूर्ण अर्थवत्ता सिद्ध नहीं करते। अनेक विषयो के भाषणो, प्रवचनो, गोष्ठियो आदि मे विद्वान लोग जिस हिन्दी शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसे 'मानक हिन्दी' की ही शब्दावली कहा जाता है। अंग्रेजी मे *"स्टैण्डर्ड हिंदी" इसी प्रकार के हिन्दी प्रयोगो को* कहते हैं।

ध्वनिगत विशेषताएँ—

मानक हिंदी मे हिन्दी ध्वनियो के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन का बहुत महत्त्व है। स्वर व्यंजन अनुस्वार विसर्ग आदि का शुद्ध प्रयोग मानक हिन्दी की बहुत बड़ी विशेषता है। छंद-रचना मे जिस प्रकार ध्वनियो का परिवर्तित रूप चल जाता है, वैसा रूप मानक हिंदी मे नही चल पाता। कारक चिन्हो आदि के प्रयोग मे एवं क्रिया पदो की रचना मे ध्वनियों का शुद्ध प्रयोग हिंदी को मानक रूप देता है। उपसर्ग एवं प्रत्ययो के प्रयोग मे मानक हिंदी की ध्वनिगत विशेषता सुरक्षित रखी जाती है।

व्याकरणिक विशेषता—

मानक हिन्दी का एक निश्चित व्याकरण है। अभी तक स्व. कामता प्रसाद गुरु द्वारा निर्धारित व्याकरणिक नियम सर्व स्वीकार्य रहे हैं। रामचन्द्र वर्मा तथा किशोरीदास वाजपेयी ने भी मानक हिन्दी के स्वरूप निर्धारण मे बहुत योग दिया है। इन्होने हिन्दी के व्याकरणिक प्रयोगो के

विषय मे पर्याप्त दिशा-निर्देश दिए है । सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, अव्यय आदि के शिष्ट और शुद्ध प्रयोग इन्होने निर्धारित किये हैं । यद्यपि विकासशील भाषा के व्याकरणिक प्रयोगो म कुछ समय बाद कुछ अन्तर आने लगता है, किन्तु उसके मानक स्वरूप की रक्षा के लिए उस अन्तर को समझना और पूर्ववर्ती व्याकरणिक नियमो की कसौटी पर कसना आवश्यक होता है । हिन्दी के विषय मे भी यह बात लागू होती है । हिन्दी व्याकरण मे भी धीरे धीरे कुछ परिवर्तन लक्षित हुए हैं, किन्तु व सर्वग्राह्य हो जाने पर ही मानक हिन्दी ने स्वीकार किए हैं ।

लिपि सम्बन्धी विशेषता—

हिन्दी भाषा देवनागरी (या नागरी) लिपि मे लिखी जाती है । यह लिपि पूर्णत वैज्ञानिक लिपि है । प्रत्येक उच्चारण को पूर्णत शुद्ध रूप मे प्रस्तुत करने की इस लिपि म बहुत बडी क्षमता है । मानक हिन्दी की यह विशेषता है कि वह लिपि की वैज्ञानिकता के अनुरूप शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लेखन पर निर्भर है । उसके प्रत्येक प्रयोग मे लिपि का अनुसरण होता है । सभी स्वर-व्यजन विसर्ग तथा अनुस्वार ध्वनियो का शुद्ध रूप मे लेखन-कार्य इस लिपि मे सपादित होता है । अत मानक हिन्दी का लिपिबद्ध स्वरूप उसके उच्चरित स्वरूप से भिन्नता नही रखता । टकण तथा मुद्रण का बहाना करके कुछ विद्वानो ने देवनागरी लिपि मे परिवर्तन सुझाए और उनके प्रयोग भी होने प्रारम्भ हुए तथा यदा कदा पाठय पुस्तको मे भी किए जाने लगे है, किन्तु उनसे मानक हिन्दी का स्वरूप विकृत होता है तथा शब्दो के अर्थ भी बदल जाते हैं । अत लिपि मे परिवर्तन करना न्याय-सगत नही है ।

तृतीय अध्याय

मानक हिन्दी वर्तनी की समस्या एव शब्द-प्रयोग

मानक हिन्दी वतनी की समस्या —जैसाकि पहले कहा जा चुका है, हिन्दी एक विशाल क्षेत्र की भाषा है। इस क्षेत्र मे बिहार उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित है। इन राज्यो मे अनेक बोलियां पाई जाती है, जिनसे हिन्दी का विकास हुआ है। अपभ्रंश की तद्भव-प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम करती हुई हिन्दी भाषा संस्कृत की तत्सम प्रवृत्ति से समृद्ध हुई है। इसके विकास का इतिहास लगभग चौदह शताब्दियो तक फैला हुआ है। इस प्रकार क्षेत्र की विशालता तथा काल-क्रम की दीर्घता के कारण हिन्दी की एकरूपता एव वतनी पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े है। फलत कुछ ऐसी समस्याए उत्पन्न हो गई है, जिनके समाधान खोजना आवश्यक हो गया है। ये समाधान हिन्दी भाषियो एव भाषाविदो से पर्याप्त सावधानी की अपेक्षा रखते हैं।

प्रत्येक भाषा शब्द भण्डार एव सुस्थिर व्याकरण से समृद्धि प्राप्त करती है। हिन्दी भाषा के पास इतना शब्द भण्डार है कि वह विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा की तुलना मे श्रेष्ठ सिद्ध हो सकती है। उसका व्याकरण भी पर्याप्त सुस्थिर है। यह सब होते हुए भी उसकी एकरूपता प्रभावित हो रही है और वतनी की समस्याए भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे यह कहने मे तनिक भी सकोच नही कि जब हिन्दी का शिक्षण हिन्दी प्रदेशो मे अनिवार्य नही था, तब उसकी एकरूपता और वतनी की उतनी समस्याए नही थी, जितनी समस्याए उनकी अनिवार्य शिक्षा के प्रसार के बाद बढ़ी हैं। इसके कई कारण हैं।

राजनैतिक कारणो से आजादी के बाद यह प्रचार हर प्रांत मे बराबर किया जा रहा है कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है। यह प्रचार गलत नही है। हिन्दी-प्रदेशो की मातृभाषा हिन्दी है, किन्तु वह मातृ-बोली नही है। बोली के उच्चारण मे हम अपनी क्षेत्रीयता सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र हैं, किन्तु जब बोली भाषा बनती है, तब उसको एक सुस्थिर व्याकरण का आधार लेना पडता है तथा क्षेत्रीय बोली गत विभिन्नताएँ त्यागनी पडती हैं। यह त्याग किए बिना कोई भी भाषा समृद्ध नही हो सकती। हिन्दी की समृद्धि के पीछे यही त्याग रहा है। हिन्दी प्रदेशो की सभी बोलियो ने क्षेत्रीयता अपने तक सीमित रखकर अपनी शब्द-सम्पदा तथा व्याकरणिक निष्ठता का हिन्दी को अवदान किया है।

शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ राजनैतिक कारणो से आजादी के बाद जब से यह धारणा फैलाई गई कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है अत हम उसे चाहे जैसे बोलें लिखें, तब से हिन्दी की एकरूपता को खतरा पैदा हुआ है और वर्तनी की समस्याएँ बढ गई हैं।

जब किसी का हिन्दी शब्दो और वाक्यो की एकरूपता या वर्तनी के विषय म सचेत किया जाता है तब यह विरोधी स्वर तेज हो जाता है कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है, तो हम जैसे बोलते हैं वही शुद्ध है। एक अन्य कारण यह नारा भी है कि हिन्दी म जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है। वस्तुत यह नारा उल्टा बना दिया गया है। सही स्थिति यह है कि हिन्दी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसका कारण यह है कि हिन्दी की लिपि 'देवनागरी' बहुत वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि मे जितनी ध्वनियो को अंकित करने के लिए वर्ण हैं उतने ससार की किसी अन्य लिपि म नही हैं। ससार की सभी भाषाएँ भारत की उन भाषाओ से ईर्ष्या करती हैं जिनम नागरी लिपि का प्रयोग होता है। यत्र-युग की सभ्यता ने जहाँ भाषाओ को बिगाडा है, वही लिपियो को बिगाडना भी आरम्भ कर दिया है। जो देश अँगरेजो के उपनिवेश रहे हैं वहाँ-वहाँ की भाषाएँ भी अँगरेजी भाषा का उपनिवेश बन गई हैं और जैसा तथा जिस दिशा मे अँगरेजी भाषियो ने चाहा है उन देशो की भाषाओ और उनकी लिपियो को नचाया है। यह ठीक है कि भारत राजनैतिक दृष्टि से हजार वर्षों तक गुलाम रहा किन्तु उसकी भाषाएँ और लिपियाँ इस दीर्घावधि म भी स्वतंत्र रही थी। किन्तु आजादी के बाद भारत की सभी भाषाएँ और लिपियाँ अँगरेजो की गुलाम बन गई हैं। यह कथन विचित्र अवश्य लगता होगा, किन्तु एक ऐतिहासिक सत्य है। इसी सत्य ने हिन्दी की एकरूपता और वर्तनी को प्रभावित किया है तथा देवनागरी लिपि को अवैज्ञानिक बनाने की कोशिश की है। यहा

जाता रहा है कि देवनागरी लिपि टंकण के अनुकूल बनाई जा रही है, मुद्रण मे सुविधाएँ पैदा की जा रही हैं। किन्तु परिणाम बहुत घातक हुए हैं। ये सभी परिणाम हिन्दी भाषा की एकरूपता के निरंतर ह्रास तथा वतनी की बढ़ती हुई समस्याओं के रूप मे प्रतिफलित हो रहे हैं।

मैंने आरम्भ मे बताया है कि हिन्दी क्षेत्र की बोलियो के आधार पर विकसित हिन्दी उन्ही बोलियों की ओर लौटाई जा रही है, जो घातक स्थिति है। किसी शब्द का उच्चारण सभी बोलियो मे समान नही हो सकता। यदि समान होने लगे तो फिर वे बोलियाँ ही क्या रहीं? फिर तो वे एक भाषा ही बन गई। किन्तु जब वह शब्द उन बोलियो से विकसित भाषा मे आता है, तब उसे क्षेत्रीय प्रभाव छोड़ देने पड़ते हैं। 'तम' को किसी हिन्दी बोली मे 'तम" बोल सकते हैं किन्तु *हिन्दी भाषा मे उस बोली वाले व्यक्ति को "तुम' बोलने का अभ्यास करना ही* पड़ेगा। इसी अभ्यास का नाम शिक्षा है। अगर 'शर्मा जी" को सर्माजी' या 'सरमा जी' बोलने की छूट यह कहकर दी जाए कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं वही शुद्ध हिन्दी है तो यह आत्मघाती प्रयास होगा। दुःख है कि ऐसे प्रयास बहुत हो रहे हैं। हम शब्द के स्रोत को भूल कर स्थानीय उच्चारण को ही प्रमाण मानकर हठ करते हैं कि 'अञ्जलि' नहीं 'अजली' शुद्ध है। 'अन्तर्धान' को 'अन्तर्ध्यान' बना देते हैं। रचयिता 'रचियता' हो जाता है और 'स्वर्गीय महादेवीजी' 'सरगीय महादेवी होकर कवयित्री से 'कवियत्री' बन जाती है। कोई आश्चर्य नही कि कोई अपनी नासिका पर भी थोड़ा ज्यादा बल देकर उन्हे 'कवियत्री बना डाले। बहुवचन के 'बन्धुओ' और 'मित्रो' को हटा ही चुके हैं। 'शाप' को 'श्राप' बना दिया गया है और 'रखा चखा' जैसे शब्द 'रक्खा' और 'चक्खा' बन गए हैं। इस प्रकार प्रान्तीय उच्चारणों की स्वतन्त्रता इतनी बढ़ती जा रही है कि आज यह कहना एक खतरा उठाना बन गया है कि अमुक शब्द शुद्ध नही, अमुक शुद्ध है।

टंकण यन्त्र की सुविधा के लिए लिपि की जो काट छाँट हुई है तथा मुद्रण मे उसका जो अनुकरण आया है, उसमे सुविधावाद इतना बढ़ गया है कि अंगरेजी की तरह शब्द की वतनी कुछ होती जा रही है और उच्चारण कुछ होता जा रहा है। अब आप किसी तारघर मे बाबू को 'हँस मुख' नही हस मुख' देखते हैं क्योकि उसके पीछे दीवार पर ऐसी ही तख्ती लटक रही होती है।

समस्या शब्दों को ही नहीं वाक्यों की रचना पर भी अनेक प्रभाव पड़े हैं और गुलाम रहे देश की आजाद हिन्दी ने बिहार से जैसलमेर तक तथा शिमला

से रायपुर तक वाक्यों के स्वरूप मे इतने अतर पैदा कर दिये हैं कि अहिन्दी भाषी की समझ मे ही नही आ पाता कि वह हिन्दी के नाम पर किस वाक्य को किस प्रकार लिखे और किस प्रकार पढ । चलचित्र और दूरदर्शन की मेहरबानी इतनी बढ गई है कि हिदी हिन्दी न रह कर या तो अंग्रेजी बनती जा रही है या वह बगला और पजाबी की खिचडी हो गई है । कोई 'तुमने कहाँ जाना है ?' पूछता है तो कोई "हमने उत्तर नही देना मांगता ।" कह कर पीठ फेर लेता है । यदि इन महाशयो से कहिये कि कृपा करके हिन्दी भाषा को मत बिगाडिय, तो व अपने बहुमत की धमकी दिखाते है और यह कह कर आखे तरर लेते है कि "ओ बाबू ! हिन्दी तुम्हारी ही जबान नही है ।

प्रश्न यह रह गया है कि हिन्दी का भावी स्वरूप क्या होगा ? क्या वह एक भाषा के रूप म जीवित रह पायगी या कभी बोलियो की कबड्डी म और कभी अन्य प्रदेशो की भाषाओ म घुलमिल कर अपना अस्तित्व ही खो देगी ? सबसे बडा खतरा उसकी एकरूपता और वतनी के लिए अंग्रेजी की छाया म दिखाई देता है । गुप्तजी गुप्ताजी हुए, मिश्र मिश्रा, अशोक अशोका और रामजी-रामाजी तो क्यो हुए ? अग्रेजी ने चाहा इसीलिए तो ! पिता जाते थे अब पिता जाता है और मा अम्मा तो थी, पर अब मम्मा हो गई है । ऐसी जो भीषण स्थितियाँ हिन्दी भाषा की एकरूपता और वतनी के माग मे आ रही हैं, उन पर सावधानीपूवक विचार करने की आवश्यकता है और यह देखने की स्थिति आती जा रही है कि कही ज्ञान की खिडकियाँ खोलते-खोलते हम बुद्धि के दरवाजे ही बन्द न कर डालें ।

मानक हिन्दी के ज्ञान के लिए इस प्रकार की समस्याओ को समझ लेना बहुत आवश्यक है । यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे है, जिनसे उनके शुद्ध रूपा की पहचान का अभ्यास हो सके । पद या वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग, समान लगने वाले शब्दो के अर्थान्तर पर्याय, विलोम आदि का ज्ञान हो जाने पर भाषा प्रयोग सम्बन्धी अनेक समस्याएँ दूर हो सकती हैं । आगे के कुछ पृष्ठो मे इन्ही विषयो के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं ।

शब्दों के शुद्ध रूपों की पहचान

अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
अनाधिकार	अनधिकार	छमा	क्षमा
अध्यात्मक	आध्यात्मिक	जेष्ट	ज्येष्ठ
अनिष्ठ	अनिष्ट	जोतसना	ज्योत्स्ना
अध्यन	अध्ययन	दाइत्व	दायित्व
अनुयाई	अनुयायी	पुष्ठ	पुष्ट
अस्थान	स्थान	प्रष्ट	पृष्ठ
अनुग्रहीत	अनुगृहीत	प्रसशा	प्रशंसा
अन्तर्ध्यान	अन्तर्धान	पूज्यनीय	पूजनीय
आकाछा	आकांक्षा	प्रशाद/परशाद	प्रसाद
ईर्षा	ईर्ष्या	प्रथक	पृथक्
उपरोक्त	उपर्युक्त	प्रर्दशिनी	प्रदर्शनी
उज्वल	उज्ज्वल	फाल्गुण	फाल्गुन
क्रपा	कृपा	बृज	ब्रज
ऐक्यता	एकता, ऐक्य	बृजभाषा	ब्रजभाषा
कवियत्री	कवयित्री	महत्व	महत्त्व
कैलाश	कैलास	महात्म	माहात्म्य
कनिष्ट	कनिष्ठ	महगा	महँगा
कृत्यकृत्य	कृतकृत्य	यथेष्ठ	यथेष्ट
क्षत्र	छत्र	लच्छन	लक्षण
क्षात्र	छात्र	व्याहार	व्यवहार
छत्रिय	क्षत्रिय	वागमय	वाङ्मय
गरुण	गरुड़	वास्तविक में	वास्तव में
गरिष्ट	गरिष्ठ	संतुष्ठ	संतुष्ट
गौड़	गौण	संग्रहित	संगृहीत
घनिष्ट	घनिष्ठ	संमान	सम्मान
चिन्ह	चिह्न	सिंघ	सिंह
स्थाई	स्थायी	षष्ठम	षष्ठ
सप्ताहिक	साप्ताहिक	स्ययंवर	स्वयंवर
समुद्रिक	सामुद्रिक	हस्ताक्षेप	हस्तक्षेप
संयास	संन्यास	हितैशी	हितैषी
शृंगार	शृंगार	हितेच्छुक	हितेच्छु

मानक हिंदी में पद या वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग

यहाँ कुछ ऐसे पद या वाक्य प्रस्तुत हैं जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है —

आलोचना करने वाला	आलोचक
जिसको आश्वासन दिया जा चुका है	आश्वस्त
रुपये पैसे से सम्बन्धित	आर्थिक
ऊपर चढ़ने वाला	आरोही
अत्याचार करने वाला	आततायी
जिसकी इच्छा की जाय	इच्छित
किसी वस्तु से परे	इतर
इतिहास जानने वाला	इतिहासज्ञ
जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है	इन्द्रियजित जितेन्द्रिय
इन्द्रियों से परे	इन्द्रियातीत
जिससे ईर्ष्या की गयी हो	ईर्षित
ईर्ष्या के योग्य	ईर्ष्य
उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील	ईहार्थी
जिस पर उपकार किया गया हो	उपकृत
उत्तेजित कर देने वाला	उत्तेजक
स्मृतिस्वरूप दी जाने वाली भेंट	उपायन
उदाहरण के रूप मे रखा हुआ	उदाहरणार्थ
जिसका चरित्र उदार है	उदारचरित
ऊपर लिखा हुआ	उपरिलिखित
किसी की हँसी उड़ाना	उपहास
जिसकी उन्नति हो चुकी हो	उन्नत
ऊपर कहा हुआ	उपयुक्त
क्रमश अधिक होता है	उत्तरोत्तर
जिसकी उपेक्षा की गयी हो वह पुरुष	उपेक्षित,
जिसकी उपेक्षा की गयी हो वह स्त्री	उपेक्षिता
बड़े वंश मे उत्पन्न	उच्चकुलोद्भव
उल्लेख के योग्य	उल्लेख्य उल्लेखनीय
अत्यन्त रूपवती स्त्री	रूपसी
रूप से पैसा कमाने वाली स्त्री	रूपाजीवा

रचना करने वाला	रचयिता
रचना करने वाली	रचयित्री
निर्माण प्रधान कार्यक्रम	रचनात्मक कार्यक्रम
जिस स्त्री को मासिक धर्म हो	रजस्वला
जिसको देखकर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जायें	रोमांचकारी
खून की तरह लाल	रक्तिम
जो खाली हो चुका हो	रिक्त
संस्कार और परम्परा द्वारा प्राप्त	परम्परागत
जिसकी रक्षा की जानी चाहिए	रक्षणीय
जो रूप के प्रति आसक्त हो	रूपासक्त
जो नया-नया भरती हुआ हो	रंगरूट
राष्ट्रसम्बन्धी	राष्ट्रीय
राष्ट्र की उन्नति	राष्ट्रोन्नति
किसी वस्तु को अपने भीतर से निकाल फेंकना	रेचन
अभिनय द्वारा जीविका प्राप्त करने वाला	रंगोपजीवी
हिसाब किताब लिखने वाला	लेखापाल
जो लिखना चाहिए	लेख्य
लोक से सम्बन्धित	लौकिक
लोहे के समान कठोर और दृढ़ पुरुष	लौह पुरुष
चेहरे की लुनाई	लावण्य
जिसका पेट लम्बा हो	लम्बोदर
पाने की इच्छा	लिप्सा
ग्रामीण जनता के बीच गाया जाने वाला गीत	लोकगीत
बड़े को छोटा करना	लघूकरण
जिसकी बुद्धि छोटी हो	लघु बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि
उपन्यास लिखने वाला	उपन्यासकार
ऊपर की ओर जाने वाला या मुखवाला	ऊर्ध्वमुखी
जिस धरती में कुछ नहीं उपजे	ऊसर (अनुर्वर)
दिन भर में एक बार भोजन करने वाला	एकाहारी
इस प्रकार की	एतादृशी
जिसमें किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो	एकांगी
जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो	एकाग्र
भौतिक सुख सुविधा, समृद्धि से युक्त	ऐश्वर्यशाली

भोग विलास करने वाला	ऐय्यास, भोगी
एकता की भावना	ऐक्य
इच्छा पर निभर	ऐच्छिक
बहुत अधिक दान देने वाला	औढरदानी
उद्योग से सम्बन्ध रखने वाला	औद्योगिक
जो पसा खच करने मे कजूसी कर	कृपण
जो किसी काय म लगा हुआ हो	कत्तव्यरत
काम करने वाला	सक्रिय, कमशील
थाडा सा	किंचित
किसी काय म प्रवीण	कुशल, दक्ष
किसी वस्तु को जानने की इच्छा	कुतूहल, जिज्ञासा
कण्टका से घिरा हुआ	कण्टकाकीर्ण
कासे का बना हुआ बतन	कास्य
लकडी की सुन्दर वस्तुएँ बनाने की कला	काष्ठ कला
कष्ट देने वाला	कष्टप्रद
जो यह निर्णय नही कर पाया कि क्या करना चाहिए	किंकत्तव्यविमूढ
जिस पर सवारी की जाय	वाहन
बहुत अधिक खच होन पर जो हा सके	व्ययसाध्य
व्यथ की बहस	वितडावाद
बहस करने वाला	विवादी
वद जानने वाला	वेदज्ञ
बहुत पढी लिखी स्त्री	विदुषी
जो डिग चुका हो	विचलित
बिल्कुल भटका हुआ पागल जसा	विभ्रात
दूसरी जाति का	विजातीय
बहुत अधिक घृणा	वितृष्णा
जो बाँट दिया जा चुका हो	वितरित
बहुत अधिक फैला हुआ	विस्तृत
जिसके हाथ म वज्र हो	वज्रपाणि
जिसके हाथ मे वीणा हो	वीणापाणि
जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हो	विख्यात
जिसका कोई अग टेढा मेढा या कटा हुआ हो	विकलाग
जिसका वर्णन नही किया जा सके	वर्णनातीत

जो वचन से परे हो	वचनातीत
जो व्याकरण जानता हो	वैयाकरण
जिसकी नजर सीधी न हो	वक्रदृष्टि
व्याख्यान करने वाला व्याख्यान देने वाला	व्याख्याता
व्यवसाय से सम्बन्धित	व्यावसायिक
जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो	विशेषज्ञ
जिसके कन्धे बैल की तरह मजबूत हो	वृषस्कन्ध
विद्या ही जिसका व्यसन हो	विद्याव्यसनी
जिसमें वस्तु की ही प्रधानता हो	वस्तुनिष्ठ
जो बालिग हो युवा हो	वयस्क
जिसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका हो	विज्ञापित
जो गाया नहीं गया हो	अगीत
बेचैनी का भाव	अकुलाहट
जो चाहा नही गया हो	अनचाहा
जो बातें कही नही गयी हैं	अनकही
जो सब सहा नही जा सके	असह्य
जो गिना नही जा सके	अगणित, अनगिनत
जिसका पार नही पाया जा सके	अपार
किसी आधार पर टिका हुआ	अवलम्बित
नीचे की ओर जिसका मुँह है	अधोमुख अधोमुखी
बहुत अधिक	अतिशय
लालन पालन देखभाल करने वाला	अभिभावक
जो पहले कभी सुना नही गया	अश्रुतपूर्व
जिसका जन्म नही हुआ	अजन्मा अज्ञात
जिसको नही खाना चाहिये	अखाद्य
जिसका शत्रु उत्पन्न नही हुआ	अजातशत्रु
आगे-आगे चलने वाला	अग्रसर
आगे आगे सोचने वाला	अग्रसोची
बहुत दूर तक नहीं देखने वाला	अदूरदर्शी
कंठ तक डूबा हुआ	आकंठनिमग्न
सिर से पैर तक	आपादमस्तक
हिमालय से सेतुबन्ध (रामेश्वरम) तक	आसेतु हिमालय
जो ईश्वर के अस्तित्व मे विश्वास रखता है	आस्तिक

अतिथि-सत्कार की भावना	आतिथ्य
किसी आधार पर निर्मित	आधृत
ईश्वर, धर्म दर्शन, आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति	आध्यात्मिक प्रवृत्ति
अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजों की सभ्यता का प्रभाव	आँग्ल प्रभाव
जिसकी आलोचना की जाय	आलोच्य
जिसकी आलोचना की जा चुकी है	आलोचित
जो नहीं जानता है	अनजान
जो परिचित नहीं है	अपरिचित
जो स्थिर नहीं है	अस्थिर
जिसके शरीर पर मांस है ही नहीं केवल हड्डी ही बच गयी है	अस्थिशेष, कंकाल
जिसे देखा नहीं जा सकता, नहीं देखा गया	अदृश्य, अदृष्ट
जो पूरा नहीं हुआ है	अपूर्ण अधूरा
जिसके हाथ में अधिकार है	अधिकारी
जिस पर अधिकार प्राप्त किया जा चुका है	अधिकृत
बहुत अधिक परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति	अध्यवसायी
जिसका अपमान हो चुका है	अपमानित
जिसका आदर नहीं हुआ	अनादृत
जो प्रकाशित नहीं हुआ है	अप्रकाशित
हिसाब किताब की जाँच करना	अंकेक्षण
जिसको पार किया जा चुका है	अतिक्रांत
जिसको जीता नहीं जा सकता	अजेय
जिसको पार करना प्राय असम्भव हो	असम्भवप्राय
जो तृप्त नहीं हुआ हो	अतृप्त
जो किसी सभा या संस्था का प्रधान हो	अध्यक्ष
जो डिग नहीं सकता	अडिग
जिसकी थाह लगाना कठिन है	अथाह
जिसका मूल्य नहीं दिया जा सकता	अमूल्य
जिसकी तुलना नहीं की जा सकती	अतुलनीय
"हाँ-ना" का निर्णय नहीं हो पाना	असमंजस
जिसका निर्णय नहीं हुआ हो	अनिर्णीत
कड़वी बातें बोलने वाला	कटुभाषी
मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लँगोटी	कोपीन

जिसका स्वाद कसैला हो	कषाय
अलग अलग कोटियों में डालने की क्रिया	कोटिकरण
विवाह के पूर्व की अवस्था	कौमार्यावस्था
जो राग भोग में मस्त रहता हो	कामी
जो पुरुषत्व-हीन हो	क्लीव
जो कुशल की अभिलाषा करता हो	कुशलाभिलाषी
अधिक खर्च करने वाला	खर्चीला
आकाश में उड़ने वाला	खेचर
खड्ग धारण करने वाली स्त्री	खड्गधारिणी
खोज करने वाला	खोजी
खाने योग्य	खाद्य
दूर देखने का यन्त्र	दुर्बीन
अपना ही स्वार्थ देखने वाला	स्वार्थी
जो गुप्त रखना चाहिए	गोपनीय, गोप्य
गाय की पूँछ की तरह	गोपुच्छवत्
गायों की जमाव या बैठने की जगह	गोष्ठी, गोष्ठ
जो गलत रास्ते पर चल रहा हो	गुमराह
गाँजा पीने का अभ्यस्त	गजेड़ी
बहुत अधिक गप्पें करने वाला	गप्पी
जिसकी आँख बड़ी तेज हो, जो छोटी छोटी वस्तुओं को भी शीघ्रता से देख लेता हो	गृद्ध दृष्टि
गाने वाला	गायक
गर्मी की छुट्टियाँ	ग्रीष्मावकाश
किसी ध्वनि से गूँजा हुआ	गुँजायमान
समुद्र में गोता लगाने वाला	गोताखोर
जिसकी निन्दा की जाती हो	गर्हित
घरबार की चिन्ता और परिवारों के सदस्यों के उचित कर्त्तव्य का भाव	गार्हस्थ्य
घृणा के योग्य	जघन्य
चलने-फिरने वाला	जंगम
जल में चलने वाला	जलचर
बीभत्सता का भाव	जुगुप्सा
जानने की इच्छा रखने वाला	जिज्ञासु

जीतने की इच्छा	जिगीषा
जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है	जितेन्द्रिय
बेटी का पति	जामाता
झगड़ा करने वाला	झगड़ालू
झमेला करने वाला	झमेलिया
टाइप करने की क्रिया	टंकण
टाइप करने वाला	टंकक
चाल-ढाल का बनावटीपन जिससे रूप-धन आदि का गर्व सूचित हो	ठसक
ठेके का काम करने वाला	ठेकेदार
जिसको देखकर डर लगे	डरावना, भयानक
व्यर्थ का प्रपंच	ढकोसला
किसी कार्य को मुस्तैदी के साथ करने वाला	तत्पर
ऐसी फसल जिससे तेल निकाला जाता है	तिलहन
तैरने की कला में निपुण	तैराक
किसी नदी या सागर के तट पर स्थित	तटवर्ती
जो किसी का पक्ष न ले	तटस्थ
तप करने वाला	तपस्वी
जो सब कुछ छोड़ दे	त्यागी
छोड़ देने योग्य	त्याज्य
जिसको छोड़ दिया गया हो	त्यक्त
तेज से युक्त	तेजस्वी
हाथ की सिलाई	तुरपाई, तुरपन
तीर चलाने में कुशल	तीरंदाज
तैरने की इच्छा	तितीर्षा
किसी वस्तु का चौथा हिस्सा	चौथ
चिंता में डूबा हुआ	चिन्तित
जिसके हाथ में चक्र हो	चक्रपाणि
चंचल होने का भाव	चांचल्य
चपलता का भाव	चापल्य
राजाओं और सामंतों के पीछे चलने वाला और उनका गुणगान करने वाला	चारण
चरित्र की उच्चता	चारित्र्य

धुएँ से भरा हुआ	धूमाच्छादित
मटमैले रग का	धूसर
बीडी सिगरेट, तम्बाकू आदि पीना	धूम्रपान
धारण करने वाली	धारयित्री
असली का उल्टा	नकली
जो नकल करता है	नकलची
नगर म रहने वाला	नागरिक
नरक सम्ब धी	नारकीय
तत्व जानने वाला	तत्वज्ञ
जिसमे कोई सार न हो	थोथा, निस्सार
खूब मोटा आदमी जिसका बदन खूब मुलायम हो	थुलथुल, मोटू
बडे लोगो को भेंट म दी जाने वाली धनराशि	थैली
जो दूसरो को रुपया पैसा देता हो	दानी, दाता
सकीर्ण विचारो का व्यक्ति	दकियानूस
दो पैरो वाला जानवर	द्विपद
दस मुँह वाला रावण	दसानन दशमुख
जिसको दबाना कठिन हो	दुदम्य
जिसको लाँघना कठिन हो	दुर्लंघ्य
जिसका दो बार जन्म हुआ हो	द्विज
जिसका दमन किया गया हो	दमित
जिसको रौंदा गया हो	दलित
जिसको समझने मे कठिनाई हो	दुर्बोध
जिसको करने मे कठिनाई हो	दुष्कर
रोज-रोज के जीवन से सम्बद्ध	दैनन्दिन
प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार चित्र	दैनिक
देह से सम्बद्ध	दैहिक
देवताओ से सम्बद्ध	दैविक
एक विशेष प्रकार से देखना	दृष्टिकोण
आँख की बीमारी	दृष्टिदोष
चमकता हुआ	दीप्त
जिसे दुहा जा चुका हो	दोहित
जिसको दण्ड दिया जा चुका हो	दण्डित
जिस काय मे सफलता पाना कठिन हो	दु साध्य

जो बहुत बडा नही है	नातिदीर्घ
जो आसानी से भुकाया जा सके	नमनीय
सुबह शाम किया जाने वाला हल्का भोजन	नाश्ता, कलेऊ, बियालु
जो किसी से डरता नही है	निर्भीक
जिस ईश्वर पर विश्वास नही है	नास्तिक
जो अभी-अभी आया है	नवागन्तुक
जो तुरन्त उत्पन्न हुआ है	नवजात
जिसका तुरन्त उदय हुआ है	नवोदित
रात म चलने वाला राक्षस	निशाचर
आकाश मे चलने वाला	नभचर, नभचारी
जो निर्देश देता है	निर्देशक,
जिसकी जड नही है	निमू ल
जिसकी उपमा न हो	अनुपम
बिना पलक गिराये,	निर्निमेष
जो नीति जानता है	नीतिज्ञ
मनुष्यो मे नीच	नराधम
जो वस्तु देवता पर चढ चुकी है	निर्माल्य
नवविवाहिता स्त्री	नवोढा
जिसको पीने की इच्छा हो	पिपासु
जो पिया जा सके	पेय
जो पचा दे	पाचक
जिस कक्ष या भवन मे भोजन बनता हो	पाकशाला
जिसके आर पार दिखाई दे	पारदर्शी
जो स्वीकृत किया जा चुका हो	पारित
केवल फल खाकर रहने वाला	फलाहारी
जिस आदमी के कपडे फटे-चिथे हो	दरिद्र, फटेहाल
परिणाम का मोह रखने वाला	फलासक्त
जिसकी किस्मत खराब हो	बदकिस्मत, बदनसीब
जिसे कोई तमीज न हो	बदतमीज
जोरो की भूख	बुभुक्षा
बहुत जानने वाला	बहुज्ञ, बहुविद्
बहुत प्रकार के रूप धारण करने वाला	बहुरूपिया
बहुत से लोगो की एक राय	बहुमत

वन का पशु	वनैला
नि सन्तान स्त्री	वंध्या
बहुत अधिक बोलने वाला	बातूनी ब
बहुत सी भाषायें जानने वाला	बहुभाषावि
समुद्र की आग	बड़वाग्नि
जिस समाज मे बहुत सी पत्नियाँ रखी जाती हैं	बहुपत्नीसम
वध करने वाला	वधिक
कायदे के साथ	बाकायदा
जिसने बहुत सुन रखा है	बहुश्रुत
जो एक ही साथ बहुत काम करता हो	बहुधंधी
बहुत अधिक मूल्य वाली वस्तु	बहुमूल्य
बाधा डालने वाला	बाधक
बच्चों के काम की वस्तु	बालोपयोगी
नही पचने की बीमारी	बदहजमी
बाप द्वारा अर्जित अपनी सम्पत्ति	बपौती
बहुत अधिक जिसकी चर्चा हुई हो	बहुचर्चित
विचित्र आकार-प्रकार का	बेडौल
किसी विशेष अवसर पर या विशिष्ट सामग्री के साथ प्रकाशित किसी पत्रिका का अंक	विशेषांक
एक स्थान पर केन्द्रित शक्तियों और अधिकारों को क्रमश बाँट देना	विपयस्त
जो बिल्कुल बिसर गया हो	विपयस्त
जिसको ग्रहण करना अपने मन पर हो	वैकल्पिक
बिल्कुल प्रतिकूल होने का भाव	वैपरीत्य
जिसकी किरणें फैल चुकी हो	विकीर्ण
जो पार कर चुका हो	पारगत
किसी विषय की पूरी छानबीन करना	मीमांसा
जिसका आकार बिगड़ चुका हो	विकृत
जिसका रूप बिगड़ चुका हो	विरूप
जो सम्पन्न नही हो सका हो	विपन्न
किसी विषय का खण्ड खण्ड कर अध्ययन	विश्लेषण
जो बहुत अधिक थका हो	विश्रांत
जो बिल्कुल लुप्त हो चुका हो	विमग्र

जो काम वासना में लिप्त रहता हो	विषयी
जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो	विस्थापित
जो सदा रहे	शाश्वत
सोने का कमरा	शयनागार
शिक्षा से सम्बन्धित	शैक्षणिक
बचपन की अवस्था	शैशव
पर्वत की बेटी	शैल-सुता
पर्वतों की कतार	शैल-श्रेणी, शैलमाला
शास्त्र से सम्बन्धित	शास्त्रीय
जिसको शाप दिया जा चुका हो	शापग्रस्त
शरण में आया हुआ	शरणागत
जो दूसरों से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है	प्रतिस्पर्द्धी
एक आयोजित बाजार जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन और क्रय विक्रय होता है	प्रदर्शनी
कालेज का प्रधान	प्राचार्य
प्रार्थना करने वाला	प्रार्थी
जो दूसरों पर आश्रित हो	पराश्रित
जो दूसरों के अन्न पर पलता हो	परान्नभोजी
गिरा हुआ	पतित
जो दूसरों की भलाई चाहता है	परमार्थी
दूसरे लोक का	पारलौकिक
जो पार जा चुका है	पारगत
जो आँखों के सामने है	प्रत्यक्ष अपरोक्ष
जो आँखों से ओझल है	परोक्ष
पिता का भाई	पितृव्य
प्रकृति सम्बन्धी	प्राकृतिक
पुरुष का गुण	पुरुषत्व
विशेष रूप से उन्नीत	प्रोन्नीत
प्राप्त करने की इच्छा	प्राप्ति लालसा
देखने योग्य	प्रेक्षणीय
प्रसन्न करने के लिए	प्रीत्यर्थ
बेमतलब का खर्च करने वाला	फिजूलखर्च
बेमतलब का, असंगत	फालतू

फला हुआ	फलित
फेन से भरा हुआ	फेनिल
गर्दन में फंदा डाल लटकाए जाने वाली सजा	फांसी
भूखे रह कर भी मस्त रहना	फाकामस्ती
जो सिर पर धारण करने योग्य हो	शिरोधार्य
शक्ति का उपासक	शाक्त
शांति का दूत	शांतिदूत
शत्रुओं का नाश करने वाला	शत्रुघ्न
वह कमल जिसमें सौ दल हो	शतदल
पर्वत का शीर्षभाग	शिखर
जिसका आचार-विचार शीलयुक्त हो	शीलवान्
जो कल्याणकारी नहीं है	शिवेतर
जो दूसरों पर सन्देह करता है	शकालु, शक्की
जो हो सके जो किया जा सके	शक्य सम्भव
जिसके पास बहुत अधिक शक्ति हो	शक्तिपुंज
जिस पर शासन किया जा चुका हो	शासित
दो विद्वानों के बीच गम्भीर विवाद	शास्त्रार्थ
शास्त्र जिसका समर्थन करे	शास्त्र-सम्मत
चीड़ फाड़ द्वारा की जाने वाली चिकित्सा	शल्य चिकित्सा
जहाँ न अधिक ठंड लगे न अधिक गर्मी	शीत-ताप नियन्त्रित
जाड़े की धूप	शीतातप
शब्द को लक्ष्य बनाकर बेधने वाला	शब्द-बेधी
मल मूत्र त्यागने का स्थान	शौचालय
श्रद्धा के योग्य	श्रद्धेय, श्रद्धास्पद
जिसके माँ-बाप विभिन्न जातियों के हों	संकर
जो बिल्कुल निकट हो	सन्निकट
जो सह सके	सहिष्णु, सहनशील
जिसका क्रम न टूटे	सतत, निरन्तर
जहाँ कई पदार्थों की संधि हो	संधि-स्थल
विभिन्न कालों की संधि	संधिकाल
जहाँ एक ही शब्द के अनेक रूप विभिन्न प्रतिलिपियों में पाये जायें	पाठान्तर
अधिकार प्राप्त वक्ता	प्रवक्ता

पिता की हत्या करने वाला	पितृहन्ता
कीचड से उत्पन्न कमल	पकज
प्रिय बोलने वाली स्त्री	प्रियम्वदा
पूछने योग्य	पृष्टव्य
पशु सम्बन्धी	पाशविक
तुरन्त उत्पन्न होने वाली सूझ बूझ	प्रत्युत्पन्नमति
जिस स्त्री का पति विदेश मे रहता हो	प्रोषितपतिका
जो अभियोग का विरोध करता हो	प्रतिवादी
उत्तर का उत्तर	प्रत्युत्तर
जिसका जन्म पिण्ड से हो	पिण्डज
पृथ्वी का	पार्थिव
जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो	परीक्षित
जो पद स हटा दिया गया है	पदच्युत
एक पद से दूसरे पद पर उन्नति	पदोन्नति
ऐतिहासिक युग के पूर्व का ऐसा दृश्य जिसे देखकर हसा जाय	प्रहसन
जिसका हल जल्दी मालूम न हो	प्रहेलिका
एक ही बात को बार-बार कहना	पुनरूक्ति
जिसको पुरस्कार प्राप्त हुआ है	पुरस्कृत
प्रयोग करने वाला	प्रयोक्ता
जिसका प्रतिपादन किया जाय	प्रतिपाद्य
जिसके आधार पर दूसरो को नापा जाय	प्रतिमान
पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली	परकीया
जिसे प्राप्त करना चाहिये	प्राप्तव्य
पथिक द्वारा मार्ग मे व्यवहार के लिए ली जाने वाली सामग्री	पाथेय
पत्नी के साथ	सपत्नीक
स्त्री के मन मे सौत क प्रति ईर्ष्या का भाव	सापत्न्य/सापत्य
जहाँ सीमा का अन्त होता हो	सीमान्त
जिसकी सीमा ज्ञात हो	ससीम
जिसका अन्त साथ हो	सान्त
परिवार के साथ	सपरिवार
प्रसन्नता के साथ	सहर्ष

दुःख के साथ	सखेद
करुणा के साथ	सकरुण
अपना अभिमान	स्वाभिमान
जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो	स्वयंपाकी
अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त	सुशिक्षित
सुख देने वाला	सुखद
साहित्य के गुण दोषों की विवेचना करने वाला शास्त्र	साहित्य शास्त्र/समीक्षा शास्त्र
जो अच्छी तरह पका हुआ हो	सुपक्व/परिपक्व
एक माँ के पेट से उत्पन्न	सहोदर
जो रचनाओं में संशोधन कर उसे प्रकाशन के योग्य बनाता है	सम्पादक
पसीने से उत्पन्न	स्वेदज
जो स्वयं पैदा हुआ	स्वयम्
जिसमें कामना मौजूद है	सकाम
जिसमें दोष हो	सदोष
नहाने का स्थान	स्नानागार
स्वभाव से उत्पन्न	स्वभावज
अपनी इच्छा से चलने वाला	स्वेच्छाचारी
एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना	स्थानान्तरण
जो स्थिर रहता हो	स्थावर
बेकार अधिक बोलने वाला	बक्की
खूब चटकीला	चटकदार
भटका हुआ	भ्रान्त
भाँग खाने वाला	भंगड़ी
भजन कीर्तन करने वाला	भजनीक
भोग के योग्य	भोग्य
खाने के योग्य	भोज्य
भारतवर्ष का	भारतीय
जो भार-जैसा लगता हो	भारस्वरूप
डरा हुआ	भीत
जिसे देखकर भय हो	भयानक भयावह
भ्रम पैदा करने वाला	भ्रमोत्पादक

किसी बडे नगर या भवन का टूटकर बचा हुआ भाग	भग्नावशेष
भाग्य का उदय	भाग्योदय
तोडने वाला	भंजक
जो हो चुका हो	भूतपूर्व
जहाँ भूत रहते हो	भुतहा
जमीन वालो से दान के रूप मे जमीन लेने का आन्दोलन	भूदानयज्ञ
जो प्रकाश युक्त है	भास्कर
भारत और यूरोप की मूलभाषा	भारोपीय भाषा
भार से दबा हुआ	भाराक्रान्त
दीवार पर बनायी हुई तस्वीर	भित्ति चित्र
भाषा का अध्ययन करने वाला विज्ञान	भाषा विज्ञान
भाषा-सम्बन्धी	भाषिक
जो अपनी ही भलाई सोचता हो	स्वार्थी
अपने पर ही अवलम्बित रहने वाला	स्वावलम्बी
स्त्री के समान स्वभाव और आचरण वाला	स्त्रैण
जो दोनो हाथ से तीर चलाता है	सव्यसाची
जो सफल हो चुका हो	फलीभूत
ठगा-सा रह जाना	स्तम्भित
किसी की स्तुति करना	स्तवन
सच के लिए सघर्ष	सत्याग्रह
अपनी जाति का	सजातीय, स्वजातीय
कारण के साथ	सकारण
स्पष्टता के साथ	स्पष्टतः
विभिन्न वस्तुओ का सगृहीत रूप	स्तवक
जो सभी शक्तियो से युक्त हो	सर्वशक्तिमान
जो सब कुछ जानता हो	सर्वज्ञ
जिसका पति जीवित है	सधवा
जो पास ही स्थित है	समीपवर्ती
जो पढना लिखना जानता है	साक्षर
स्वास्थ्य बढाने वाला	स्वास्थ्यवर्धक
एक ही उम्र का	समवयस्क
अपने आप सेवा करने वाला	स्वयंसेवक
जिसने ससार छोड दिया है	सन्यासी

जो बराबर ठंडा और गर्म हो	समशीतोष्ण
अपने अनुकूल	स्वानुकूल
जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता हो	सदाव्रत
स्मरण करने योग्य	स्मरणीय
सबको एक समान देखने वाला	समदर्शी
एक ही समय में वर्तमान	समकालीन
जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करता हो	स्थानापन्न
बहुत अधिक और जल्दी खाना	भकोसना
भूगोल सम्बन्धी	भौगोलिक
भाई भाई जैसा व्यवहार	भाईचारा
सौतेला भाई	भिन्नोदर
भीख मांगने के लिए घूमना	भिक्षाटन
धातु पत्थर आदि की मूर्ति बनाने की कला—	भास्कर्य
जो भण्डार का रक्षक हो	भण्डारी
मछली बेचकर जीने वाला	मत्स्यजीवी
महान् आत्मा	महात्मा
माता की हत्या करने वाला	मातृहन्ता
मनन करने की इच्छा, मनन के साथ विवेचन-	मीमांसा
किसी मत को मानने वाला	मतानुयायी
निर्वाचन में की जाने वाली मतों की गणना	मतगणना
माँस खाने वाला	मांसाहारी
मर्म (हृदय) को छूने वाला	मर्मस्पर्शी, मार्मिक
कम बोलने वाला	मितभाषी
जो मन्त्रणा देता है	मन्त्री
जिस में अधिक माँस हो	मांसल
महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका	मासिक
मनुष्य को छोड़कर	मनुष्येतर
मुक्ति की इच्छा रखने वाला	मुमुक्षु
मदिरा पीने वाला	मद्यप
मरने की इच्छा करने वाला	मरणोन्मुख
मरता हुआ	म्रियमाण
मूर्ति की पूजा करने वाला	मूर्ति-पूजक

मस्ती से भरा हुआ	मस्त
महान् स्त्री	महीयसी
जिसे देखकर या सुनकर हँसी आये	हास्यास्पद
हँसी उत्पन्न करने वाला	हास्यजनक
हाथी बाँधने की जगह	हथसार
जिसके मुख पर सदा हँसी रहे	हँसमुख
हृदय को हरने वाली	हृदयहारिणी
यज्ञ में आहुति के रूप में छोड़े जाने योग्य	हव्य
त्याग करने योग्य	त्याज्य
जो हरण किया जाने योग्य हो	हार्य
भलाई चाहने वाला	हितेच्छु, हितैषी
धुला हुआ	प्रक्षालित
जो क्षति से रक्षा करता है	क्षत्रिय
छोटा मोटा राजा या सामन्त	क्षत्रप
बहुत दुबले शरीर का आदमी	क्षीणकाय
जो क्षमा के योग्य हो	क्षम्य
क्षमा किया हुआ	क्षांत
जिसका क्षय हो रहा हो, होने वाला हो	क्षयिष्णु, क्षीयमाण
क्षमा चाहने वाला	क्षमार्थी
जो किसी काम को करने में समर्थ हो	सक्षम
जिसका हाथ तेजी से चले	क्षिप्रहस्त
तीन व्यक्तियों का समूह	त्रयी
रक्षा करने वाला, त्राण देने वाला	त्राता
भूत, भविष्य, वर्तमान देखने वाला	त्रिकालदर्शी
दैहिक, दैविक और भौतिक संताप	त्रिताप
जो हवा शीतल, मन्द और सुगन्धित हो	त्रिविध वायु
आकाश, धरती और पाताल	त्रिलोक
गलतियों से भरा हुआ	त्रुटिपूर्ण
ब्रह्मा, विष्णु और महेश	त्रिमूर्ति या त्रिदेव
ऐसा नाटक जो दुखान्त हो	त्रासदी
बहुत बड़ा मूल्यवान्	महार्घ
महिलाओं के उपयोग की वस्तु	महिलोपयोगी
खुले हाथों देने वाला	मुक्तहस्त

झूठ बोलने वाला	मिथ्यावादी
मन वचन और कर्म से	मनसा वाचा कर्मणा
कम खाने वाला	मिताहारी
वह स्त्री या गाय जिसका बच्चा मर गया है	मृतवत्सा
दो दलों के बीच स्थित रहने वाला	मध्यस्थ
माता का कुल	मातृकुल
मन की दशा	मन स्थिति
मृग की आँखों की तरह आँखों वाली स्त्री	मृगनयनी
मछली की तरह आँखों वाली स्त्री	मीनाक्षी
घूँसे द्वारा होने वाली लड़ाई	मुष्टि-युद्ध
बिल्कुल नयी या आधारभूत बात	मौलिक
जो कोई बात जल्दी से न कह सके	मुँहदूबर
शिकार के जानवरों से भरा हुआ वन	मृगकानन
मूर्तियों को तोड़ने वाला	मूर्तिभंजक
किसी बात के लिए दूसरे पर आश्रित	मुँहताज
वह फूल जो पूरी तरह न खिला हो	मुकुलित
दोपहर का समय	मध्याह्न
दोपहर के बाद का समय	अपराह्न
मद से अलसाई हुई स्त्री	मदालसा
मछली का भोजन	मत्स्याशन
मछली का भोजन	मत्स्याशन
वह लड़की जिसकी किसी के साथ मँगनी हुई हो	मंगेतर
यश ही जिसकी सम्पत्ति है	यशोधन
जहाँ तक शक्ति हो	यथाशक्ति
जहाँ तक सम्भव हो	यथासम्भव
जो उचित हो	यथोचित
जिसका अनुभव स्वयं किया गया हो	स्वानुभूत
विभिन्न वस्तुओं को एक साथ मिला देना	संश्लेषण
जिसका हृदय पत्थर के समान हो	संगदिल
साथ-साथ रहना	सहअस्तित्व
सन्देश वहन करने वाला	सन्देशवाहक
अच्छी आँखों वाली स्त्री	सुलोचना
अपनी आँखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष	साक्षात्

जिसकी अभिलाषा की जा सके	स्पृहणीय
सेना का सचालक	सेनापति
सेना की शक्ति	सैन्य शक्ति
सिन्धु प्रदेश का घोड़ा या नमक	सैन्धव
स्वतन्त्रता के बाद वाला	स्वातन्त्र्योत्तर
अपने ही सुख के लिए	स्वातः सुखाय
अपना ही बनाया हुआ	स्वनिर्मित
किसी के स्वागत मे गाया हुआ गीत	स्वागत गान
सोने की इच्छा	सुषुप्सा
अच्छी तरह सुना हुआ	सुश्रुत
अच्छा बोलने वाला	सुवक्ता
जो आसानी से पढ़ा जा सके	सुपाठ्य
हाथ का कौशल	हस्तलाघव
एक हाथ से जो दूसरे हाथ म चला गया हो	हस्तांतरित
हृदय फाड देने वाला	हृदय विदारक
हिंसा करने वाला	हिंसक
हृदय की वीणा	हृत्तन्त्री
जो अधिक स्वस्थ हो	हृष्ट पुष्ट
हृदय को प्रसन्न करने वाला	हृदयरंजक
हर्ष से फूला हुआ	हर्षोत्फुल्ल
हाथ का लिखा हुआ	हस्तलिखित
सदा घूमते रहने वाला	यायावर
माँगने वाला	याचक
यज्ञ-सम्बन्धी	याज्ञिक
यज्ञ करने वाला	याज्ञिक
जो यश का स्तम्भ हो	यशोस्तम्भ
यश प्राप्त पुरुष	यशस्वी
यश को धारण करने वाला	यशोधर
युद्ध मे स्थिर रहने वाला	युधिष्ठिर
युवको के लिए जो उचित हो	युवकोचित
क्रम के अनुसार	यथाक्रम
जब तक जीवन है तब तक	यावज्जीवन
युवको के लिए उपयोगी	युवकोपयोगी

चाहे जिस प्रकार से भी हो	येन-केन प्रकारेण
युद्ध की इच्छा	युयुत्सा
जितना चाहिये या जितना इष्ट हो	यथेष्ट
उपयुक्त तर्कसंगत	युक्तिसंगत
युग का प्रवर्तन करने वाला	युग प्रवर्तक
युग की धारा	युगधारा
विवाह में मिला हुआ धन	दहेज
ऐसा मृत व्यक्ति जिसका यश रह गया हो	यश शेष, कीर्तिशेष
जो बात जल्दी समझ में न आये	रहस्य
जो रस का आनन्द लेता है	रसिक
वह सुन्दर स्थान जहाँ घूमा जा सके	रम्य
खून से रँगा हुआ	रक्तरंजित
राजा के प्रति भक्ति	राजभक्ति
राज-कार्य में भाग लेने वाला पुरुष	राजपुरुष
राजाओं के हाथ में रहने वाला दण्ड	राजदण्ड
राजनीति जानने वाला	राजनीतिज्ञ
सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण	त्रिगुण
सताया हुआ	त्रस्त
बहुत अधिक जानने वाला	ज्ञानी बहुज्ञ
जो बताया जा चुका हो	ज्ञापित
ज्ञान की गरिमा	ज्ञान-गरिमा
जानने योग्य	ज्ञातव्य
ज्ञान देने वाली	ज्ञान-[illegible]
जो जाना जा चुका है	ज्ञात
जो जाना जा सके	ज्ञेय
जो ज्ञान में बड़े, ज्येष्ठ हो	ज्ञान-ज्येष्ठ ज्ञान-वृद्ध
जो मर गया हो	स्वर्गवासी
जो युद्ध से डर जाए	कायर
जो किसी अच्छे कार्य के लिए अपनी जान दे दे	शहीद
जो इधर की बात उधर करता हो	नारद
छोटे पन का भाव	लघुता
जो गायब हो चुका हो	लुप्त

विभिन्न प्रकार के अक्षरों का अध्ययन करने वाला शास्त्र	लिपि शास्त्र
जो बहुत धनी हो, जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो	लक्ष्मीपुत्र
छोटे शरीर वाला, दुबला पतला	बौना
सबसे छोटा	लघुतम
बच्चों को सुलाने के लिए माताओं द्वारा गाया जाने वाला गीत	लोरी
दुनिया की लाज या समाज वालों की शर्म	लोकलाज
संसार जिसे माने	लोकमान्य
लोग जिससे सहमत हों	लोकसम्मत
सामान्य जनता के बीच प्रचलित मनोरंजक कहानियाँ	लोककथाएँ
जो चुना जा सके	वरेण्य
वर देने वाला	वरद
सौतेली माँ	विमाता
जो विश्वास के योग्य हो	विश्वसनीय
जिस पर विश्वास किया जा चुका हो	विश्वस्त
जिसकी पत्नी मर गयी हो	विधुर
जिसका पति मर गया हो	विधवा
बिना पत्नी के साथ	विपत्नीक
विपत्ति से उत्पन्न	विपत्तिजन्य
विज्ञान जानने वाला	वैज्ञानिक
विदेश सम्बन्धी	वैदेशिक
वन में उत्पन्न	वनज
बहुत बोलने वाला	वाचाल
बोलने की शक्ति	वाक् शक्ति

शब्द समूह अर्थान्तर

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अधूत	निर्भय, अकंपित	अश्रु	आँसू
अवधूत	संन्यासी	अस्त्र	हथियार
अभय	निर्भय	असित	काला
उभय	दोनों	अशित	भोथरा
अमित	अत्यधिक	अर्घ	मूल्य
अमात्य	मंत्री	अर्घ्य	पूजा सामग्री
अमीत	शत्रु	अविहित	अनुचित
अमित	अपार	अभिहित	उक्त
अब्ज	कमल	अथक	बिना थके हुए
अब्द	बादल वर्ष	आकार	रूप सूरत
अकथ्य	जो कहा नहीं जाय	आभरण	गहना
अध्ययन	पढ़ना	आमरण	मरण तक
अध्यापन	पढ़ाना	आहरण	हरना,
अवधान	मनोयोग	आयत	लम्बा चौड़ा
अवदान	प्रशंसित कार्य की देन	आयात	बाहर से आना
अलक	बाल	आर्त	दुःखी
अलिक	ललाट	इति	अन्त
अलीक	झूठ	आर्द्र	गीला
अयश	अपकीर्ति	इत्र	सुगन्ध
अयस	लोहा	इतर	दूसरा
आयसु	आज्ञा	इन्दु	चन्द्रमा
अभिज्ञ	जानने वाला	इन्दुर	चूहा
अनभिज्ञ	अनजान	ईशा	ऐश्वर्य
अधम	नीच	ईषा	हल की लकड़ी
अधूम	बिना धुएँ का	ईसा	एक धर्म प्रचारक
अघम	पाप	उद्धत	उद्दण्ड
अक्ष	धुरी, आँख	उपरत	उदासीन
यक्ष	एक देव जाति	उपरवन	भोग विलास में
अलि	भौंरा		मीन
अली	सखी	आधि	मानसिक रोग
		आरति	विरक्ति दुःख

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अवधि	काल समय	उत्पल	कमल
अवधी	अवध देश की भाषा	आहुति	यज्ञ में हवन की गई वस्तु
आदि	आरम्भ, इत्यादि	आहूत	निमन्त्रित
आदी	अभ्यस्त	ऋत	सत्य
उपल	पत्थर	ऋतु	मौसम
उपला	कण्डा	कुल	वंश
अराति	शत्रु	कूल	किनारा
आरती	देवता को धूप दीप	कश	चाबुक
अपकार	बुराई	कष	कसौटी
उपकार	भलाई	कस	दबाव, बल
आहूति	होम	नांदी	मंगलाचरण (नाटक का)
आसन	बैठने की कोई वस्तु		
आसन्न	निकट आया हुआ	नमित	झुका हुआ
आवास	वासस्थान	निमित्त	हेतु
आभास	झलक	नियुत	लाख, दस लाख
आकर	खान	नियुक्त	लगाया हुआ, स्थापित या निश्चित किया हुआ
दशन	दांत		
दंशन	दाँत से काटना		
दह	कुंड		
दाह	जलन	नीरद	बादल
दिवा	दिन	नीरज	कमल
देव	देवता	नीन	प्राप्त
दैव	भाग्य	नीति	व्यवहार की पद्धति
द्रव	रस, पिघला हुआ	नति	न इति, जिसका छोर ही न हो
द्रव्य	पदार्थ, धन		
दंश	डंक, काट	नेति	मथानी की रस्सी
दश	दस (गिनती का अंक)	निर्जर	देवता
नित	हर दिन	निर्झर	झरना
नीत	लाया हुआ	निशाकर	चन्द्रमा
निहत	मरा हुआ	निशाचर	राक्षस
निहित	छिपा हुआ	नारी	स्त्री

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
नीर	जल	नाड़ी	नब्ज
नीड	घोंसला	निशान	चिह्न
नियत	निश्चित	निसान	झण्डा
नियति	भाग्य	प्रधान	मुख्य
नीयत	मंशा इरादा	परिधान	पोशाक वस्त्र
नगर	शहर	पुरुष	नर
नागर	शहरी, चतुर व्यक्ति	परुष	कठोर
नशा	बेहोशी, मद	प्रदीप	दीपक
निशा	रात्रि	प्रतीप	उलटा
निशित	तीक्ष्ण	प्रसाद	कृपा, भोग
निशीथ	आधी रात	प्रासाद	महल
निवार	रोकना	प्रणय	प्रेम
नीवार	धान	प्रद्वेष	शत्रुता
नन्दी	शिव का बैल	प्रहार	वार, आघात
परिणय	विवाह	परिहार	परित्याग, रोकना
प्रबल	शक्तिशाली	परिखा	कीचड़
प्रवर	श्रेष्ठ	परीक्षा	इम्तहान
परिणाम	नतीजा, फल	प्रतिशोध	बदला
परिमाण	मात्रा	प्रतिषेध	मनाही, निषेध
पास	नजदीक, निकट	पथ	रास्ता
पाश	बन्धन	पथ्य	रोगी का भोजन
पानी	जल	परिच्छद	पोशाक, ढाँकने की वस्तु
पाणि	हाथ		
पिक	कोयल	परिच्छेद	अध्याय विभाग
पीक	पान आदि की थूक	परिजन	नौकर चाकर घर के लोग
प्रकार	किस्म, तरह, भेद		
प्राकार	घेरा, चहारदीवारी	पर्जन्य	बादल
प्रणाम	नमस्कार	पुर	नगर
प्रमाण	सबूत, नाप	पूर	बाढ़, आधिक्य
पुष्कर	जलाशय	पाश	बन्धन
पुष्कल	पवित्र, बहुत	पार्श्व	बगल
परमिति	मान मर्यादा, तौल	पलटी	बदली, वापसी

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
प्रिय	प्रिय, सासारिक	पलथी	बैठने का एक ढग
पेय	पीने योग्य	पौत्र	पोता
प्रताप	ऐश्वर्य, पराक्रम	पोत	जहाज
परिताप	दु ख, सन्ताप	प्रण	प्रतिज्ञा
प्रस्तर	पत्थर	प्राण	जान
प्रस्तार	फैलाव	पाहन	पत्थर
प्रेषित	भेजा हुआ	पावन	पवित्र
प्रोषित	प्रवासी	पाहुन	मेहमान
पवन	वायु	परवाह	चिन्ता
पावन	पवित्र	प्रवाह	धारा
पदत्राण	जूता	प्रकोट	परकोटा
पशु	जानवर	प्रकोप	अत्यधिक क्रोध
पांशु	धूल, बालू	प्रवास	विदेश जाना
पाश	बधन	प्रवाल	मूँगा
पर्यन्त	तक	भीत	डरा हुआ
पर्यक	पलग	भवन	महल
प्रदेश	प्रान्त	भुवन	ससार
फण	साँप का फन	भारतीय	भारत के वासी
फन	कला, कारीगरी	भारती	सरस्वती, वाणी
बलि	बलिदान	मूल	जड
बली	वीर	मूल्य	कीमत
बास	महक, गन्ध	मरीचि	किरण
बाँस	एक वनस्पति	मरीची	सूय चन्द्र
बहन	बहिन	मरिच	मिर्च (काली)
वहन	ढोना	मद	अहकार, नशा
बल	ताकत	मद्य	शराब
वल	मेघ, बलाहक	मनुज	मनुष्य
बन्दी	भाट चारण	मनोज	कामदेव
बन्दी	कैदी	मेघ	बादल
बन्द	जो खुला हुआ नही है	मेध	यज्ञ
बद	बुरा	मणि	रत्न
बारिश	वर्षा	मणी	सर्प

शब्द	अर्थ
वारीश	समुद्र
वात	वचन
वात	हवा
बुरा	खराब
बूरा	शक्कर चूरा
बहु	बहुत
बहू	पुत्रवधु, ब्याही स्त्री
बद्ध	बँधा हुआ
विद्ध	छेदा हुआ
बार	दफा
वार	चोट, दिन
बिना	अभाव
बान	आदत चमक
बाण	तीर
वर्ण	रंग
व्रण	घाव
वरण	चुनाव
भट	सिपाही
भाट	चारण
भित्ति	दीवार, आधार
लवान	खेत की कटाई
लास्य	पावती द्वारा आवि
	ष्कृत एक नृत्य
लाश	शव
लास	नृत्य
वसन	कपड़ा
व्यसन	आदत लत
विष	जहर
बिस	कमल का डंठल
वरद	वर देने वाला
बरद	बैल

शब्द	अर्थ
मांस	गोश्त
मास	महीना
मनुजात	मनु से उत्पन्न
मनुजाद	नरभक्षक
रंक	दरिद्र
रंग	वर्ण
रग	नस
राग	लय
रत	लीन
रति	कामदेव की पत्नी, प्रेम
रोचक	रुचने वाला
रेचक	दस्तावर
लक्ष्य	उद्देश्य
लक्ष	लाख
लवण	नमक
विधेयक	विधान, कानून
वृंत	डंठल
वृंद	समूह झुण्ड
व्यंग	विकलांग
व्यंग्य	ताना, उपालम्भ, वाच्य से अलग अर्थ
सत्र	वर्ष सदावत यज्ञ
शत्रु	दुश्मन
शंकर	महादेव
संकर	मिश्रित, दोगला
सर	तालाब सिर
शर	बाण तीर
शूर	वीर
सुर	देवता लय
सूर	अ धा, सूर्य

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
विरद	यश	सुत	बेटा
विस्मृत	भूला हुआ	सूत	सारथी धागा
विस्मित	चकित	सूची	विषयक्रम फहरिस्त
वित्त	धन	सूचि	सुई, सूचना करने वाला
वृत्त	गोलाकार छन्द या वृत्तान्त कथा	शुचि	पवित्र
विभूति	ऐश्वर्य	शची	इन्द्राणी
विभीति	डर	सम	समान
वाद	तर्क विचार	शम	संयम इन्द्रियनिग्रह
वाद्य	बाजा	सुअन	पुत्र
वस्तु	चीज	सुमन	फूल
वास्तु	मकान	सर्ग	अध्याय
विपिन	जंगल	स्वर्ग	तीसरा लोक
विपन्न	विपत्तिग्रस्त	सर्व	सब
वासना	कामना	शर्व	शिव
वासना	सुगन्धित करना, महकना	सूक्ति	अच्छी उक्ति
		शुक्ति	सीप
विकट	कठिन	सलील	लीला के साथ
विकच	खिलाना खिला हुआ	सलिल	पानी
विक्रीत	जो बेचा गया है	सती	पतिव्रता स्त्री
विक्रान्त	शूर, वीर, तेजस्वी	शती	सैंकड़ा
विधायक	रचने वाला, विधान बनाने वाला	सारदा	सार भाग देने वाली
		शारदा	सरस्वती
सागर	समुद्र	सभा	समिति
सागुर	प्याला	संग	साथ
सिर	मस्तक	सदेह	देह के साथ
सीर	हल, हल की लकीर	संदेह	शक
सुधि	स्मरण	सकल	सम्पूर्ण
सुधी	विद्वान, बुद्धिमान	शकल	टुकड़ा, खण्ड
सुकर	आसानी से होने वाला	शक्ल	चेहरा
शूकर	सूअर	सुकृत	पुण्य
सप्त	सात	शकृत	मैला, विष्ठा

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
शप्त	शाप पाया हुआ	सुकृती	पुण्यवान्
सबल	ताकतवर	स्वच्छ	साफ
शबल	चितकबरा, रंगबिरंगा	स्वक्ष	सुन्दर आँख
सहर	सवेरा	स्वपच	स्वयंपाकी
शहर	नगर	श्वपच	चाण्डाल
साला	पत्नी का भाई	स्वजन	अपना आदमी
शाला	घर, मकान	श्वजन	कुत्ते
सेव	बेसन का एक पकवान	सज्जा	सजावट
सेब	एक फल	शय्या	बिछावन
सीता	जानकी	शुल्क	फीस चन्दा
सिता	चीनी	शुक्ल	स्वच्छ उज्जवल
सीसा	एक धातु	शव	लाश
शीशा	काच	शब	रात
समान	सदृश तरह	श्रवण	सुनना कान
सामान	सामग्री	श्रमण	बौद्ध संन्यासी भिक्षु
साँस	मुँह से हवा लेना	स्रवण	टपकना चू पड़ना
सास	पति या पत्नी की माँ	श्रोत	कान
स्वेद	पसीना	स्रोत	धारा उद्गम
श्वेत	उजला	हरि	विष्णु
सलिल	पानी	हरी	हरे रंग की
शशधर	चन्द्रमा	हँसी	हँसने की क्रिया
शशिधर	महादेव	हंसी	हंस की मादा
शील	चरित्र, चाल चलन	शस्त्र	हथियार
सील	मुहर, ठप्पा	शास्त्र	सिद्धांत ग्रन्थ
शेखर	ललाट	श्वश्रु	सास
शिखर	चोटी	श्मश्रु	दाढ़ी मूँछ

शब्द पर्याय एवं शब्द विलोम

हिन्दी शब्द-समूह की यह विशेषता है कि एक शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाले कई शब्द होते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जिनके विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रचुरता से प्रयोग में आते हैं। "शब्द विलोम" शीर्षक से ऐसे भी कुछ शब्द दिए जा रहे हैं।

शब्द-पर्याय

ईश्वर—	परमात्मा, परमेश्वर, परमेश, पारब्रह्म, प्रभु, जगतपिता जगदीश, जगन्नाथ।
कमल—	जलज, वारिज, नीरज, अम्बुज, सरोज, पंकज, पंकरुह, सरसिज, नलिन, कुवलय, अरविन्द, पद्म, उत्पल, पुण्डरीक, कंज, राजीव आदि।
अग्नि—	वह्नि, अनल, पावक, हुताशन, वैश्वानर, कृशानु, ज्वलन आग, जातवेद, हव्यवाहन आदि।
आकाश—	नभ, गगन, अम्बर, तारापथ, व्योम, अन्तरिक्ष, अनन्त, शून्य, अभ्र आदि।
अमृत—	सोम, अमी, अमिय, सुधा, मधु, सुरभोग, पीयूष।
अश्व—	तुरग, सैन्धव, बाजि, घोटक, हय, घोड़ा आदि।
असुर—	राक्षस, निशाचर, निशिचर, दानव, दनुज, सुरारि, दैत्य।
आंख—	लोचन, चक्षु, दृग, नेत्र, नयन, अक्ष।
कामदेव—	मदन, मनसिज, मन्मथ, अनंग, मार, काम, मनोज, कन्दर्प, पंचशर, स्मर, पुष्पधन्वा, मनिकेतु, रतिपति।
गृह—	सदन, आलय, आगार, निलय, निकेतन, निकेत, भुवन, भवन, मन्दिर, आवास, धाम, आयतन आदि।
इन्द्र—	शक्र, पुरन्दर, सुरपति, देवेन्द्र, महेन्द्र, शचीपति, देवराज, मघवा आदि।
गंगा—	सुरसरि, मन्दाकिनी, भागीरथी, देवनदी, देवापगा, सुरसरिता, ब्रह्मदेव, त्रिपथगा, जाह्नवी, विष्णुपदी आदि।
चन्द्रमा—	शशि, सुधाकर, राकापति, रजनीपति, अवनीश, निशाकर, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक, द्विजराज, शशांक, हिमकर, कलाधर, क्षमाकर, इन्दु, सोम, विधु, चन्द्र, चाँद आदि।
सरस्वती—	भारती, शारदा, वाणी, वीणापाणि, वीणावादिनी, महाश्वेता, गिरा, वाक्, आदि।

जल—	अप, पय, जीवन उदक नीर, वारि, अम्बु, सलिल, तोय आदि।
रामचन्द्र—	रघुपति रघुनाथ दशरथनन्दन, कौशल्यानन्दन, जानकी वल्लभ, सीतापति, अवधेश, रघुनन्दन।
जंगल—	कानन, अरण्य वन विपिन।
महादेव—	शिव शम्भु पशुपति शंकर चन्द्रशेखर महेश्वर भूतेश नीलकण्ठ, त्रिलोचन, कैलाशनाथ, गिरीश गिरिजापति आदि।
तालाब—	सर, सरोवर जलाशय सरसि ह्रद, तडाग पुष्कर आदि।
दिन—	दिवस वासर, दिवा, अहा, अह् आदि।
देवता—	सुर, अमर देव, विबुध, त्रिदश दिवौकस वृन्दारक, सुरतिनन्दन आदि।
नदी—	सरिता नद, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा निर्झरिणी आदि।
पर्वत—	गिरि, भूधर भूमिधर, धराधर महीधर अद्रि, नग, शैल अचल।
पवन—	वात, वायु, अनिल, समीर मरुत।
पृथ्वी—	भू, भूमि धरा मही अवनि, अचला, धात्री धरणी वसुंधरा धरित्री, उर्वी रत्नगर्भा, अनन्ता वसुधा।
हाथी—	गज, कुंजर, नाग मतंग, वारण, द्विरद, करी।
राजा—	नृप नरेश नरपति, भूपति, भूप, महीप।
कपड़ा—	वस्त्र पट, चीर अम्बर, वसन।
पथ—	मार्ग राह, रास्ता।
पिता—	जनक, बाप, तात, पितृ।
भाई—	अनुज बंधु अग्रज, तात, भ्रात।
स्वर्ग—	वैकुण्ठ, देवलोक, नाक, सुरलोक।
हाथ—	हस्त, पाणि कर भुजा बाहु।
दुःख—	पीड़ा वेदना कष्ट, विषाद, संकट, संताप क्लेश शोक।
यमुना—	कालिन्दी, कलिन्दजा, तरणि तनजा रविसुता तरणिजा।
मोर—	मयूर केकी, कलापी, शिखण्डी।
बंदर—	कपि, वानर मर्कट, हरि शाखामृग।
मछली—	मत्स्य, झष मीन सफरी जलजीवन।

पत्नी— अर्धांगिनी, भार्या, कलत्र, गृहिणी, वामा, जाया, दारा, सहधर्मिणी।

तलवार— खड्ग, करवाल, चन्द्रहास, कृपाण, असि, शमशीर।

गरुड— खगेश, वैनतेय, पक्षिराज, हरियान, उरगारि।

धन— सम्पत्ति, द्रव्य, विभूति, पर्वतराज हिमानी।

हिमालय— नगपति हिमाद्रि, पर्वतराज हिमानी।

बड़ा— विशाल, दीर्घ, बृहत् महाविराट्।

उद्यान— बाग, उपवन वाटिका।

प्रेम— रति, अनुराग स्नेह राग, प्रणय।

पैर— चरण, पाद, पद।

पुत्र— बेटा तनय सुत आत्मज, नन्दन।

पुत्री बेटी तनया, आत्मजा, सुता अपत्या, कन्या तनूजा।

प्रभा— आभा, छवि, दीप्ति द्युति।

फूल— पुष्प, कुसुम पहुप सुमन प्रसून।

बहिन— भगिनी, सहोदरी, स्वसा।

बाज— कपातारि, करग, श्येन, शशादन।

बिजली— चपला, दामिनी सौदामिनी, चचला, विद्युत, शपा, क्षणप्रभा घनवाम।

मैना— सारिका, सारी, चित्रलोचना कलहप्रिया, मधुरालापा।

मोक्ष— निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति।

मुर्दा— मृत, मृतक, शव।

मुँह— मुख, आनन, वदन।

मेढक— दादुर दर्दुर, शालूर भेक।

भय— भास भीति डर।

मांस— पिशित, आमिष पलल।

मस्तक— माथा, ललाट, भाल कपाल।

मित्र— सखा, दोस्त, सहचर सुहृद।

माता— माँ, अम्बा, मैया माई अम्बिका, जन्मदात्री।

ब्राह्मण— विप्र द्विज, अग्रजन्मा, भूदेव, भूसुर।

चाँदी— रजत, रूपा, रूपक रौप्य।

जहाज— पोत, जलयान, बोहित।

गोद— गोदी अंक।

चन्दन— मलयज, मंगल्य, श्रीखण्ड।

ठग—	धूर्त, छली, वंचक।
चतुर—	प्रवीण, नागर, कुशल, पटु निपुण, विदग्ध।
झूठ—	असत्य, मिथ्या।
तारा—	तारक, उडु, नक्षत्र।
जीभ—	रसना, रसज्ञा, जिह्वा।
खद्योत—	जुगनू, प्रभाकीट, पटबीजना।
तांबा—	ताम्र, ताम्रक, तामा, रक्तधातु
दीपक—	दीप, प्रदीप, गृहमणि।
दूध—	पय, दुग्ध, स्तन्य पीयूष अमृत।
धनुष—	चाप धनु, कोदण्ड, शरासन, कार्मुक
पत्थर—	प्रस्तर पाषाण, उपल पाहन।
नरक—	यमपुर यमालय, यमलोक
पक्षी—	विहग, पतग नभचर खग।
पत्ता—	पल्लव पर्ण दल, पत्र किसलय।
पान—	बायदल ताम्बूल, नागबेल।
पार्वती—	उमा, गिरिजा भवानी गौरी अम्बिका शिवा।
बालक—	शिशु अर्भक, किशोर शावक, बेटा, लड़का कुमार।
मोती—	सीपिज मुक्ता मौक्तिक।
मनुष्य—	मानव नर जन, मनुज मानुष।
वृक्ष—	पेड़ शाखी पादप द्रुम, विटप बिरवा।
शराब—	मदिरा, हाला आसव हलप्रिया मद्य।
शहद—	मकरन्द मधु पुष्परस पुष्पास्य।
गणेश—	गणनायक लम्बोदर गजबदन एकदन्त।
बादल—	वारिद, जलधर नीरद, पयोधर।
रात—	निशा यामिनी, निशि, रात्रि।
समुद्र—	वारिधि, नीरधि रत्नाकर जलधि सिंधु।
सर्प—	व्याल नाग, भुजग, विषधर, अहि।
कोयल—	कोकिला सारंग, वसन्तदूतिका।
भौंरा—	मधुप भ्रमर अलि मधुकर।
कृष्ण—	जनार्दन, माधव केशव।
लक्ष्मी—	इंदिरा चंचला कमला सम्पदा, श्री

शब्द–विलोम

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
स्वतन्त्र	परतन्त्र	भेद	अभेद
परुष	कोमल	दुर्लभ	सुलभ
जय	पराजय	दूषित	स्वच्छ
पण्डित	मूर्ख	देव	दानव
उत्थान	पतन	दोष	गुण
पक्ष	विपक्ष	धनी	निर्धन
अधिक	न्यून	धर्म	अधर्म
न्याय	अन्याय	धरा	गगन
नैसर्गिक	कृत्रिम	नख	शिख
बहुत	थोड़ा	नगर	ग्राम
ग्राह्य	त्याज्य	नर	नारी
तीव्र	मन्द	नवीन	प्राचीन
तिमिर	प्रकाश	नश्वर	शाश्वत
तामसिक	सात्विक	नागरिक	ग्रामीण
तरुण	वृद्ध	नास्तिक	आस्तिक
सच	झूठ	निर्दोष	सदोष
जंगम	स्थावर	निन्दा	स्तुति
ज्योति	तम	विधि	निषेध
जीवन	मरण	प्रधान	गौण
जाग्रत	सुषुप्त	प्रवृत्ति	निवृत्ति
थल	जल	प्रशंसा	निन्दा
चेतन	जड़	प्रगट	प्रच्छन्न
मूक	वाचाल	पानी	आग
मुख्य	गौण	पाप	पुण्य
जीवित	मृत	पाश्चात्य	पौर्वात्य
मिलन	विरह	प्राचीन	अर्वाचीन
मानव	दानव	पुरातन	नवीन
मान	अपमान	प्रेम	घृणा
माता	पिता	बच्चा	बुड्ढा
महात्मा	दुरात्मा	बन्धन	मुक्ति
मनुज	दनुज	बर्बर	सभ्य

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
भौतिक	आध्यात्मिक	बहिरंग	अंतरंग
निषिद्ध	विहित	बाह्य	आभ्यंतर
निर्जीव	सजीव	वाद	प्रतिवाद
निर्मल	मलिन	वृद्ध	बालक
निरर्थक	सार्थक	बृहत	लघु
निरक्षर	साक्षर	विपत्ति	सम्पत्ति
नूतन	पुरातन	विधवा	सधवा
भला	बुरा	विधि	निषेध
भद्र	अभद्र	विपन्न	सम्पन्न
भूगोल	खगोल	विमुख	आमुख
भूत	भविष्य	मोक्ष	बन्धन
		मंगल	अमंगल
प्रत्यक्ष	परोक्ष	यश	अपयश
आश्रित	अनाश्रित	अकाल	सुकाल
अपेक्षा	उपेक्षा	निर्दोष	सदोष
आस्तिक	नास्तिक	ध्वंस	निर्माण
अमृत	विष	घात	प्रतिघात
अनाथ	सनाथ	परकीय	स्वकीय
अनुकूल	प्रतिकूल	प्रधान	गौण
अर्थ	अनर्थ	परमार्थ	स्वार्थ
इहलोक	परलोक	विरत	निरत
उन्मुख	विमुख	वैतनिक	अवैतनिक
चढ़ाव	उतार	वैमनस्य	सौमनस्य
ज्वार	भाटा	शकुन	अपशकुन
तृष्णा	वितृष्णा	श्वेत	श्याम
		शोक	हर्ष
आच्छादित	अनाच्छादित	श्रव्य	दृश्य
कनिष्ठ	ज्येष्ठ	संकीर्ण	विकीर्ण
कलुष	निष्कलुष	साकार	निराकार
आकर्षण	विकर्षण	लिप्त	अलिप्त
पूर्ववर्ती	परवर्ती	विशिष्ट	साधारण

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
भौतिक	अभौतिक	सघटन	विघटन
लौकिक	अलौकिक	स्वकीया	परकीया
गरीब	अमीर	ह्रस्व	दीर्घ
निर्मय	सदय	हार	जीत
गुरू	लघु	हास्य	रूदन
पेय	अपेय	क्षणिक	शाश्वत
नश्वर	अनश्वर	ज्ञानी	मूर्ख
सजल	निजल	सुगम	दुर्गम

चतुर्थ अध्याय

राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिन्दी

1 राष्ट्रभाषा का अर्थ और अवधारणा—

किसी राष्ट्र की सामान्य व्यवहार की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। "राष्ट्रभाषा के लिए एक राष्ट्र की स्थिति अत्यन्त आवश्यक है, जो प्रधानत जन-समुदाय पर निर्भर है, देश और राज्य का राष्ट्र में अन्तर्भाव रहता है। राज-काज की दृष्टि से कोई देश या राज्य एक हो सकता है, किन्तु जब तक राष्ट्रीयता एक न हो तब तक राष्ट्र की कल्पना भी नही की जा सकती। भारत एक देश है और शासन की दृष्टि से यह एक संघीय गणराज्य है, जिसमे प्रत्येक प्रदेश एक राज्य है। आजादी के बाद शासन की दृष्टि से भारत के सभी राज्य एक राष्ट्र के रूप मे संघटित हुए किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत आजादी के पूर्व भी एक राष्ट्र था। शासन की भाषा अर्थात् राजभाषा उस समय अँगरेजी अवश्य थी किन्तु सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यवहार की भाषा अँगरेजी नही थी। उत्तर से सुदूर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक जिस भाषा का सामान्यत व्यवहार होता था, वही उस समय की राष्ट्रभाषा थी। वह हिन्दी ही थी। इस्लाम शासन काल मे भी हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित थी, यद्यपि राजकाज का संचालन उसमे नही होता था।

अत राष्ट्रभाषा का अर्थ किसी देश की राजभाषा होना नहीं है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है, जिसे किसी देश का आम आदमी समझ सके, जिसमे सुदूर क्षेत्रों तक अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक व्यवहार कर सकें। ऐसी भाषा जिसमे समस्त देश की संस्कृति की अभिव्यक्ति होती हो, जो उस देश की जातीय एकता की अभिव्यक्ति मे समर्थ हो, जिसमे अन्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषाओं के

शब्दों और प्रयोगों का प्रवेश निर्बाध रूप से होता हो तथा जिसमें देश के सार्वजनीन साहित्य की सरचना होती हो—उस देश की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। वस्तुत राष्ट्रभाषा का समृद्ध वर्तमान ही नहीं एक समृद्ध परम्परागत अतीत भी होता है। ये सभी विशेषताएँ रखने वाली भाषा भारत में हिन्दी ही है। अत यही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है।

II राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अन्तर—

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, राजभाषा वह भाषा है, जिसमे राजकाज चलता है, जबकि राष्ट्रभाषा सपूर्ण राष्ट्र के सार्वजनिक व्यवहार की भाषा होती है। अत राष्ट्रभाषा को हम सीमित अर्थ में सम्पर्क भाषा भी कह सकते हैं, जबकि राजभाषा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सम्पर्क भाषा भी हो। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि राजभाषा किसी राष्ट्र की सास्कृतिक अभिव्यक्ति की भाषा हो या उसमे उस देश का साहित्य भी लिखा जाए। स्वाधीनता से पूर्व अँगरेजी भारत की राजभाषा थी, किन्तु वह न तो भारत की राष्ट्रभाषा थी, न सम्पर्क भाषा। जहाँ-जहाँ अँगरेजों का शासन रहा, वहाँ-वहाँ अँगरेजी राजभाषा बन कर पहुँची और स्थानीय राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा बोलियों को उसने दबाया, कुचला उनका विकास अवरुद्ध किया। जब वे देश आजाद हुए तो उन्होंने अपनी भाषाओं को राजभाषा बनाया तथा अँगरेजी को अपने अपने देश से निकाल बाहर किया। भारत में स्वाधीनता के पश्चात् सविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया, किन्तु साथ में कुछ समय के लिए अँगरेजी को भी रखा गया, जिसके भयकर परिणाम हमारे सामने हैं। आज 42 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है किन्तु अँगरेजी को हटाकर हिन्दी को राजभाषा का पूर्ण स्थान देने की स्थिति नहीं आ पाई है।

II राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विकास—

प्राचीन काल में समस्त भारत की राष्ट्रभाषा सस्कृत थी। भारतीय सस्कृति के आदि ग्रन्थ 'वेद' सस्कृत में ही रचे गए। वेदों के पश्चात् रचित भारत का विशाल साहित्य भी सस्कृत में ही मिलता है तथा धार्मिक ग्रन्थों की भाषा भी सस्कृत ही रही और आज भी है। आयुर्वेद सगीत, शिल्प आदि विभिन्न कलाओं की भाषा भी प्राचीन काल में सस्कृत ही थी। व्याकरण दर्शन, पुराण आदि का सस्कृत में पूर्ण विकास मिलता है। कश्मीर से असम तथा सुदूर तमिलनाडु तक सस्कृत का अध्ययन और व्यवहार गौरव का विषय माना जाता रहा है।

धीरे-धीरे सस्कृत का स्थान प्राकृत भाषा ने लिया और समस्त देश में सास्कृतिक आदान प्रदान की भाषा के रूप में सस्कृत का प्रयोग होते हुए

छठी शताब्दी ईस्वी तक भारत की जन भाषा रही एवं उसमें साहित्य भी लिखा गया, किन्तु इस समय भी राष्ट्रभाषा का गौरव संस्कृत को ही प्राप्त रहा। छठी शताब्दी से पूर्व प्राकृत कई रूपों में क्षेत्रानुसार बँट चुकी थी। इसलिए धीरे धीरे उससे विभिन्न अपभ्रंशों का उदय हुआ, जो अपने प्राकृत रूपों के अनुसार मागधी अपभ्रंश, अर्द्ध मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश, तथा पैशाची अपभ्रंश कहलाई। इन अपभ्रंशों से उत्तर भारत की विभिन्न आधुनिक भाषाओं और बोलियों का धीरे-धीरे विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से अवहट्ट जिसे "पुरानी हिंदी" भी कहा जाता है विकसित हुई, जो कालान्तर में हिन्दी के रूप में स्थापित हुई। इस प्रकार संस्कृत से हिन्दी तक एक ही भाषाधारा का एक अखण्ड क्रम मिलता है, जिसमें विशाल भारत देश के राष्ट्रीय व्यवहार व्यापार एवं सांस्कृतिक विकास कार्य चले।

यद्यपि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय भाषाएँ प्राचीन काल से भिन्न रूपों में विकसित हो रही थी, किन्तु राष्ट्रभाषा के रूप में वहां भी संस्कृत का ही व्यवहार होता था और बौद्ध जैन धर्मों के प्रचार के लिए प्राकृत, पाली, अपभ्रंश का प्रयोग होने पर भी संस्कृत ही राष्ट्रीय कार्यों में अपनाई जाती थी।

मुस्लिम शासन काल में देश के जिन क्षेत्रों में इस्लामी राज रहा, वहाँ फारसी राजभाषा हो गई, किन्तु वह जन सम्पर्क की भाषा नहीं बन सकी। यद्यपि इस काल में संस्कृत की महिमा घट रही थी और जनसाधारण में भी प्राकृतों तथा अपभ्रंशों का प्रभाव बढ़ रहा था, किन्तु फिर भी धार्मिक व्यवहारों में समस्त देश में संस्कृत का ही प्रयोग होता था और आज भी होता है। अतः उससे विकसित कोई भाषा ही जन जीवन में जीवित रह सकती थी और आज भी रह सकती है न कि विदेशों से आयातित-कोई भाषा—चाहे वह फारसी हो चाहे अँगरेजी।

ग्यारहवीं शताब्दी से अँगरेजों के आगमन और अँगरेजी शासन की स्थापना के समय तक इस्लाम शासित क्षेत्र में फारसी राजभाषा रही, किन्तु वह राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। अँगरेजी भी उन्नीसवीं शती के आरम्भ से ही भारत में आई नई गुलामी के साथ राजभाषा के पद पर आ बैठी थी, किन्तु वह भी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। समस्त देश की प्रादेशिक भाषाओं ने जमकर उसका मुकाबला किया और अपने अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ साथ संस्कृत की अखण्ड धारा के बदलते हुए रूपों का पोषण किया। जिसका फल यह हुआ कि फारसी के राजभाषा-काल में हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए जमकर खड़ी ही नहीं रही, बल्कि अपना सर्वतोमुखी विकास भी करती रही।

जसा कि हम पहले कह आए है, अपभ्र शो के विकास-काल मे हिन्दी को अपना स्वरूप मिलने लगा था। शौरसेनी अपभ्र श से ब्रज क्षेत्र मे ब्रजभाषा का विकास हो चला था। इसमे विभिन्न प्रदेशो की शब्दावली को मिलाकर साधु स यासी देश भर मे दार्शनिक और सास्कृतिक मत-वादो का प्रचार करते हुए घूमते थे। इस प्रकार प्रारम्भ मे शौरसेनी अपभ्र श से सधुक्कडी भाषा या सत भाषा जन सम्पर्क के लिए विकसित हुई थी जिसे "भाषा" नाम देकर जनता ने अपने व्यवहार के लिए स्वीकार किया था। ग्यारहवी शती मे गोरख पथ चलाने वाले गुरु "गोरखनाथ न इसके विकास का मार्ग खोल दिया था और बाद म महाराष्ट्र के सत नामदेव ने भी मराठी भाषी होते हुए भी इस हिन्दी म ही अपने पदो की रचना की थी। बिहार के विद्यापति और गुजरात के नरसी मेहता तथा राजस्थान की मीरा ने इसी भाषा म अपने भक्तिपूर्ण पदो की रचना की थी। देशी राजाओ के दरबारो मे तो साहित्य-रचना करने वाल चदबरदाई, जैसे अनेक कवि शरण पाते ही रहे, राजकाज की भाषा भी प्राय हिन्दी ही रही जो उस समय ब्रज अवधी डिंगल आदि नामो से स्थान भेद के अनुसार जानी जाती थी। पन्द्रहवी स सत्रहवी शताब्दी तक इस्लाम शासन का अत्यधिक विस्तार हो जाने और फारसी का प्रभाव बढ जाने पर भी राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए हिन्दी के ही किसी न किसी रूप का व्यवहार होता रहा। यह अवश्य है कि इस समय हिन्दी न फारसी के अनेक शब्दो को भी अपना लिया था और उन्हे पचाने की प्रक्रिया मे थी। इस्लाम शासन के दक्षिण भारत तक विस्तृत हो जाने पर इस्लाम शासको को सामान्य व्यवहार के लिए जब भाषा की आवश्यकता पडी, तब भी वे उत्तर से ब्रजभाषा को ही दक्षिण तक फारसी मिलाकर ले गए, जिसे बाद म "दक्खिनी हिन्दी" कहा गया।

उत्तर भारत मे दिल्ली के आसपास की बोली म जिसे खडी बोली कहा जाता था, फारसी शब्दो को मिलाकर जन-सम्पर्क की एक नई भाषा बनाने की चेष्टा की गई, जिसे उर्दू' कहा गया। किन्तु अँग्रेजो के आगमन तक य दोनों नव विकसित रूप भी हिन्दी के बृहत्तर स्वरूप मे ही समा गए और उसकी दो भिन्न शलियाँ मात्र बन कर रह गए।

हिन्दी की सार्वदेशिक स्वीकृति

हिन्दी का विकास सस्कृत की सुदीर्घ परम्परा म हुआ और पालन पोषण विभिन्न प्रान्तीय भाषाओ न किया। वस्तुत हिन्दी कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, बल्कि एक सार्वदेशिक भाषा के रूप मे विकसित होकर इतिहास की दीर्घ परम्परा मे राष्ट्रभाषा बनी है। अन्तर प्रादेशिक विभिन्न भाषा भाषियो ने अपनी सामान्य

सम्पर्क भाषा के रूप मे इसे विकसित किया है। मध्यकाल मे धर्म दर्शन, व्यापार, लोक व्यवहार, आदि मे एक सार्वभौमिक भाषा की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति इस भाषा ने की है। मुसलमान कवियो ने भी इस सार्वदेशिक महत्त्व की भाषा को ही गौरव दिया, अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मुहम्मद जायसी उस्मान आलम, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, रहीम, रसखान आदि वे महान कवि हैं, जिन्होंने हिन्दी मे अपनी श्रेष्ठ काव्य कृतियो की रचना की।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप मे विकास करने मे विभिन्न प्रान्तो का भी विशेष योगदान रहा। महाराष्ट्र म नामदेव के अलावा भी अनेक कवि हुए जिन्होंने हिन्दी मे अपने विचार और भाव व्यक्त किए। सन्त ज्ञानेश्वर ने नाथ पथ-सम्बन्धी अपने विचारो को इसी भाषा मे व्यक्त किया। नामदेव तो महाराष्ट्र से बाहर पजाब तक इसी भाषा मे अपने पदो का गायन करते हुए पहुँच थे। महाराष्ट्र के अन्य हिन्दी प्रेमी महान् सतो म एकनाथ तुकाराम एव रामदास प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र क राजदरबारो मे हिन्दी कवियो को प्रश्रय मिलता था तथा कुछ राजा भी हिन्दी मे कविता करते थे। महाराज शिवाजी के राजकवि भूषण उस युग के सवश्रेष्ठ राष्ट्रकवि थे, जिनकी सभी रचनाएँ हिन्दी मे लिखी गई। शिवाजी के पिता शाहजी के दरबार मे 12 हिन्दी कवि थे, केवल कवि ही नही, मराठी फौजें भी हिन्दी का व्यवहार करती थी।

मध्यकाल मे हिन्दी के प्रमुख क्षेत्र की सीमा से लगे पश्चिमी प्रदेश पजाब मे संस्कृत प्राकृत अपभ्रश की परम्परा मे पजाबी भाषा का विकास हो रहा था, किन्तु वहाँ भी धार्मिक दार्शनिक व्यवहार की भाषा हिन्दी ही थी। महान् सन्त नानकदेव ने अपनी वाणियो की इसी भाषा के तत्कालीन रूप मे रचना की थी। उनके बाद भी गुरू अगदेव गुरू अमरदास, गुरू रामदास, गुरु अर्जुन देव, एव गुरू गोबिन्द सिंह ने भी अपनी 'बानी' हिन्दी म ही व्यक्त की थी।

बगाल और असम म भी हिन्दी "ब्रजबुलि" के नाम से पहुँची और इसमे अनेक कवियो ने रचनाएँ लिखी। चैतन्य महाप्रभु चडीदास, माधव कदलि, माधवदेव आदि ने ब्रजभाषा मे अनेक पद लिखे।

दक्षिण भारत से अनेक दार्शनिक व धर्म प्रचारक उत्तर मे हिन्दी का प्रचार करते हुए पहुँचे। बगाल और असम मे भी अनेक दार्शनिको का प्रभाव पहुँचा तथा तीर्थयात्री हिन्दी का झण्डा लिए गगासागर तक अपनी धार्मिक भावनाएँ

छोड़कर आए। उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ और अमरनाथ तक सुदूर दक्षिण से तीर्थ-यात्री अपनी लम्बी यात्राओं में हिन्दी के माध्यम से ही पहुँचे और कश्मीर से सेतुबन्ध रामेश्वरम् तक की तीर्थ यात्राओं में भी हिन्दी ही जन-सम्पर्क भाषा रही।

अँगरेजों के आगमन के पश्चात् हिन्दी को सार्वजनिक व्यवहार की अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित होने की उतनी ही शक्ति मिलती गई, जितनी तेजी से अँगरेजी उसके मार्ग में रोड़े अटकाती गई। अँगरेजों ने धीरे-धीरे देशी राज्यों को येन केन प्रकारेण या तो समाप्त किया या अपने अधीन किया, तब हिन्दी के देशी राज दरबारों के केन्द्र समाप्त होने लगे, किन्तु शासन चलाने के लिए अँगरेजों को हिन्दी के व्यवहार की आवश्यकता का भी उसी के साथ-साथ अनुभव होता गया। फलतः कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से हिन्दी के अध्ययन अध्यापन की नींव भी उन्होंने ही रखी।

अँगरेजी शासन में विशाल देश भारत को एक महान् राष्ट्र के रूप में समझने की धारणा ने बल पकड़ा और तब विचारकों का ध्यान इस ओर गया कि किस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त की जाए। फलतः समस्त राष्ट्र में वैचारिक क्रान्ति लाने के लिए हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया गया। अँगरेजी शासन और अँगरेजी संस्कृति से भारतीय स्वाधीनता सेनानियों व भारतीय संस्कृति की जो टकराहट प्रारम्भ हुई उसमें हिन्दी ही सबसे अधिक सफल हथियार सिद्ध हुई। इसी के माध्यम से क्रान्ति की आवाज गाँव गाँव और गली गली तक पहुँची। देश के बड़े-बड़े नेताओं ने हिन्दी का पक्ष लिया और उसमें अपने विचार व्यक्त करने प्रारम्भ किये।

सन् 1885 में राष्ट्रीय महासभा (नेशनल कांग्रेस) की स्थापना हुई। इस मंच पर देश के विभिन्न भागों से एकत्र होने वाले नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना फैलाने के लिए हिन्दी भाषा के प्रयोग का समर्थन किया। धुलिया के श्रीनरहरि प्रकाश ने 'राजकीय प्रकाश' नामक पुस्तक हिन्दी भाषा में लिखी। इस पुस्तक की भूमिका में यह प्रतिपादित किया गया कि अखिल भारतीय व्यवहार के लिए हिन्दी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। पूना के केशव वामन पेठे ने 1883 ई. में मराठी में "राष्ट्रभाषा" नामक पुस्तक की रचना की और उसमें हिन्दी को भारत की 'राष्ट्रभाषा" मानने पर बल दिया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना और अपने मराठी अखबार "केसरी" में हिन्दी का एक विभाग आरम्भ किया। महात्मा गांधी, राजगोपालाचार्य आदि सभी बड़े

नेताओं ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना। गांधी ने तो दक्षिण भारत में हिंदी को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सन् 1918 ई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी, जो आज तक काय कर रही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए अन्य नेताओं ने भी अनेक प्रयत्न किए। काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन राष्ट्रप्रचार समिति वधा, महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा प्रचार सभा पूना, गुजरात हिन्दी विद्यापीठ राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर आदि अनेक संस्थाएँ स्थापित हुई और राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के अनेक प्रयास किए। "आर्य समाज" के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष तो हिन्दी को समस्त राष्ट्र की भाषा मान ही चुके थे। स्वामी जी ने अपने "सत्यार्थ प्रकाश" ग्रन्थ की रचना हिन्दी में की। विदेशों में भी इन संस्थाओं के माध्यम से हिन्दी पहुँची और वहां भी उसको भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार आजादी से पूर्व ही हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास हो चुका था तथा सर्वत्र उसे इस रूप में मान्यता भी मिल चुकी थी। स्वाधीनता आन्दोलन में समस्त देश के बड़े बड़े नेता तथा सांस्कृतिक-धार्मिक प्रचारक हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानकर उसमें अपने विचार प्रकट कर रहे थे।

राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक स्वीकृति की स्थिति

स्वाधीनता के पश्चात् हिन्दी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक स्वीकृति मिली और राष्ट्रभाषा का भी उसी से अर्थ लगा लिया गया, क्योंकि राजभाषा पर विचार करते समय राष्ट्रभाषा की स्थिति का विचार ही बहस का विषय बना हुआ था। हिन्दी का समर्थन राजभाषा के रूप में इसी आधार पर हुआ था कि वह जन स्वीकृति से राष्ट्रभाषा है। कन्नड भाषी निर्जलिंगप्पा जैसे महान् व्यक्ति ने 21 जून, 1949 को अपने एक लेख में लिखा कि "हिन्दी प्रकृति से ही और सहज रूप से राष्ट्रभाषा हो सकती है। अँग्रेजी भाषा को और रोमन लिपि को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के नाते इस देश में चलाना लाभदायक नहीं होगा। भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाओं से सम्बन्ध रखने वाली भाषा का ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। देवनागरी लिपि ही मैं रोमन लिपि की तुलना में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी ही होगी।'

बँगलाभाषी विद्वान क्षेमचन्द चट्टोपाध्याय ने 24 दिसम्बर 1949 को हैदराबाद में राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए कहा कि 'हर्ष इस बात पर है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में विधान परिषद द्वारा

स्वीकृत हुई है और खेद इस कारण से कि इस स्वीकृति म पेंच है। इस अभाग देश मे उचित बात पर लोगों में एकमत नही होता है। राष्ट्रभाषा के स्वागत म जिस प्रकार का उत्साह देशप्रेमियो मे उचित है, विधान परिषद मे वह उत्साह नहीं दिख रहा है। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है। अंग्रेजी से देश का सम्बन्ध टूट जाने पर भी, इसका प्रयोग शिक्षित समाज मे आवश्यक है परन्तु पन्द्रह वर्षों तक हमारे राष्ट्रीय व्यवहार म इसका अक्षुण्ण अधिकार और उसके बाद भी उसके प्रयोग की सम्भावना हमारी राष्ट्रीयता के लिए घातक है। सदियो की परतन्त्रता ने हमारी जातीयता की बुद्धि को मद कर दिया है, अत हम लज्जा की बात पर भी लज्जित नही होते। हिन्दी का वतमान साहित्यिक रूप सब व्यवहारो के योग्य और समस्त प्रान्तो म स्वीकार के योग्य है। मेरा यह कथन अनुभव पर आधारित है, अन्याय पक्षपात पर नही। हिन्दी की शक्ति का हिन्दी प्रान्ता के बाहर रहने वाले कई विशिष्ट विद्वानो ने भाँप लिया है, जिसके कारण वे हिन्दी का पक्ष लेते आ रहे हैं। मैं पुन कहना चाहता हूँ कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी है उसको बनाने की व्यथ चेष्टा न की जाए। देश का कल्याण इस बात पर है कि सिद्ध वस्तु को लेकर चले।

भारत वष के बाहर अन्तर्जातीय व्यवहार के लिए हम तुरन्त राष्ट्रभाषा काम मे ला सकते हैं, अगर राजदूतो के कार्यालया मे हिन्दी जानने वाले पर्याप्त नही हैं, तो प्रत्येक दूतावास मे एक हिन्दी जानकार नियुक्त करके और अवशिष्ट व्यक्तियो की हिन्दी शिक्षा-व्यवस्था करके हम एक वष के भीतर हिन्दी के द्वारा काय कर सकेंगे।"

उडिया भाषी तथा सविधान-सभा के सदस्य लक्ष्मीनारायण साहू ने "राष्ट्रभाषा' नामक अँगरेजी पत्रिका के 12 मई, 1949 के अक मे अंग्रेजी मे अपने विचार राष्ट्रभाषा के विषय मे इस प्रकार व्यक्त किए थे—

"सब लोगो के लिए कौन सी भाषा भारतवष मे प्रयुक्त हो सकती है? भारतवष के कोने कोने मे यहाँ से वहाँ तक बोली जाने वाली सवसाधारण भाषा एक हिन्दी ही हो सकती है, जिसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि कई वर्षों से सब प्रान्तो के सब धर्मों के तथा सब देशो के सन्यासी इसी भाषा का प्रयोग करते आये हैं। चाहे वह सन्यासी बौद्ध धर्मी रहा हो अथवा जैन धर्मी अथवा हिन्दू धम का भी क्यो न हो वह हिन्दी के ही माध्यम से अपना काम चलाता आया है। अपनी धार्मिक परम्पराओ को सब हिन्दी माध्यम से व्यक्त करते रहे हैं। इस काय मे उन्होने अपने बगालीपन उडियापन,

नेताओं ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना। गांधी ने तो दक्षिण भारत में हिंदी को अधिक लोक-प्रिय बनाने के लिए सन् 1918 ई० में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की थी, जो आज तक कार्य कर रही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए अन्य नेताओं ने भी अनेक प्रयत्न किए। काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन राष्ट्रप्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा प्रचार सभा पूना, गुजरात हिंदी विद्यापीठ राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर आदि अनेक संस्थाएँ स्थापित हुईं और राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के अनेक प्रयास किए। "आर्य समाज" के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष तो हिन्दी को समस्त राष्ट्र की भाषा मान ही चुके थे। स्वामी जी ने अपने "सत्यार्थ प्रकाश' ग्रंथ की रचना हिन्दी में की। विदेशों में भी इन संस्थाओं के माध्यम से हिन्दी पहुँची और वहां भी उसको भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार आजादी से पूर्व ही हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास हो चुका था तथा सर्वत्र उसे इस रूप में मान्यता भी मिल चुकी थी। स्वाधीनता आन्दोलन में समस्त देश के बड़े-बड़े नेता तथा सांस्कृतिक धार्मिक प्रचारक हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानकर उसमें अपने विचार प्रकट कर रहे थे।

राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक स्वीकृति की स्थिति

स्वाधीनता के पश्चात् हिन्दी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक स्वीकृति मिली और राष्ट्रभाषा का भी उसी से अर्थ लगा लिया गया, क्योंकि राजभाषा पर विचार करते समय राष्ट्रभाषा की स्थिति का विचार ही बहस का विषय *बना हुआ था। हिन्दी का समर्थन राजभाषा के रूप में इसी आधार पर हुआ* था कि वह जन स्वीकृति से राष्ट्रभाषा है। कन्नड़ भाषी निजलिंगप्पा जैसे महान् व्यक्ति ने 21 जून, *1949* को अपने एक लेख में लिखा कि "हिन्दी प्रकृति से ही और सहज रूप से राष्ट्रभाषा हो सकती है। अंग्रेजी भाषा को और रोमन लिपि को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के नाते इस देश में चलाना लाभदायक नहीं होगा। *भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं से सम्बन्ध रखने वाली भाषा को ही* राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। देवनागरी लिपि ही मैं रोमन लिपि की तुलना में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी *राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी ही होगी।*

बंगलाभाषी विद्वान क्षेमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने *24* दिसम्बर *1949* को हैदराबाद में राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए कहा कि हर्ष इस बात पर है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में विधान परिषद द्वारा

स्वीकृत हुई है और खेद इस कारण से कि इस स्वीकृति म पेंच है। इस अभागे देश मे उचित बात पर लोगो मे एकमत नही होता है। राष्ट्रभाषा के स्वागत मे जिस प्रकार का उत्साह देशप्रेमियो मे उचित है, विधान परिषद मे वह उत्साह नही दिख रहा है। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है। अंग्रेजी से देश का सम्बन्ध टूट जाने पर भी, इसका प्रयोग शिक्षित समाज मे आवश्यक है परन्तु पन्द्रह वर्षों तक हमारे राष्ट्रीय व्यवहार मे इसका अक्षुण्ण अधिकार और उसके बाद भी उसके प्रयोग की सम्भावना हमारी राष्ट्रीयता के लिए घातक है। सदियो की परतन्त्रता ने हमारी जातीयता की बुद्धि को मद कर दिया है, अत हम लज्जा की बात पर भी लज्जित नही होते। हिन्दी का वर्तमान साहित्यिक रूप सब व्यवहारो के योग्य और सकल प्रान्तो मे स्वीकार के योग्य है। मेरा यह कथन अनुभव पर आधारित है अन्याय पक्षपात पर नही। हिन्दी की शक्ति को हिन्दी प्रान्तो के बाहर रहने वाले कई विशिष्ट विद्वानो ने भाँप लिया है, जिसके कारण वे हिन्दी का पक्ष लेते आ रहे हैं। मैं पुन कहना चाहता हूँ कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी है उसको बनाने की व्यर्थ चेष्टा न की जाए। देश का कल्याण इस बात पर है कि सिद्ध वस्तु को लेकर चले।

भारत वर्ष के बाहर अन्तर्जातीय व्यवहार के लिए हम तुरन्त राष्ट्रभाषा काम मे ला सकते हैं, अगर राजदूतो के कार्यालयो मे हिन्दी जानने वाले पर्याप्त नही हैं, तो प्रत्येक दूतावास मे एक हिन्दी जानकार नियुक्त करके और अवशिष्ट व्यक्तियो की हिन्दी शिक्षा-व्यवस्था करके हम एक वर्ष के भीतर हिन्दी के द्वारा कार्य कर सकेंगे।"

उड़िया भाषी तथा सविधान सभा के सदस्य लक्ष्मीनारायण साहू ने "राष्ट्रभाषा' नामक अँगरेजी पत्रिका के 12 मई, 1949 के अक मे अँग्रेजी मे अपने विचार राष्ट्रभाषा के विषय म इस प्रकार व्यक्त किए थे—

"सब लोगो के लिए कौन सी भाषा भारतवर्ष मे प्रयुक्त हो सकती है? भारतवर्ष के कोने-कोने मे यहाँ से वहाँ तक बोली जाने वाली सर्वसाधारण भाषा एक हिन्दी ही हो सकती है, जिसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई वर्षों से सब प्रान्तो के सब धर्मों के तथा सब देशों के सन्यासी इसी भाषा का प्रयोग करते आये हैं। चाहे वह सन्यासी बौद्ध धर्मी रहा हो अथवा जैन धर्मी अथवा हिन्दू धर्म का भी क्यों न हो वह हिन्दी के ही माध्यम से अपना काम चलाता आया है। अपनी धार्मिक परम्पराओ को सब हिन्दी माध्यम से व्यक्त करते रहे हैं। इस कार्य मे उन्होंने अपने बगालीपन उड़ियापन,

तमिलपन या तेलगूपन आदि का कोई विचार ध्यान म न लेते हुए हिन्दी का ही आश्रय लिया।" तमिल भाषी अनन्त शयनम आयगर ने भी स्पष्ट शब्दा मे कहा कि 'हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा है।"

इस प्रकार उत्तर से दक्षिण और पूव से पश्चिम तक सभी क्षेत्रो के प्रमुख विद्वानो और नेताओ का एक स्वर से यह मत था कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा है किन्तु फिर भी सविधान मे हिन्दी के साथ अग्रेजी को प्रारम्भ मे 15 वर्षों के लिए राजभाषा मानते हुए राष्ट्रभाषा जैसी स्थिति मे भी ला दिया गया। भारतीय सविधान के भाग 17—राजभाषा अध्याय 1, 2 व 3 म राजभाषा के रूप मे अंग्रेजी के साथ हिन्दी की स्वीकृति ऐसे रूप मे की गई, जिससे राजभाषा का अथ राष्ट्रभाषा" भी निकलता था। फलत राजभाषा सम्बन्धी सविधान की व्यवस्थाओ ने हिन्दी से उसका वह "राष्ट्रभाषा" पद भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रारम्भ म 15 वर्षों के लिए और फिर तब तक के लिए छीन लिया, जब तक राष्ट्रभाषा सम्बन्धी चेतना समस्त देश मे दुबारा नही लौटती। अभी तक तो वह चेतना लौटने के लक्षण नही दिखाई दिए अँग्रेजी राजभाषा के आसन पर तो जमी बैठी ही है तथा हिन्दी को धकिया रही है राष्ट्रभाषा के पद को भी उसने शून्य बनाने की सतत चेष्टा की है तथा शहर से गावो तक छोटे-बडे अँग्रेजी माध्यम के स्कूलो के द्वारा अपने पर फैलाती जा रही है। आश्चय यह है कि देश के कोने कोने तक बोली या समझी जाने वाली, सामाजिक सास्कृतिक स्वीकृति वाली एव सस्कृत की उत्तराधिकारिणी राष्ट्रभाषा हिन्दी अपने ही लोगो के द्वारा घोर उपेक्षा का पात्र बन गई है। उसके सभी समथक या तो मौन हैं या स्वगवासी हो चुके है, या कुर्सियो के आनन्द भोग मे ध्यानावस्थित हैं।

राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस दयनीय स्थिति तक पहुँचाने वाले देश के सविधान की उन व्यवस्थाओ को समझना यहाँ आवश्यक है, जिनके अनुसार देश की राजभाषा का निर्णय किया गया था।

हिन्दी राजभाषा विषयक सवैधानिक मान्यता

सन् 1946 मे सविधान सभा बनाई गई। इसमे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के सदस्य अधिक थे। इस सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 को हुई। दो दिन पश्चात् डॉ राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गये। जब 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वाधीन हुआ और पाकिस्तान का अलग निर्माण हो गया, तो मुस्लिम लीग के सदस्य इससे हट गए। सविधान सभा की नियम समिति ने

1946 मे ही डॉ राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता मे यह निर्णय कर लिया था कि सभा की कामकाज की भाषा हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी होगी तथा अध्यक्ष से अनुमति लेकर कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा मे अपनी बात कह सकेगा। संविधान सभा के चौथे सत्र के दूसरे दिन 14 जुलाई 1947 को संशोधन प्रस्तुत करके "हिंदुस्तानी" की जगह 'हिंदी' शब्द कर दिया गया।

फरवरी 1948 मे संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसमे 'राजभाषा" सम्बन्धी कोई व्यवस्था नही थी, केवल "संसद की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी यह उल्लेख था। तत्पश्चात् हिंदी के सम्बन्ध म पक्ष-विपक्ष मे अनेक मत व्यक्त हुए। पण्डित जवाहर लाल नेहरू चाहते थे कि राजभाषा एक ऐसी भाषा हो जो सम्पूर्ण देश की भाषायी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतन्त्र देश को अपनी ही भाषा मे कामकाज चलाना चाहिए। संविधान सभा के 8 नवम्बर 1948 के कार्यवाही विवरण मे यह उल्लेख मिलता है कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू भारत के लिए एक ऐसी भाषा चाहते थे जो जनता के मध्य से ही विकसित हो। तत्पश्चात् 10 नवम्बर, 1948 को स्टीयरिंग समिति की बैठक म यह निश्चय किया गया कि देश का संविधान हिन्दी मे भी तैयार किया जाना चाहिए। अगस्त से सितम्बर 1948 तक इस विषय पर विस्तार से बहस हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की कार्यकारिणी ने भी भाषा को एक विवाद के रूप मे लिया और यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाएँ राजकाज म प्रयुक्त हो। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी 6–7 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन मे नागरी लिपि म लिखी "हिंदी" को सब सम्मति से राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का सुझाव दिया। 8 अगस्त, 1949 को पर्याप्त विवाद के पश्चात् संविधान सभा म अंग्रेजी को हिंदी के साथ 10 वर्षों तक चलाते रहने का निश्चय किया गया। यहाँ हिंदी के स्वरूप का मुद्दा भी उठा जिसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। 10 से 17 अगस्त तक बैठकें होती रही। सोलह अगस्त को प्रारूप समिति ने अपनी रपट प्रस्तुत की, जिसमे 10 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी चलाने की शर्त थी, जिसे दो तिहाई बहुमत से संसद ने पाच वर्ष कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय अंक स्वीकार किए गए। बाईस अगस्त को डॉ भीमराव अम्बेडकर ने एक नया फार्मूला रखा, जिसमे अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की अवधि का प्रस्ताव था। जिसे भी बाद मे संसद बढ़ा सकती थी। अन्तर्राष्ट्रीय अंको का भी सुझाव उन्होने दिया तथा उच्च न्यायालयो मे अंग्रेजी आवश्यक मानी। प्रादेशिक भाषाओं की अनुसूची बनाने तथा भाषा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी उन्ही का था।

26 अगस्त, 1949 को कांग्रेस पार्टी ने फिर इस विषय पर पर्याप्त विचार किया। जब मतदान हुआ तो समान मत पड़े। अतः पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने यह राय दी कि हर सदस्य स्वतन्त्र रूप से अपना मत प्रकट करे। उसके बाद कई बार विचार विमर्श चला और यह निश्चय पण्डित नेहरू ने प्रस्तुत किया कि हिन्दी का ऐसा स्वरूप स्वीकार किया जाए जो परित्यागमूलक न होकर समावेश मूलक हो और उसमें भारत की सभी भाषायी तत्त्वों को शामिल किया जाए तथा उसमें उर्दू एवं हिन्दुस्तानी शब्द भी लिए जाएँ। अंकों के विषय में यह राय बनी कि उन अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को संघ के कामकाज के लिए स्वीकार किया जाए जो बहुत पहले भारतीय अंकों से ही विकसित हुए थे। इस प्रकार आगे भी अनेक बार विचार विमर्श और मतदान हुए। अन्त में राजभाषा के विषय में जो निर्णय लिए गए उनकी जानकारी के लिए "संघ की राजभाषा नीति" सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाओं को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

संघ की राजभाषा नीति

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

120 (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

परन्तु, यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हों।

विधान-मण्डल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

210 (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में किया जाएगा।

परन्तु यथास्थिति विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपयुक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं)।

(2) जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गए हो।

परन्तु हिमाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान मण्डलों के सम्बन्ध में यह खण्ड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले "पन्द्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिये गये हों।

1 संघ की राजभाषा

343 (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वे प्रयोग की जाती थी। परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का अथवा (ख) अंकों के देवनागरी रूप का

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसे विधि में उल्लिखित हो।

राजभाषा के लिए ससद का आयोग और समिति

344 (1) राष्ट्रपति इस सविधान के प्रारम्भ म पाँच वष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची मे उल्लिखित विभिन्न भाषाओ का प्रतिनिधित्व करन वाले अन्य सदस्यो से मिलकर बनेगा, जैस कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का आदेश परिभाषित करेगा ।

(2) राष्ट्रपति को—

(क) सघ के राजकीय प्रयोजना मे सब या किसी के लिए हिन्दी भाषा के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,

(ख) सघ के राजकीय प्रयोजनो मे से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबन्धनो के,

(ग) अनुच्छेद 348 मे वर्णित प्रयोजनो मे स सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के

(घ) सघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनो के लिए प्रयोग किए जाने वाले अको के रूप के,

(ङ) सघ की राजभाषा तथा सघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे के बीच सचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय के बारे मे सिफारिश करने का आयोग का कत्तव्य होगा ।

(3) खण्ड (2) के अधीन अपनी सिफारिशो को करने म आयोग भारत की औद्योगिक सास्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओ के बारे मे अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रो के लोगो के न्यायपूर्ण दावो और हितो का सम्यक ध्यान रखेगा ।

(4) तीस सदस्यो की एक समिति गठित की जायेगी, जिनमे से बीस लोक सभा के सदस्य होग तथा दस राज्य सभा के सदस्य होगे, जो कि क्रमश लोक सभा के सदस्यो तथा राज्य सभा के सदस्यो द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होगे ।

(5) खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना समिति का कर्तव्य होगा।

(6) अनुच्छेद 343 मे किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खण्ड (5) मे निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उसे सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

2 प्रादेशिक भाषाएँ

राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ —

345 अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धो के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनो मे से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य मे प्रयुक्त होने वाली भाषाओ मे से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा—

परन्तु जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा इसे अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनो के लिए अंगेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए संविधान के प्रारम्भ से ठीकपहले वह प्रयोग की जाती थी।

एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा

346 संघ मे राजकीय प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच मे तथा किसी राज्य और संघ के बीच मे संचार के लिए राजभाषा होगी, परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते है कि ऐसे राज्यो के बीच म संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी, तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

347 तद् विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए, तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य मे सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग मे ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाए।

3 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा—

348 (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक—

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ,

(ख) जो—

(अ) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में पुनःस्थापित किए जाएँ, उन सब के प्राधिकृत पाठ,

(ब) अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित किए जाएँ, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किए जाएँ, उन सबके प्राधिकृत पाठ, तथा

(स) आदेश, नियम विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन अथवा संसद या राज्यों के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन निकाले जाएँ, उन सबके प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का *या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य* भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए *प्राधिकृत कर सकेगा,* परन्तु इस खण्ड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू *न होगी।*

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मण्डल ने, उस विधान मण्डल में पुनःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की कण्डिका में निर्दिष्ट किसी आदेश नियम विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है,

वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र मे उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा मे उसका अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायो के लिये उसका अंग्रेजी भाषा मे प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

349 इस सविधान के प्रारम्भ से 15 वर्षो की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) मे वर्णित प्रयोजनो मे से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या सशोधन ससद के किसी सदन मे राष्ट्रपति की पूर्व मजूरी के बिना न तो पुन स्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुन स्थापित अथवा ऐसे किसी सशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशो पर तथा उस अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा।

4 विशेष निर्देश

350 किसी व्यथा के निवारण के लिए सघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति सघ मे प्रयोग होने वाली किसी भाषा मे अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

350 ए तथा 350 बी

सविधान सशोधन स 7, 1956 के अनुसार जोड दी गई है जिनमे मातृभाषा के माध्यम मे शिक्षण तथा भाषिक अल्पसख्यको के हितो की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है।

हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

351 हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक सस्कृति के सब तत्त्वो की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता मे हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची म उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप शैली, और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वाछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यत सस्कृत से तथा गौणत वैसी उल्लिखित

भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

राजभाषा आयोग सिफारिशें और राय

क्र सं	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर संसदीय समिति की राय
5	प्रशासन की भाषा बदलने के लिए कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं	
(1)	प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक विशिष्ट परिभाषाएँ तैयार करना और उनका प्रमाणीकरण।	
(2)	प्रशासन के दैनिक कार्यकलाप से सम्बन्धित सरकारी प्रकाशनों जिनमें नियम विनियम दिये रहते हैं, हस्त पुस्तिकाओं तथा अन्य कार्य विधिक साहित्य का हिन्दी में अनुवाद।	
(3)	विभिन्न वर्गों के प्रशासनिक कर्मचारियों को इस ढंग से ट्रेनिंग देना कि वे भाषा की योग्यता इस उपयुक्त स्तर की प्राप्त कर लें जिससे वे नये भाषा माध्यम का प्रयोग आवश्यक कार्यक्षमता के साथ कर सकें और सुविधानुसार अपने आपको उस भाषा में व्यक्त कर सकें।	
(4)	सरकारी कार्यों को सुविधा और उन्हें द्रुतगति से कर सकने की दृष्टि से जिन यान्त्रिक तथा अन्य सहायक साधनों की जरूरत होती है उनका नये भाषा माध्यम के अनुकूल विकास करना तथा उन्हें तैयार करना उदाहरणार्थ टाइपराइटरों और टाइपिस्टों शीघ्रलिपि	

क्र स राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर ससदीय समिति की राय
और शीघ्रलिपिको, मुद्रण और प्रतिलिपिक यन्त्रो, टलीप्रिंटरो और अन्य सचार साधनो को नये माध्यम के अनुकूल बनाना आदि ।	
इसमे आवश्यकता (1) तो अध्याय 5 मे वर्णित पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य समस्या का अग है ।	
6 जहाँ तक आवश्यकता (2) का प्रश्न है इस बात का पूर्ण रूप से निश्चय कर लेना आवश्यक होगा कि इस प्रकार से सारे काय विधिक साहित्य के अनुवाद मे भाषा की एकरूपता हो । इस प्रयोजन के लिए यह अधिक उचित होगा कि इस काय के निर्देशन और अधीक्षण का सम्पूर्ण दायित्व केन्द्रीय सरकार की एक ही सस्था को सौंप दिया जाए ।	इसे स्वीकार किया जा सकता है ।
7 जहाँ तक (प्रशासनाधिकारियो के प्रशिक्षण) की आवश्यकता स (3) का प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अपने कमचारियो को हिन्दी भाषा मे स्वच्छिक आधार पर प्रशिक्षण देने की जो वतमान व्यवस्था की गई है उस पर पुर्नविचार किया गया है । यदि अनुवाद से यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था से उपयुक्त परिणाम सामने नही आ रहे हैं तो सरकार के लिए उचित और आवश्यक होगा कि वह अपनी भाषा नीति को ध्यान मे रखते हुए प्रत्येक सरकारी कमचारी के लिए अनिवार्य कर दे कि वे अपने कत्तव्य भर को ठीक प्रकार से निभा	सरकारी कमचारी अपने आपको हिन्दी मे योग्य बनायें इसके लिए सरकार उन पर कुछ जिम्मेदारियाँ डाल सकती है ।

क्र स	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर ससदीय समिति की राय
	सकने के लिए उचित कार्यविधि मे हिन्दी का उचित ज्ञान प्राप्त कर लें ।	
8	आवश्यकता (4) की पूर्ति के लिए इस प्रकार का कायक्रम अपनाया जाना चाहिए, जिसके अनुसार शीघ्रलिपिको और टाइपिस्टो को नये भाषा माध्यम मे शीघ्रलिपि और टाइप ट्रेनिंग और सघीय भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष छुट्टियाँ तथा विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएँ ।	इसे स्वीकार किया जा सकता है ।
9	विभिन्न वर्गों के पदो और सेवाओ की भरती मे निर्दिष्ट योग्यता की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा मे योग्यता के जिस स्तर सामान्यत इसका सम्बन्ध विश्वविद्यालय की उपाधियो से है, को मान्यता प्राप्त है वही स्तर हिन्दी की भाषाई योग्यता के लिए भी एक मानदड निश्चित किया जा सकता है । प्रारम्भिक स्थिति मे कुछ नीचे स्तर का भी स्वीकार किया जा सकता है ।	सिद्धात रूप से इसे स्वीकार किया जा सकता है परतु परिवतन की दशाओ मे कुछ हलका स्तर काफी रहता ।
10	सामान्य रूप से कहना चाहिए कि नियत स्तर तक योग्यता न प्राप्त करने पर दण्ड की व्यवस्था करना ठीक होगा । न्यूनतम स्तर से अधिक योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन और पुरस्कार देना उपयुक्त प्रतीत होगा ।	यह सिफारिश छोडी जा सकती है ।
11	सघ सरकार के कुछ प्रशासन के क्षेत्रों म भविष्य म अनिश्चित काल तक उन स्तरों तक अंग्रेजी की तकनीकी परिभाषाओं का	इसे स्वीकार किया जा सकता है सिवाय इसके कि समिति का विचार

क स	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर संसदीय समिति की राय
	प्रयोग जारी रखा जा सकता है जिसके लिए भारतीय परिभाषाओं का तैयार करना आवश्यक न समझा जाए इसी प्रकार उन खण्डों म पत्र व्यवहार भी अंग्रेजी म जारी रखा जा सकता है जहाँ उस माध्यम के द्वारा विदेशों से निरतर सम्पक बनाये रखना आवश्यक हो।	है कि भविष्य मे जब तक भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का विकास करना आवश्यक नही समझा जाता जब तक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द प्रयोग किये जाते रहना काफी रहता न कि हमेशा के लिए जैसा आयोग ने सिफारिश की है।
12	भारत सरकार के मत्रालयों और विभागों के अलावा प्रशासनिक सस्थाओं और सगठनों म भाषा माध्यम को बदलना होगा, जैसा कि रेलवे डाक और तार विभाग उत्पादन कर सीमा शुल्क, आयकर विभाग आदि। इन सगठनों की अनेक इकाइयाँ और शाखाएँ देश के विभिन्न भागों मे स्थित हैं, इसलिए इन्हे ध्यान मे रखते हुए भाषा-समस्या के कुछ विशेष पहलू सामने आते हैं। इन प्रशासनिक सगठनों के लिए यह आवश्यक है कि वे दो भाषाओं के प्रयोग का एक स्थायी उपाय ढूँढ निकालें, अर्थात् जहाँ तक आतरिक काय का सम्बन्ध है, वे हिन्दी का प्रयोग करेंगे और जहाँ तक जनता से व्यवहार का प्रश्न है वे उन क्षेत्रों मे वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं मे काय करेंगे।	इसे स्वीकार किया जा सकता है।
13	यह आवश्यक है कि भारत सरकार के इन प्रशासनिक सगठनों और विभागों के वतमान कर्मचारी-वृन्द के ढाँचे को दो भाषाओं क	इसे स्वीकार किया जा सकता है।

क्र स	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर संसदीय समिति की राय
	प्रयोग की सुविधा के अनुरूप पुन परीक्षा और विकेन्द्रीकरण किया जाए। इसी प्रकार भर्ती करने की पद्धति मे भी और भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताओ के निर्धारण म तदनुसार परिवर्तन करना होगा।	
14	सेवा नियोजक के रूप मे इन अखिल भारतीय विभागों और सगठनो को अधिकार है कि वे अपने विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठानो मे भर्ती करने के उद्देश्य से हिन्दी की योग्यता के स्तर भी नियत कर दें (जहां आवश्यकता हो वे प्रादेशिक भाषाओ की योग्यता का स्तर भी नियत कर सकते हैं) यह भी हो सकता है कि क्षेत्रीय या प्रादेशिक आवश्यकताओ के अनुसार हिन्दी योग्यता का स्तर उस स्तर से कुछ नीचा रखा जाए जो इन दफ्तरों के प्रधान कार्यालय के लिए आवश्यक हो क्योंकि प्रधान कार्यालय म तो सारा काय ही हिन्दी म किया जाना होगा जबकि क्षेत्रीय या प्रादेशिक कार्यालय मे स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग होगा।	इसे स्वीकार किया जा सकता है।
15	सक्रमण काल मे विभिन्न क्षेत्रो के निवासियो के लिए रोजगार के अवसर कम न हो जाएँ इसलिए स्थानीय शिक्षण-पद्धति मे हिन्दी की प्रगति को ध्यान मे रखते हुए ऐसा अपेक्षित होगा कि शुरू शुरू मे हिन्दी की योग्यता का स्तर कुछ कम रखा जाए और उस कमी की पूर्ति भर्ती के बाद सेवा काल म पूरी कर ली जाए। जैसे-जैसे विशिष्ट क्षेत्रो मे हिन्दी भाषा शिक्षण की सुविधाएँ उत्तरोत्तर	इसे स्वीकार किया जा सकता है।

क्र स	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर संसदीय समिति की राय
	बढ़ती जाएं वैसे वैसे ही योग्यता स्तर ऊंचा किया जा सकता है ।	
16	केन्द्रीय सरकार की रेलवे डाक और तार जसी अखिल भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं की भाषा-नीति मुख्य रूप से इस प्रकार बनायी जानी चाहिए जिससे जनता को सुविधा हो क्योंकि जनता की सुविधा के लिए ही उस नीति को बनाया जाना है । इन विभागों की भाषा-नीति का संचालन इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि सुविधाओं की उपेक्षा करके हिन्दी के काय को आगे बढाया जाए । जहां इन बोर्डों, फार्मों आदि पर हिन्दी परिभाषाओं और पदावलियों का प्रयोग करना हो वहां उन्हें जनता में प्रचारित करने के लिए तथा जनता की सुविधा का ध्यान में रखते हुए उनका पाठ प्रादेशिक भाषाओं (जहां जरूरत हो, अंग्रेजी) में दे दिया जाना चाहिए ।	इसे स्वीकार किया जा सकता है ।
17	यह आवश्यक है कि उन सभी हिन्दी परिभाषाओं और पदावलियों की विशेषरूप से उनकी जो कि जनता के निकट सम्पर्क में आने वाली अखिल भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त होती हैं पूर्व परीक्षा की जानी चाहिए कि वे स्थानीय भाषा के रूपों और विचारों के प्रतिकूल तो नहीं हैं । जहां कुछ संस्कृत शब्दों के विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विशिष्ट अर्थ प्रचलित हो गये हों, वहां उनकी उपेक्षा करके अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग, माध्यम के "भारतीयकरण" के	इसे स्वीकार किया जा सकता है ।

क्र स	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर ससदीय समिति की राय
	प्रयत्नो का उपहास और तिरस्कार करना होगा ।	
18	यह उपयुक्त नही होगा कि सरकारी कर्मचारियो को नये माध्यम मे प्रशिक्षित करने के स्थान पर मूल रूप से अंग्रेजी मे किया जाए और फिर उसे अनूदित किया जाए और इस प्रकार अलग अनुवाद इकाइयां अथवा ब्यूरो स्थापित करके सरकारी कोष पर अतिरिक्त व्यय बढाया जाए यद्यपि प्रशासनिक काय स्थायी रूप से और सक्रमण काल मे सहायक रूप से महत्वपूर्ण काय है, परन्तु अधिकारियो को हिन्दी मे प्रशिक्षित करके उनसे हिन्दी मे पहले से ही काय कराना अनुवाद कराने से कही अच्छा है । हमारे विचार से सविधान के सघ के कार्यों के लिए भाषा माध्यम मे परिवर्तन का जो निर्देश है उसका यह अभिप्राय कदापि नही कि मूलत काय अंग्रेजी मे ही जारी रखा जाए और पुन विभिन्न स्थितियो में सरकारी कोष पर बोझ डालकर उसे हिन्दी में अनूदित कराया जाए ।	इसे स्वीकार किया जा सकता है ।
19	सघ सरकार का यह कदम बहुत उचित होगा यदि वह अपनी सेवाओ मे आने वाले नये लोगो के लिए उचित हिन्दी ज्ञान की शत लगाए । निसन्देह इस बात की सूचना बहुत पहले से दे दी जानी चाहिए । भाषा की योग्यता का आवश्यक स्तर न्यूनतम होना चाहिए और इसमें जो कमी हो उसे बाद में	इसे स्वीकार किया जा सकता है ।

क्र स	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर संसदीय समिति की राय
	नौकरी करते समय उचित प्रशिक्षण द्वारा पूरा कर लिया जाना चाहिए ।	
20	जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष या इससे अधिक हो गयी है उनके लिए उतनी ही योग्यता पर्याप्त समझी जानी चाहिए कि वे हिन्दी समझ सकें । इसके लिये इस बात पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए कि जिस योग्यता के साथ वे अपने आपको अंग्रेजी में अभिव्यक्त करते हैं उसी योग्यता के साथ वे हिन्दी में काम कर सकें । यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए पृथक परीक्षाओं की व्यवस्था की जाए ।	समिति का विचार है कि 45 वर्ष या अधिक आयु वाले अधिकारियों के लिए हिन्दी सीखना आवश्यक नहीं होना चाहिए ।
21	हम इस बात की सिफारिश नहीं करते कि इस समय संघ के किसी भी काम के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए ।	इसे स्वीकार किया जा सकता है ।
22	हमारे लिए यह सम्भव नहीं हो सका है कि संविधान द्वारा नियत अवधि में सरकारी कार्यों में इस परिवर्तन को पूरा करने के लिए तथा हिन्दी को स्थान देने के लिए तिथिवार एक क्रमिक समय-सूची तैयार करके दे सकते । क्योंकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं । इसलिये सामान्य रूप से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी का प्रयोग क्रमिक और सम्बद्ध ढंग से होना चाहिए । हमें भारत सरकार द्वारा तैयार या परिकल्पित ऐसी अस्थायी या अन्तर्कालीन कार्यक्रम की योजना	समिति चाहती है कि आयोग की सिफारिशों पर दी गई राय के अनुसार संघीय सरकार संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग बनाये और उसे अमल में लाये ।

क्र सं	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर संसदीय समिति की राय
	देखने का अवसर नहीं हुआ जिसके अनुसार उसके सभी मन्त्रालयों और विभागों में परिवर्तन करने का कार्यक्रम बनाया गया है और उनकी विशेष कठिनाइयों पर ध्यान दिया गया हो, भाषार तैयारियों के काम का कितना बोझ बढ़ जाएगा उसका अनुमान किया गया हो, वर्तमान सरकारी कर्मचारी वृन्द की भाषा योग्यता का लेखा-जोखा हो और उन्हें नये भाषा माध्यम में प्रशिक्षित कर सकने की कोई लगभग तिथि नियत कर दी गयी हो। इसलिए हमने प्रारम्भिक आवश्यकताओं की ओर ही निर्देश कर दिया है, परन्तु परिवर्तन के सामान्य परिकल्पों और सम्बद्ध विभिन्न प्रश्नों को व्याप्त करने वाले सिद्धांत का निर्णय करना तथा कार्य करने के लिए योजना तैयार करने और तदनुसार समय-अनुसूची तैयार करने का काम स्वयं भारत सरकार पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे वह सम्बद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कदम उठा सके।	
23	भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के नियन्त्रण में कार्य करने वाले भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के मामले पर विचार किया गया। जब कोई भी राज्य प्रादेशिक भाषा को स्वीकार कर लेगा तो यह व्यवस्था करना अनिवार्य होगा कि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के वे कर्मचारी जो कि राज्यों के साथ व्यवहार करते हैं सम्बद्ध राज्य की भाषा पर अधि-	इसे स्वीकार किया जा सकता है।

क्र स	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर ससदीय समिति की राय
	कार प्राप्त कर लें, जिससे वे लेखे तैयार करने और लेखा परीक्षा करने के अपने कर्त्तव्यो को निभा सकें। इसका अर्थ यह निकलता है कि किसी राज्य मे स्थित लेखा महापरीक्षक नियत्रण के दफ्तर को इस योग्य होना चाहिए कि वह प्रादेशिक भाषा मे प्राप्त लेखो के विवरणो को सकलित करने और प्रादेशिक भाषाओ मे अ कित टिप्पणियो और प्रशासनिक निर्णयो के अनुसार लेखा-परीक्षा कर सकने मे समर्थ हो।	
24	इस कठिनाई का यह भी हल सुझाया गया है कि लेखा परीक्षा का "प्रातीयकरण" कर दिया जाए ऐसे किसी विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता नही जिसके कारण इस समय चालू सवैधानिक व्यवस्था मे कोई मुख्य-परिवतन करना पडे। हमारा विचार है कि चालू व्यवस्था के ढाँचे के भीतर ही कोई हल ढूँढ लिया जाना चाहिए जिससे एक ओर तो लेखा महापरीक्षा नियत्रण के कार्यालय का प्रतिष्ठान प्रत्येक राज्य मे राजभाषा मे अ कित लेनदेन की परीक्षा के कर्त्तव्यभारो को निभाने मे समर्थ हो सके और दूसरी ओर वतमान व्यवस्था जिसके अनुसार सघ एव राज्यो के लेखो और लेखा-परीक्षणो का उत्तरदायित्व भारतीय लेखा-परीक्षण और लेखा विभाग के माध्यम से महानियत्रक अथवा महालेखा परीक्षक मे केन्द्रित हैं,— बनी रहे। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का सगठन और उसमे कर्मचारी नियुक्त करने की पद्धति पर पुनर्विचार	इसे स्वीकार किया जा सकता है।

क्र स	राजभाषा आयोग की सिफारिशें	राजभाषा पर ससदीय समिति की राय
	करना होगा और लगभग इसे उसी प्रकार से सगठित करना होगा जैसा कि हमने उन केन्द्रीय विभागो के बारे मे सुझाया जिनका काय देश भर मे फैला हुआ है ।	

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासशोधित 1967) (1963 का अधिनियम सख्याक 19)

(10 मई 1963)

उन भाषाओ का, जो सघ के राजकीय प्रयोजनो, ससद मे काय के सव्यवहार केन्द्रीय और राज्य अधिनियमो और उच्च न्यायालयो मे कतिपय प्रयोजनो के लिए प्रयोग म लाई जा सकेंगी उपलब्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वष म ससद द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो—

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा ।

(2) धारा 3, जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होगे जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धो के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2 परिभाषाए—इस अधिनियम मे जब तक कि सदभ मे अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'नियत दिन से धारा 3 के सम्बन्ध मे, जनवरी 1965 का 26वा दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध म वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है,

(ख) "हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है ।

3 संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना—(1) संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही—

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी, तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जायगा

परन्तु यह और भी इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा—

(1) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच

(2) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच ,

(3) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच ,

प्रयोग में लाई जाती है वहाँ उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त सम्बन्धित मंत्रालय विभाग, कार्यालय या निगम या कम्पनी का कर्मचारिवृन्द हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही—

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों नियमों, अधिसूचनाओं प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के नियंत्रण में के या किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं,

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्ररूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग

अनुभाग या कार्यालय का काय करण है, प्रयोग मे लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने मे राजकीय काय के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितो का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति सघ के कायकलाप के सम्बन्ध मे सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी म या अग्रेजी भाषा मे प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनो ही भाषाओ मे प्रवीण नही है, उनका कोई अहित नही होता है ।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनो के लिए अग्रजी भाषा समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यो के विधानमण्डलो द्वारा, जिन्होने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप मे नहीं अपनाया है सकल्प पारित नही कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त सकल्पो पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए ससद के हर एक सदन द्वारा सकल्प पारित नही कर दिया जाता ।

4 राजभाषा के सम्बन्ध में समिति--(1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वष की समाप्ति के पश्चात्, राजभाषा के सम्बन्ध म एक समिति इस विषय का सकल्प ससद के किसी भी सदन मे राष्ट्रपति की पूव मजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी ।

(2) इस समिति मे तीस सदस्य होगे जिनमे से बीस लोक सभा के सदस्य होगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होगे, जो क्रमश लोक सभा के सदस्यो तथा राज्य सभा के सदस्यो द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होगे ।

(3) इस समिति का कत्तव्य होगा कि वह सघ के राजकीय प्रयोजनो के लिए हिन्दी के प्रयोग मे की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को ससद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारो को भिजवाएगा ।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) मे निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारो ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हो तो उन पर विचार करने के

पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा

(परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।)

5 केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र के प्राधिकार से प्रकाशित—

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुनःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके सम्बन्ध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6 कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7 उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग—नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी

या उस राज्य को राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8 **नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी रखा जायगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई अन्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसको कोई भी प्रभाव न होगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या अतिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

9 **कतिपय उपबन्धों का जम्मू कश्मीर को लागू न होना**—धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

राजभाषा सम्बन्धी संकल्प

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प गृह मंत्रालय से 18 जनवरी 1968 को प्रसारित किया गया —

1 "जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रसार-वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्त्तव्य है,

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जायेगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जायेगी,

2 जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के हेतु सामूहिक उपाय किये जाने चाहिये,

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और उसको कार्यान्वित किया जायगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें,

3 जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए,

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

4 और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए

यह सभा संकल्प करती है—

(ग) कि उन विशेष सेवाओ अथवा पदो को छोडकर जिनके लिये ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यो के सतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनो जसी कि स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाये, सघ सेवाओ अथवा पदो के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारो के चयन के समय हिन्दी अथवा अग्रेजी मे से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत अपेक्षित होगा, और

(घ) कि परीक्षाओ की भावी योजना प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओ एव समय के विषय मे सघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एव उच्चतर केन्द्रीय सेवाओ सम्बधी परीक्षाओ के लिये सविधान की आठवीं अनुसूची म सम्मिलित सभी भाषाओ तथा अग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप मे रखने की अनुमति होगी ।"

राजभाषा—नियम 1976

राजभाषा (सघ के प्रशासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग) नियम, 1976 भारत के राजपत्र मे 17-7-1976 का प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है—

1 ये सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयो पर जिनमे केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व मे, या उसके नियन्त्रण मे निगम या कम्पनी के कार्यालय आदि भी सम्मिलित है, लागू होते हैं (नियम–2) ।

2 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो से पत्रादि (1) हिन्दी भाषी राज्यो को (जिन्हे "क क्षेत्र" के राज्य कहा गया है) अर्थात् हिमाचल प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश और सघ शासित क्षेत्र दिल्ली को अथवा (2) किसी अन्य कार्यालय को (केन्द्रीय कार्यालय से भिन्न) अथवा (3) "क क्षेत्र' के किसी व्यक्ति को अनिवायत हिन्दी मे ही भेजे जायेंगे और यदि कि ही असाधारण दशाओ मे कोई पत्रादि उनम से किसी को अग्रेजी मे भेजा जाता है तो उसके साथ साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजना अनिवाय है) नियम–3(1) ।

3 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो म पत्रादि (1) पजाब, महाराष्ट्र गुजरात चण्डीगढ सघ शासित क्षेत्र और अडमान–निकोबार द्वीप समूह को (जिन्हे

(ग) कि उन विशेष सेवाओ अथवा पदो को छोडकर जिनके लिये ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यो के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोना जैसी कि स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाय, सघ सेवाओ अथवा पदो के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारो के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी मे से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत अपेक्षित होगा, और

(घ) कि परीक्षाओ की भावी योजना प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओ एव समय के विषय मे सघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एव उच्चतर केन्द्रीय सेवाओ सम्बन्धी परीक्षाओ के लिय सविधान की आठवी अनुसूची मे सम्मिलित सभी भाषाओ तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप मे रखने की अनुमति होगी ।"

राजभाषा—नियम 1976

राजभाषा (सघ के प्रशासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग) नियम, 1976 भारत के राजपत्र में 17-7-1976 को प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

1 ये सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयो पर जिनमे केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व म, या उसके नियन्त्रण मे निगम या कम्पनी के कार्यालय आदि भी सम्मिलित है, लागू होते हैं (नियम–2) ।

2 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो से पत्रादि (1) हिन्दी भाषी राज्यो को (जिन्हे "क क्षेत्र" के राज्य कहा गया है) अर्थात् हिमाचल प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश और सघ शासित क्षेत्र दिल्ली को अथवा (2) किसी अन्य कार्यालय को (केन्द्रीय कार्यालय से भिन्न) अथवा (3) "क क्षेत्र' के किसी व्यक्ति को अनिवार्यत हिन्दी मे ही भेजे जायेंगे और यदि किन्ही असाधारण दशाओ मे कोई पत्रादि उनम से किसी को अंग्रेजी मे भेजा जाता है तो उसके साथ-साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य है) नियम–3(1) ।

3 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो मे पत्रादि (1) पजाब, महाराष्ट्र गुजरात चण्डीगढ सघ शासित क्षेत्र और अडमान–निकोबार द्वीप समूह को (जिन्हे

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जायगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जायेगी,

2 जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के हेतु सामूहिक उपाय किये जाने चाहिये,

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और उसको कार्यान्वित किया जायगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें,

3 जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये त्रि भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए,

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में, हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

4 और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए

यह सभा संकल्प करती है—

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिये ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाये, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा, और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिये संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।"

राजभाषा—नियम 1976

राजभाषा (संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 भारत के राजपत्र में 17 7-1976 को प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

1 ये सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों पर जिनमें केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, या उसके नियन्त्रण में निगम या कम्पनी के कार्यालय आदि भी सम्मिलित हैं, लागू होते हैं (नियम–2)।

2 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि (1) हिन्दी भाषी राज्यों को (जिन्हें "क क्षेत्र' के राज्य कहा गया है) अर्थात् हिमाचल प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को अथवा (2) किसी अन्य कार्यालय को (केन्द्रीय कार्यालय से भिन्न) अथवा (3) "क क्षेत्र' के किसी व्यक्ति को अनिवार्यतः हिन्दी में ही भेजे जायेंगे और यदि किन्हीं असाधारण दशाओं में कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ-साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य है) नियम–3(1)।

3 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्रादि (1) पंजाब, महाराष्ट्र गुजरात चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को (जिन्हें

ख क्षेत्र ' के राज्य कहा गया है) अथवा (2) उपयुक्त क्षेत्र मे स्थित किसी कार्यालय को (जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न हो सामा यतया हिन्दी मे होग और यदि कोई पत्रादि उनमे से किसी को अंग्रेजी मे भेजा जाता है तो उसके साथ साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य होगा । तथापि इन राज्यो मे किसी व्यक्ति को भेजे जान वाले पत्रादि हि दी या अंग्रेजी मे भेजे जा सकते है (नियम–3(2) । अन्य क्षेत्रा (जिन्हें ग क्षेत्र" कहा गया है के राज्य को या कार्यालय का केन्द्रीय सरकार क कार्यालय से भिन्न) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी म भेजे जायेंगे (नियय–3 (3)) ।

4 केन्द्रीय सरकार के एक मत्रालय या विभाग और दूसरे मत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी अंग्रेजी म हो सकत हो । केन्द्रीय सरकार के एक मत्रालय/विभाग और 'क क्षेत्र" म स्थित सलग्न/अधीनस्थ कार्यालय के बीच पत्रादि हि दी म ऐसे अनुपात मे भेजन पडेंग जिस सरकार निर्धारित करेगी (नियम–4(क) और (ख) ।

5 क क्षेत्र' म स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालया के बीच पत्रादि हिन्दी म भेजने जरूरी है (नियम–4 (ग) ।

6 केन्द्रीय मरकार के कार्यालयो और ' ख" तथा 'ग क्षेत्रा म स्थित कार्यालयो म पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी मे हो सक्त हैं (किन्ही मामलो म अनुवाद भी देने हाग) (नियम 4(घ)) ।

7 हिन्दी मे प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवायत हिन्दी म दिए जाएगें (नियम–5) कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन जब भी हिन्दी म किया जाए या उसमे हिन्दी मे हस्ताक्षर किए जाए तो उसका उत्तर हिन्दी म ही दिया जाएगा (नियम 7 (2)) ।

8 सक्ल्प अधिसूचना, सामान्य आदेश लाइसस परमिट, निविदा नोटिस, रिपोट आदि पर हस्ताक्षर करने वाल व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि ऐस दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोना मे ही तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं या जारी किए जात हैं (नियम 6) ।

9 कोई कमचारी किसी फाईल पर टिप्पणी हिन्दी या अंग्रेजी म लिख सकता

है और उसमे यह अपेक्षा नही की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा मे प्रस्तुत करे (नियम 8 (1)) ।

10 केन्द्रीय सरकार का कमचारी जिसे हिन्दी का कायसाधन ज्ञान प्राप्त है, किसी हिन्दी दस्तावेज क अंग्रेजी अनुवाद की माग तब ही कर सकता है जबकि वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो (नियम (2)) । किसी कमचारी के बारे म उस समय यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का काय साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीण कर ली है अथवा प्राज्ञ परीक्षा आदि उत्तीण कर ली है अथवा वह यह घोषणा कर चुका है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है (नियम 10) ।

11 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो स सम्बन्धित सभी मैन्युअल, सहिताएँ और अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनो मे द्विभाषिक रूप म मुद्रित या साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित करना अनिवाय होगा। सभी फाम और रजिस्टरो के शीष नामपटट सूचनापटट तथा स्टेशनरी आदि की मदें हिन्दी और अंग्रेजी म होगी (नियम 11) ।

12 प्रत्यक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमो का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाच पडताल के उपाय करें (नियम 12) ।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए माग निर्देशन

निम्नलिखित के लिए हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए

1 कही से भी प्राप्त हिन्दी पत्र अथवा हिन्दी मे हस्ताक्षरित पत्र का उत्तर देने मे ।

2 (i) "क' तथा 'ख" क्षेत्र के राज्यो/सघ राज्य क्षेत्रो को मूल पत्र भेजने में ।

(ii) हिन्दी भाषी क्षेत्रो मे

(क) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयो म काम करन वाले समूह "ग" तथा "घ कमचारियो की सेवा पजियों में प्रविष्टिया ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयो द्वारा भारत सरकार के मत्रालयो/विभागो और राज्य सरकारो को भेजे जान वाले तार ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयो और जनता के बीच पत्र-व्यवहार

(iii) "क" तथा "ख" क्षेत्रो मे स्थित कार्यालया और व्यक्तियो का भेजे जाने वाले लिफाफो पर पता लिखना ।

3 निम्नलिखित कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है

(i) फाइलो आदि पर विषय लिखना, (ii) टिप्पणिया और मसौद तैयार करना ।

निम्नलिखित के लिए हिन्दी और अग्रेजी दोनो का प्रयोग अनिवार्य है

1 (1) सामान्य आदेश, (2) नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ सकल्प, (3) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, (4) सविदाएँ करार, लाइसेंस परमिट, टेण्डर के नोटिस और फाम (5) ससद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात (6) प्रेस विज्ञप्तिया, (7) सभी राज्य सरकारो को भेजे जाने वाले परिपत्र ।

2 इनके लिए हिन्दी और अग्रेजी दोनो का प्रयोग किया जाए

(1) सरकारी समारोह के लिये निमत्रण-पत्र, फाम, सील, रबड की मोहर, नाम पट्ट और लैटरहैड ।

(2) क मत्रालयो, विभागो द्वारा आयोजित सम्मेलनों, बठको मे लगाए जाने वाले साइनबोड,

ख इमारतो, समिति और सम्मेलन कक्षो आदि मे स्थायी साइनबोड ।

3 अखिल भारतीय स्तर के लिए अथवा हिन्दी भाषी क्षेत्रो के लिए जारी किये जाने वाले सरकारी विज्ञापन ।

4 कोड मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य तथा नियमो/विनियमो आदि के सकलन ।

5 क अखिल भारतीय सम्मेलन तथा जिन सम्मेलनो मे हिन्दी भाषी राज्यों के मत्री और गैर-सरकारी सदस्य भी भाग ले रहे हो और

ख हिन्दी से सम्बन्धित मामलो पर होने वाले जिन सम्मेलनो मे गैर सरकारी व्यक्ति आमन्त्रित हो उनकी कार्यसूची की टिप्पणिया और कार्यवृत्त

6 परामर्श समितियो के लिए साराश तथा मन्त्रिमण्डल के लिये टिप्पणिया।

नोट अंग्रेजी का ही प्रयोग करें

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र के किसी राज्य या सघ राज्य क्षेत्र को अथवा ऐसे राज्य/सघ राज्य क्षेत्र मे (केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि मे केवल अंग्रेजी का प्रयोग किया जाये।

राजभाषा विषयक विविध आयोग

सविधान के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा-नीति के सम्बन्ध मे जो कानूनी स्थिति है, वह पीछे बताई जा चुकी है। भारतीय सविधान लागू होने पर 27 मई 1952 को हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध मे एक आदेश निकाला गया था, जिसके अनुसार अगरजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी और अन्तर्राष्ट्रीय अको के अतिरिक्त देवनागरी के अको के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था। 3 दिसम्बर 1955 को राष्ट्रपति ने राजभाषा सम्बन्धी फिर एक आदेश निकाला, जिसमे सघ के निम्नाकित सरकारी प्रयोजनो के लिए अगरेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया—

1– जनता के साथ पत्र-व्यवहार

2– प्रशासनिक रपटें सरकारी पत्रिकाए, ससद मे की जाने वाली रपटें।

3– सरकारी सकल्प और विधायी अधिनियम

4– हिन्दी अपना लेने वाली राज्य सरकारो से पत्र-व्यवहार।

5– सधिया एव करार।

6– अन्य देशो की सरकारो उनके दूतो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के साथ पत्र-व्यवहार।

7– राजनायिक, कौंसिला के पदाधिकारियो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो मे भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

यहाँ उल्लेखनीय है कि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग गठित किया जा चुका था, जिसका प्रतिवेदन 1957 में संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत हुआ और उसमें समिति की जो सिफारिशें थी वे पीछे प्रतिवेदन के साथ दी जा चुकी है। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को दी थी। समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्टत उल्लेख था कि किसी प्रजातांत्रिक सरकार के लिए अनिश्चित काल तक अपना काम-काज ऐसी भाषा से चलाना सम्भव नहीं है जिसे देश कुछ लोग ही समझते हो।"

समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में 2-4 सितम्बर 1959 को तथा राज्य सभा में 8 9 सितम्बर 1959 को चर्चा हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री प जवाहर लाल नेहरू ने अंगरेजी की पर्याप्त प्रशसा करते हुए भी यह मत व्यक्त किया कि अंगरेजी निश्चय ही एक थोपी हुई भाषा है। इसने हमारे लिए ज्ञान-विज्ञान की खिड़कियां जरूर खोली एव हम पर्याप्त ज्ञान भी दिया, पर इस पर एक ऐसी भाषा होने का लाछन भी है जो हमारी अपनी भाषाओं और हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है।'

अन्त में 29 अप्रेल 1960 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश निकाला जिसमें अनेक बिन्दुओं पर स्पष्ट निर्णय थे और हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त करने के लिए अनेक प्रयत्न स्पष्टत उल्लिखित किए गए थे। इससे हिन्दी के प्रयोग में सक्रियता आई। इसी के अनुसार सन 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग" गठित किया गया। इस आयोग ने हिन्दी के प्रयोग के लिए अनेक प्रयत्न किए। इसके अलावा एक 'राजभाषा विधायी आयोग' भी गठित किया गया जिसके कई कार्य भी सराहनीय हैं। अनेक अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कराया गया है तथा "विधि शब्दावली" का भी प्रकाशन हो चुका है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर हिन्दी के विकास के लिए अन्य प्रयत्न —

29 मार्च 1961 को सरकार ने हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए योजनाबद्ध स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गृह मंत्रालय 21 5 1960 को ही एक कार्यालय ज्ञापन प्रसारित कर सभी समारोहों के लिए निमंत्रण-पत्र हिन्दी तथा

अगरेजी दोनो मे जारी करने की पद्धति अपना चुका था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं मे प्रविष्टियां हिन्दी मे करने का आदेश भी बहुत पहले 1957 मे ही जारी हो चुका था। 19-8 68, 19-5-70, तथा 10-6-74 के कार्यालय ज्ञापनो मे फिर इन आदेशो का स्मरण कराया गया।

सन् 1962 63 मे यह व्यवस्था भी की गई थी कि भारत सरकार का राजपत्र (गजट) अगरेजी के अतिरिक्त हिन्दी मे भी प्रकाशित हो यद्यपि उसके लिए कुछ विशेष क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए थे। किन्तु उन निर्धारित क्षेत्रो मे भी हिन्दी मे राजपत्र नियमित रूप से प्रकाशित नही हुआ। इस सबध मे सरकारी स्तर पर प्रयत्न भी किए गए किन्तु कुछ सम्बन्धित विभागो ने नियम का पालन नही किया। 1970 में स्पष्टत आदेश दिए गए कि सभी हिन्दी पत्रो के उत्तर हिन्दी म ही दिए जाए किन्तु उसका भी पूर्णत पालन नही हुआ। यह भी आज्ञा दी गई कि पत्र मूल रूप में हिन्दी म लिखे जाए और उसका अनुवाद अगरेजी मे हो, परन्तु यह आदेश भी प्रभावी सिद्ध न हुआ। गृह सचिव की अध्यक्षता मे 'हिन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति" का गठन भी किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए अन्य अनेक कार्यान्वयन समितियां भी गठित की गई तथा हिन्दी सलाहकार समितियां भी विभिन्न विभागो मे गठित की गई। कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिये गहन हिन्दी शिक्षण योजना भी प्रारम्भ की गई, जिसके अनुसार सन 1972 से केन्द्रीय हिन्दी सस्थान आगरा के दिल्ली केन्द्र से हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है। प्रशासनिक प्रशिक्षण की अकादमी मसूरी मे भी हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सन् 1969 मे कोठारी समिति ने सघीय लोक सेवा आयोग की परिक्षाओं मे या हिन्दी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ परीक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की थी जो लागू हो चुकी है।

कतिपय अन्य गैर सरकारी प्रयत्न

स्वाधीनता के पश्चात् राष्ट्रभाषा के रूप मे हिन्दी के विकास के लिए व्यक्तियो और सस्थाओं द्वारा अनेक प्रयत्न किए जा रहे है। आगरा का केन्द्रीय हिन्दी सस्थान आरम्भ म एक गैर सरकारी सस्था के रूप मे ही स्थापित किया गया था, जिसने दक्षिण भारत के प्रत्याशियो का हिन्दी का प्रशिक्षण देना आरम्भ किया था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन नागरी प्रचारिणी सभा तथा कई राज्यो मे स्थापित अन्य सामाजिक साहित्यिक सस्थाए हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नशील है। दक्षिण भारत मे सभी राज्यो मे किसी न किसी नाम से हिन्दी

का प्रचार करने वाली संस्थाए संचालित हो रही हैं। इन संस्थाओ ने उत्तर-दक्षिण मे सेतु का काय किया है तथा हिंदी को वहा लोकप्रिय बनाया है। कई संस्थाए अहिंदी भाषियो को हिन्दी मे लेखनकाय के लिए पुरस्कार एव अन्य सम्मान देती है। कई प्रकाशनो ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पुरस्कार देना आरम्भ किया है। इस प्रकार हर स्तर पर गैर सरकारी प्रयत्न चल रहे है। आशा है एक दिन हिंदी को अंगरेजी के चंगुल से छुड़ाया जा सकेगा तथा वह व्यावहारिक रूप मे राष्ट्रभाषा तो है ही, राजभाषा भी बन कर रहेगी।

पंचम अध्याय

व्यावहारिक हिन्दी

'हिन्दी' भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा तो स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु अभी तक उसका व्यवहार पूर्णत नहीं हो पा रहा है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी राजभाषा हिन्दी एव व्यावहारिक हिन्दी कोई अलग अलग स्वरूप है।

व्यावहारिक हिन्दी से तात्पर्य —

हिन्दी का वह स्वरूप जो प्राय व्यवहार मे आता है व्यावहारिक हिन्दी कहलाता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा को इससे अलग नही किया जा सकता। व्यावहारिक हिन्दी से अगर उसके किसी नाम की स्वरूप गत भिन्नता है, तो वह साहित्यिक और वैज्ञानिक हिन्दी है। व्यावहारिक हिन्दी की संरचना मे उसकी बोलियो का अधिक योगदान रहता है। सामान्य जन ही नही विशिष्ट जन भी व्यावहारिक हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। हिन्दी भाषी राज्यो मे बोलचाल मे इसी का प्रयोग होता है। सिनेमा, रेडियो दूरदर्शन, कारखानो, कार्यालयो आदि मे व्यावहारिक हिन्दी का ही प्रयोग होता है। नगरवासी प्राय व्यावहारिक हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। पत्र व्यवहार करने के लिए व्यावहारिक हिन्दी ही काम आती है। लोक प्रचलित शब्दावली को ग्रहण करने के लिए व्यावहारिक हिन्दी का द्वार कभी बन्द नही होता। भारतवर्ष की अधिकांश जन-संख्या व्यावहारिक हिन्दी को समझती है तथा अपना काम चलाती है। भले ही नगरो मे और कुछ ग्रामीण कस्बो मे भी गली गली मे अंगरेजी स्कूल खुल गए हो, किन्तु रोजमर्रा का काम काज हिन्दी म ही चलता है। नेता लोग शहर मे या संसद मे बैठकर भले ही अंग्रेजी बोलते हो, किन्तु वे भी वोट, व्यावहारिक हिन्दी

म ही मागते हैं। बाजारों, रेल्वे स्टेशनों बस अड्डों होटलों तक उसका शासन फैला हुआ है। अपने इसी गुण के कारण वह देश की राष्ट्रभाषा भी है।

आवश्यकता और उपादेयता—

भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा बन जाने का गौरव पाने वाली हिन्दी विशाल जन समाज के लिए जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। दो प्रतिशत से अधिक लोग अंग्रेजी नहीं समझ सकते। ऐसे लोगों को छोड़ दें तो शेष 98 प्रतिशत लोगों के पारस्परिक सम्बन्धों के लिए हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता है। अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिन्दी बोलने वाले लोग कई गुना अधिक हैं। ये लोग दैनिक व्यवहार हिन्दी में ही चलाते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी मन्दिरों मस्जिदों-गुरुद्वारों में हिन्दी ही बोलते हैं, हिन्दी में ही पूजा पाठ करते हैं। जिस प्रकार वोटों के लिए जनता तक पहुँचने के लिए नेताओं के लिए व्यावहारिक हिन्दी आवश्यक है, उसी प्रकार भगवान तक पहुँचने का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए भी सामान्य जनों को ही नहीं, विशिष्ट जनों के लिए भी व्यावहारिक हिन्दी आवश्यक है।

हिन्दी के द्वारा हम अपने परिवार समाज, धर्म, राजनीति और सांस्कृतिक सम्बन्धों को समझ पाते हैं। राष्ट्र के अधिकांश लोक-व्यवहारों में इसकी बहुत उपयोगिता है। राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यावहारिक स्वरूप की सर्वाधिक उपयोगिता है।

शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का व्यवहार

शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा या मातृभाषा ही होनी चाहिए। बालक अपनी भाषा में दिए हुए ज्ञान को बहुत जल्दी समझ लेते हैं तथा भली प्रकार स्मरण भी रख पाते हैं। स्वाधीनता के पश्चात् उत्तर भारत के कई राज्यों में शिक्षा का माध्यम 'हिन्दी' को बनाया गया। विज्ञान और वाणिज्य के विषय भी हिन्दी में पढ़ाने की व्यवस्था आरम्भ में माध्यमिक स्तर तक की गई। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस दिशा में बहुत प्रयास किए विविध शब्दकोषों का सम्पादन और प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कार्य था, जो सरकारी प्रयत्नों से सम्भव हुआ। ऐसे अध्यापकों की नियुक्तियाँ तथा पदोन्नतियाँ की गई, जो हिन्दी माध्यम से शिक्षा दे सकें। फलतः उत्तरप्रदेश, बिहार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में हिन्दी माध्यम सफल सिद्ध हुआ।

महाविद्यालया एव विश्वविद्यालयो म भी हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था हुई तथा छात्रो एव अध्यापको मे भी हिन्दी म शिक्षा के आदान प्रदान की अभिरुचि बढती गई। केन्द्र सरकार ने सभी विषय की पाठयपुस्तकें हि दी म तैयार कराने के लिए इन राज्यो मे हि दी ग्रन्थ अकादमिया की स्थापना की। इन अकादमियो ने विज्ञान, कृषि चिकित्सा अभियान्त्रिकी, वाणिज्य आदि विषयो के ग्र थ हिन्दी मे तैयार कराए। आरम्भ म इन विषया की महत्वपूर्ण अगरेजी पाठ्यपुस्तको का हिन्दी मे अनुवाद कराया गया। धीरे धीरे हिन्दी म सभी विषया के मौलिक लेखन और प्रकाशन की भी व्यवस्था हुई। कई बडे प्रकाशका ने भी हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए अच्छे हि दी ग्रन्था का प्रकाशन करके प्रशसनीय योग दिया। भारत सरकार के अलावा प्रान्तीय सरकारो ने भी हि दी म पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए अनक प्रयास किए। कइ विषया को हिन्दी मे लिखित मौलिक पाठ्यपुस्तका पर पुरस्कार देन की योजनाए भी चलाई गई।

आजकल इस प्रकार के प्रयास अनेक दिशाओ मे हो रहे है। फलत उच्च स्तर पर भी हि दी शिक्षा का माध्यम बन चुकी है और कई प्रतियोगिता परीक्षाए भी अब हि दी म होने लगी है। निश्चय ही हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने से देश के कई राज्यो म शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा है तथा देश को पहचानने की क्षमता तया विवक का विकास भी हुआ है।

राजकाय के सम्पादन हेतु प्रशासनिक कार्यालयीय विधि व्यापारिक एव वैज्ञानिक आदि विषयक शब्दावली —

प्रमुख अंग्रेजी शब्दो के साथ उनके हिन्दी पर्याय यहा वर्णमाला क्रम से दिए जा रहे हैं —

Accountant	लेखाकार
Account Clerk	लेखा लिपिक
Accounts Comiler	लेखा-सकलक
Accounts Controller	लखा-नियत्रक
Accounts Inspector	लेखा निरीक्षक
Accounts Officer	लेखा अधिकारी
Addl Advocate General-cum Government Advocate	अपर महाधिवक्ता एव सरकारी अधिवक्ता
Addl Asstt Commissioner	अपर सहायक आयुक्त

Addl Chief Secretary	अपर मुख्य सचिव
Addl District Animal Husbandry Officer	अपर जिला पशुपालन अधिकारी
Addl District Judge	अपर जिला न्यायाधीश
Addl Health Officer	अपर स्वास्थ्य अधिकारी
Addl Inspector General	अपर महानिरीक्षक
Addl Suptd of Police	अपर पुलिस अधीक्षक
Adult Education Officer	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी
Advocate General	महाधिवक्ता/एडवोकेट जनरल
Agricultural Assistant	कृषि सहायक
Agriculture Chemist	कृषि रसायनज्ञ
Agriculture Engineer	कृषि अभियन्ता
Agriculture Engineer cum Secretary	कृषि-अभियन्ता एवं सचिव
Agriculture Extension Officer	कृषि प्रसार अधिकारी
Agriculture Information Officer	कृषि-सूचना अधिकारी
Agronomist	कृषि विज्ञानी
Animal Husbandry Officer	पशुपालन-अधिकारी
Announcer	उद्घोषक
Assistant Accounts Officer	सहायक लेखा अधिकारी
Asstt Agriculture Engineer	सहायक कृषि अभियन्ता
Assistant Attendant	सहायक परिचारक
Assistant Cashier	सहायक खजांची
Assistant Commissioner	सहायक आयुक्त
Assistant Conservator	सहायक वन रक्षक
Asstt Director	सहायक निदेशक
Assistant Employment Officer	सहायक रोजगार अधिकारी
Assistant Enforcement Officer	सहायक प्रवर्तन अधिकारी
Assistant Engineer	सहायक अभियन्ता
Assistant Engineer (Survey)	सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण)
Assistant Entomologist	सहायक कीट विज्ञानी
Assistant Geologist	सहायक भू-वैज्ञानिक
Assistant Incharge Store	सहायक प्रभारी (भण्डारी)

Assistant Information Officer	सहायक सूचना-अधिकारी
Assistant Librarian	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
Assistant Manager, Salt	सहायक व्यवस्थापक (लवण)
Assistant Matron	सहायक मातृका
Assistant Operator	सहायक प्रचालक
Assistant Probation Officer	सहायक परिवीक्षा-अधिकारी
Assistant Record Keeper	सहायक अभिलेखपाल
Assistant Research Officer	सहायक अनुसधान-अधिकारी
Assistant Revenue Officer	सहायक राजस्व अधिकारी
Assistant Secretary	सहायक सचिव
Assistant Sub-Inspector	सहायक उप निरीक्षक
Baeteriologist	जीवाणुविज्ञानी
Cultural Officer	सास्कृतिक अधिकारी
Chairman, State Transport Authority	अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकारी
Chairman, Urban Improvement Trust	अध्यक्ष, नगर-विकास न्यास
Chief Engineer	मुख्य अभियन्ता
Chief Engineer, Public Works Department (B & R)	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण मुख्य (भवन एव पथ)
Chief Engineer, (Irrigation)	मुख्य अभियन्ता (सिचाई)
Chief Ground Water Engineer	मुख्य भू जल अभियन्ता
Chief Justice	मुख्य न्यायाधीश
Chief Probation Officer	मुख्य परिवीक्षा-अधिकारी
Commercial Accountant	वाणिज्यिक लेखाकार
Commercial Taxes Officer	वाणिज्यिक कर-अधिकारी
Commissioner, Departmental Enquiry	आयुक्त, विभागीय जाच
Commissioner, Davasthan Department	आयुक्त देवस्थान विभाग
Commissioner, Excise and Taxation	आयुक्त, आबकारी एव करारोपण
Commissioner, Sales Tax	आयुक्त बिक्री-कर

Conservator of Forests	वन संरक्षक
Controller of Stores	भण्डार नियंत्रक
Consolidation Officer	चकबन्दी अधिकारी
Craftsman	शिल्पकार
Dairy Engineer	दुग्धशाला अभियंता
Demonstrator (Agriculture Information)	निदर्शक (कृषि सूचना)
Dental Surgeon	दन्त चिकित्सक
Deputy Conservator	उप संरक्षक वन विभाग
Deputy Director Livestock Section	उप निदेशक पशुधन शाखा
Deputy Director of Education & Employment	उप-निदेशक, शिक्षा एव रोजगार
Deputy Minister	उप मंत्री
Deputy Registrar	उप पंजीयक
Deputy Town Planner	उप नगर आयोजक
Despatch Clerk	प्रेषण लिपिक
Development Commissioner	विकास आयुक्त
Director of Agriculture	निदेशक, कृषि विभाग
Director of Animal Husbandry	निदेशक, पशुपालन विभाग
Director of Archives, Rajasthan	निदेशक, पुरालेख (राजस्थान)
Director of Civil Defence	निदेशक, नागरिक सुरक्षा
Director of Colonsisation	निदेशक, उपनिवेशन
Director of Economic and Industrial Survey	निदेशक आर्थिक एव औद्योगिक सर्वेक्षण
Director of Economics and Statistics	निदेशक आर्थिकी एव सांख्यिकी
Director of Forensic Laboratory	निदेशक, विधि चिकित्सा-विज्ञान प्रयोग-शाला
Director of General Branch	निदेशक, सामान्य शाखा
Director of Jail Industries	निदेशक, कारागार उद्योग
Director of Local Bodies	निदेशक, स्थानीय निकाय
Director of Medical and Health Services	निदेशक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा

Director of Mines and Geology	निदेशक, खान एव भू गर्भ विभाग
Director of P F Department	निदेशक, भविष्य-निधि विभाग
Director of Public Relations	निदेशक जन सपर्क कार्यालय
Director of Social Welfare Department	निदेशक समाज कल्याण विभाग
Director of Transport	निदेशक, परिवहन विभाग
District Employm nt Offi er	जिला नियोजन अधिकारी
District Industries Officer	जिला-उद्योग अधिकारी
District Judge	जिला न्यायाधीश
D strict Public Relation Officer	जिला जन-सपर्क अधिकारी
District Revenue Accountant	*जिला राजस्व लेखाकार*
District Sheep and Wool Officer	जिला भेड व ऊन अधिकारी
District Social Welfare Officer	जिला समाज कल्याण अधिकारी
Education Officer	शिक्षा अधिकारी
Enforcement Officer	प्रवर्तन अधिकारी
Engineering Assistant	अभियान्त्रिकी सहायक
Excise Clerk	आबकारी लिपिक
Excise Magistrate	आबकारी दण्डनायक
Executive Engineer P W D (B&R)	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एण्ड पथ)
Executive Engineer Survery and Investigation Project	अधिशासी अभियन्ता, सर्वेक्षण एव अन्वेषण-परियोजना
Finance Commissioner	वित्त आयुक्त
Food Assistant	खाद्य सहायक
Food Inspector	खाद्य निरीक्षक
Forest guard	वन-रक्षक
Gate Keeper	द्वारपाल
Govt Advocate	सरकारी अधिवक्ता
Head Master, Deaf and Dump School	प्रधानाध्यापक, मूक एव बधिर विद्यालय
Horticulturist	उद्यान विशेषज्ञ
Inspector General of Police	महानिरीक्षक, पुलिस
Inspector General of Prisons	महानिरीक्षक कारागार

Inspector, Land Record	निरीक्षक भू अभिलेख
Inspector, of Stores and Accounts	निरीक्षक भंडार एवं लेखा
Inspector Weights and Measure	निरीक्षक बाट एवं माप
Joint Development Commissioner	संयुक्त विकास आयुक्त
Joint Director	संयुक्त निदेशक
Junior Accountant	कनिष्ठ लेखाकार
Junior Demonstrator	कनिष्ठ निदर्शक
Junior Engineer'	कनिष्ठ अभियंता
Junior Specialist	कनिष्ठ विशेषज्ञ
Junior Instructor	कनिष्ठ प्रशिक्षक
Laboratory Assistant	प्रयोगशाला सहायक
Laboratory Incharge	प्रयोगशाला प्रभारी
Labour Inspector	श्रम निरीक्षक
Labour Officer	श्रम अधिकारी
Labour Welfare Officer, Health Engineering	श्रम-कल्याण अधिकारी, स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
Lady Matron	मातृका
Lady Supervisor	पर्यवेक्षिका
Land Supervisor	भू-सर्वेक्षक
Legal Assistant	विधि-सहायक
Legal Draftsman	विधि प्रारूपकार
Legal Editor	विधि सम्पादक
Liaison Officer	सम्पर्क अधिकारी
Legal Remembrances	विधि परामर्शी
Library Assistant	पुस्तकालय सहायक
Loan Inspector	ऋण निरीक्षक
Loan Officer	ऋण अधिकारी
Lower Division Clerk	कनिष्ठ लिपिक
Manager, Incharge of Pharmacies	व्यवस्थापक प्रभारी, औषध निर्माण शाला
Medical Attendant	चिकित्सा परिचालक

Music and Dance Teacher	संगीत एवं नृत्य-अध्यापक
Musician	संगीतकार
Nursing Superintendent	उपचर्या-अधीक्षक
Nutrition Assistant	पोषण सहायक
Observer	प्रेक्षक
Officer Incharge Junior Staff Training	प्रभारी अधिकारी, कनिष्ठ कर्मचारी प्रशिक्षण
Officer Incharge, Livestock Research Station	प्रभारी अधिकारी, पशुधन शोध केन्द्र
Officer Incharge, Museum	प्रभारी अधिकारी, संग्रहालय
Opthalmologist	नेत्र चिकित्सक
Packer	वेष्टक
Pay Clerk	वेतन लिपिक
Peon	चपरासी
Physical Training Instructor	व्यायाम प्रशिक्षक
Physician Specialist	चिकित्साविशेषज्ञ
Planning cum Survey Officer	आयोजना एवं सर्वेक्षण अधिकारी
Plant Breeder	पौध उत्पादक
Plant Protection Supervisor	पौध संरक्षण पर्यवेक्षक
Printer	मुद्रक
Private Secretary to Governor	निजी सहायक राज्यपाल
Professor	आचार्य
Professor, Anatomy	आचार्य शरीर-रचना विज्ञान
Professor, Pharmacology	आचार्य, औषध निर्माण विज्ञान
Professor, Physiology	आचार्य शरीरी क्रिया विज्ञान
Public Prosecutor	सरकारी अभियोजक
Public Relations Officer	जन-संपर्क अधिकारी
Receipt Clerk	प्राप्ति-लिपिक
Receptionist	स्वागतकर्ता
Registrar, Cooperative Societies	पंजीयक, सहकारी समितियां
Research Scholar	शोध छात्र
Section Incharge	अनुभाग अधिकारी
Seed Development Officer	बीज विकास अधिकारी

Seed Distribution Officer	बीज वितरक अधिकारी
Seed Production Officer	बीज उत्पादन अधिकारी
Seed Testing Officer	बीज जाच-अधिकारी
Social Education Officer	समाज-शिक्षा अधिकारी
Social Eduction Organisor	समाज शिक्षा आयोजक
Speaker, Legislative Assembly	अध्यक्ष विधान-सभा
Special Accounts Officer	विशेष लेखा अधिकारी
Special Audit Officer	विशेष अ केक्षा-अधिकारी
State Minister	राज्य मत्री
Station Officer	थानेदार
Stenography Instructor	शीघ्रलिपिक प्रशिक्षक
Store Controller	भडार-नियत्रक
Store Incharge	भडार प्रभारी
Sub Editor	उप सपादक
Sub-Registrar	उप पजीयक
Superintendent Handicrafts Board	अधीक्षक हस्तकला मडल
Superintendent of Garden	उद्यान अधीक्षक
Superintending Engineer	अधीक्षण अभियता
Survey Inspector	सर्वेक्षण निरीक्षक
Survey Officer	सर्वेक्षण अधिकारी
Tourist Officer	पर्यटन अधिकारी
Training Officer	प्रशिक्षण अधिकारी
Traffic Inspector	परिवहन निरीक्षक
Treasurer	कोषाध्यक्ष
Wholetime Public Prosecutor	पूर्णकालिक सरकारी पैरोकार
Workshop Addendant	कर्मशाला परिचर
Workshop Instructor	कर्मशाला प्रशिक्षक
Workshop Supervisor	कर्मशाला पर्यवेक्षक